लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

[खंड 39 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. ~~XXXIX~~ contains Nos. 21—30]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price · One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इस में अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

627(Ai)LS—1

विषय–सूची

अंक 22, सोमवार, 22 मार्च, 1965/1 चैत्र, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
499	चीनी आक्रमण	2029—32
500	रूसी टैंक	2032–33
501	सार्वजनिक व्यक्तियों को राजनयिक पद	2033—35
502	पाकिस्तान के अल्पसंख्यक व्यक्ति	2035—38
503	विभिन्न उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड	2038—41
504	सूचना और प्रसारण माध्यम सम्बन्धी समिति	2041—43
505	हाल में स्वतन्त्र हुए अफ्रीकी देश	2043—45
506	संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा भारत को आश्वासन	2045—47
508	भारत-पाकिस्तान सीमा पर मुठभेड़	2047—49
509	तेल कम्पनियों में छंटनी	2049—51
510	परमाणु शस्त्रों का निर्माण	2051–52

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 5

	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों के श्रमिकों की मांगें	2052–53

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
507	नौसेना गोदी का विस्तार	2053–54
511	विदेशी विमानचालकों का प्रशिक्षण	2054
512	संयुक्त राष्ट्र संघ की शान्ति सेना	2054–55
513	भूमाण्डलिक उपग्रह व्यवस्था	2055
514	जार्डन को नदियों के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य	2055
515	गोदी तथा बन्दरगाह कर्मचारी	2056
516	कांगों में भारतीय सैनिक	2056

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 22—Monday, March 22, 1965/Chaitra 1, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
499	Chinese Aggression	2029—32
500	Soviet Tanks	2032-33
501	Diplomatic Assignments for Public men	2033—35
502	Minorities in Pakistan	2035—38
503	Wage Boards for various Industries	2038—41
504	Committee on Broadcasting and Information Media	2041—43
505	Newly Independent African Countries	2043—45
506	Assurance to India by U.A.R.	2045—47
508	Clashes on Indo-Pak Border	2047—49
509	Retrenchment in Oil Companies	2049—51
510	Manufacture of Nuclear Weapons	2051-52
	Short Notice Questions No. 5	2052-53

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.		
507	Expansion of Naval Dockyard	2052-54
511	Training to Foreign Pilots	2054
512	Peace-keeping force of UNO	2054-55
513	Global Satellite System	2055
514	Prime Minister's Statement regarding Jordan Waters	2055
515	Dock and Port Workers	2056
516	Indian Troops in Congo	2056

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
517	बैंक कर्मचारियों की मांगें	2057
518	भारतीयों को जंजीबार में प्रवेश की मनाही	2057-58
519	समाचारपत्रों तथा समाचार-अभिकरणों का स्वामित्व	2058
520	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष	2058–59
521	बर्मा में भारतीयों का पुनः प्रवेश	2059

अतारांकित

प्रश्न संख्या

1328	उत्तर पूर्व सीमान्त अधिकरण (नेफा) में विस्फोट	2059–60
1329	राजस्थान में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के संस्थानों में रिक्त स्थान	2060
1330	ग्रामीण रोजगार ब्यूरो	2060-61
1331	मद्रास राज्य में अधिसूचित तथा भरे गये रिक्त पद	2061
1332	ब्रिटेन के प्रतिरक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की यात्रा	2061
1333	मध्य प्रदेश में पंजीबद्ध बेरोजगार व्यक्ति	2062
1334	कृत्रिम अंग केन्द्र, पूना	2062
1335	प्रतिष्ठित व्यक्तियों की यात्रा	2062–63
1336	सीमा सड़क संगठन	2063–64
1337	भारत के लिए रूसी हैलीकोप्टर	2064
1338	दिल्ली के डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	2065
1339	टेलिविजन सेट्स का निर्माण	2065
1340	भूटान के भगोड़े अधिकारी	2066
1341	भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रीय कमांडरों की बैठक	2066
1342	छावनी कर्मचारी सेवा नियम, 1937 का पुनरीक्षण	2066–67
1343	ऑर्डिनेंस कोर में लोअर डिविजन क्लर्कों का कर्त्तव्य	2067
1344	"आर्डनस कोर" में लोअर डिविजन क्लर्क	2067–68
1345	वायस आफ अमेरिका करार से सम्बन्धित फाइल का गुम होना	2068
1346	पंजाब में सैनिक स्कूल	2068–69
1347	पंजाब में टेलीफोन कनेक्शन	2069
1348	पंजाब में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज	2069
1349	देहाती क्षेत्रों में श्रमजीवी पत्रकार	2069–70
1350	समाज विरोधी समाचार-पत्रों के लिये अखबारी कागज का कोटा	2070

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
517	Bank Employees Demands . .	2057
518	Indians Refused Entry in Zanzibar . . .	2057–58
519	Ownership of Newspapers and News Agencies	2058
520	International Cooperation Year . . .	2058–59
521	Re-entry of Indians in Burma . .	2059

Unstarred Questions Nos.		
1328	Explosion in NEFA	2059–60
1329	Vacancies in Public and Private Sector establishments in Rajasthan	2060
1330	Rural Employment Bureauk	2060–61
1331	Vacancies notified and filled in Madras State . .	2061
1332	Visit of British Scientific Adviser to British Defence Minister	2061
1333	Unemployed persons registered in Madhya Pradesh	2062
1334	Artificial Limbs Centre, Poona	2062
1335	Visits of Dignitaries . .	2062–63
1336	Border Roads Organisation .	2063–64
1337	Soviet Helicopters for India .	2064
1338	Quarters for P. & T. Employees, Delhi	2065
1339	Manufacture of Television Sets .	2065
1340	Fugitive Officers of Bhutan . . .	2066
1341	Meeting of Indo-Pak Area Commanders . . .	2066
1342	Revision of Cantonment Employees Service Rules, 1937 .	2066–67
1343	Duties of Lower Division Clerks in Ordnance Corps .	2067
1344	L.D.Cs. in Ordnance Corps . .	2067–68
1345	Missing file relating to V.O.A. .	2068
1346	Sainik Schools in Punjab . . .	2068–69
1347	Telephone Connections in Punjab .	2069
1348	Automatic Telephone Exchanges in Punjab . . .	2069
1349	Working Journalists in Rural Areas	2069–70
1350	Newsprint Quotas for anti-social Newspapers . .	2070

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1351	पितृत्व अवकाश	2070
1352	नई दिल्ली-लन्दन टेलेक्स सेवा	2071
1353	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसन्धान विभाग द्वारा तैयार किया गया टेलीविजन सेट	2071
1354	श्रीलंका में पकड़ा गया भारत विरोधी साहित्य	2071–72
1355	राज्य श्रम मन्त्रियों का सम्मेलन	2072
1356	एडिनबर्ग के ड्यूक की यात्रा	2072
1357	कलाकारों और लेखकों के साथ ठेके	2073
1358	जन संचार केन्द्र	2073
1359	टेलीफोन सेवाओं सम्बन्धी प्रशुल्क	2073–74
1360	छाई खास कोयला खान सम्बन्धी पंचाट	2074
1361	बंकोला कोयला खान	2074
1362	उड़ीसा में डाकिये	2075
1363	देश में रोजगार कार्यालय	2075–76
1364	त्रिपुरा में सैनिक टुकड़ी	2077
1365	उत्तर प्रदेश में अधिसूचित और भरे गये रिक्त स्थान	2077
1366	आगरा के डाक तथा तार कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें	2078
1367	नेफा में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	2078
1368	डाक तथा तार कर्मचारियों द्वारा चिट फण्ड का व्यापार	2078–79
1369	गणतन्त्र दिवस समारोह	2079
1370	सिक्किम को सहायता	2079–80
1371	आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त की सिक्किम यात्रा	2080
1372	अणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष को अमरीका यात्रा का परिणाम	2080–81
1373	श्रम सम्बन्ध	2083
1374	आगरा के निकट बूचड़खाना	2081
1375	औद्योगिक विवाद	2082
1376	कोयला सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की कार्यान्विति	2082
1377	रात्रि डाक-घर	2082

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1351	Maternity Leave . . .	2070
1352	New Delhi—London Telex Service	2071
1353	T.V. Sets designed by Research Department of Ministry of I & B	2071
1354	Anti-India Literature seized in Ceylon .	2071-72
1355	Conference of State Labour Ministers .	2072
1356	Visit of Duke of Edinburgh .	2072
1357	Contracts with Artists and Writers	2073
1358	Mass Communication Centre	2073
1359	Tariffs of Telephone Services . . .	2073-74
1360	Award in Case of a Chapue Khas Colliery	2074
1361	Bankola Colliery	2074
1362	Postmen in Orissa	2075
1363	Employment Exchanges in the country .	2075-76
1364	Military Unit in Tripura .	2077
1365	*Vacancies notified and filled in Uttar Pradesh*	2077
1366	Medical facilities for P & T Employees, Agra.	2078
1367	Rehabilitation of Ex-Servicemen in NEFA	2078
1368	P. & T. Officials running Chit Fund .	2078-79
1369	Republic Day Celebrations	2079
1370	Aid to Sikkim	2079-80
1371	Australian High Commissioner's Visit to Sikkim .	2080
1372	Outcome of Visit of Chairman, A.E.C. to U.S.A. . .	2080-81
1373	Labour Relations .	2081
1374	Slaughter House near Agra	2081
1375	Industrial Disputes	2082
1376	Implementation of Wage Board's Recommendations on Coal	2082
1377	Night Post Offices .	2082

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना 2083—85

(एक) चीनी साम्यवादियों के भारत-विरोधी प्रचार साहित्य का चोरी छिपे भारत में लाये जाने के समाचार 2083

श्री यशपाल सिंह 2083

श्री हाथी . . . 2083

(दो) 1962 में नेफा से चीनियों के वापिस जाने के बारे में श्री सुधीर घोष का कथन

श्री प्र० र० चक्रवर्ती 2084

श्री लाल बहादुर शास्त्री . . . 2084–85

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में—

कूच-बिहार सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा गोला बारी 2084, 2109–10

श्री नाथ पाई . . 2110

श्री स्वर्ण सिंह . . 2109–10

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . 2086

राज-भाषा अधिनियम में संशोधन पर खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में . 2086–87

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . 2087

सामान्य आयव्ययक — सामान्य चर्चा : 2087—2111

श्री मी० रु० मसानी . . 2087—90

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती 2090—94

श्रीमती रेणूका राय . . 2094—96

श्री अ० प्र० जैन . . . 2096—99

श्री अ० चं० गुह . . 2099–2100

श्री लहरी सिंह . . . 2101—02

श्रीमती शारदा मुकर्जी . . 2102—04

श्री रामनाथन चेट्टियार . . 2104–05

श्री दशरथ देव . 2106–07

श्री अन्सार हरवानी . . . 2107–08

श्री द्वा० ना० तिवारी 2108—09, 11

Subject PAGES

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE 2083-85

(*i*) Reported smuggling of anti-Indian Chinese propaganda literature into India 2083

Shri Yashpal Singh 2083

Shri Hathi 2083

(*ii*) Shri Sudhir Gosh's account of Chinese withdrawal from NEFA in 1962 2084-85

Shri P. R. Chakravarti . 2084

Shri Lal Bahadur Shastri . 2084-85

Re: Motion for Adjournment and Calling Attention Notice—

Pakistani firing on Cooch-Behar border . 2084.2109-10

Shri Nath Pai . 2110

Shri Swaran Singh . 2109-10

Papers laid on the Table . . 2086

Re: Statement of Food Minister on amendment to Official Language Act 2086-87

President's assent to Bills 2087

General Budget—General Discussion 2087—2111

Shri M. R. Masani . . . 2087—90

Shrimati Renu Chakravartty . . 2090—94

Shrimati Renuka Ray . 2094—96

Shri A. P. Jain . . 2096—99

Shri A. C. Guha . 2099-2100

Shri Lahri Singh . . 2101-02

Shrimati Sharda Mukherjee . . . . 2102—04

Shri R. Ramanathan Chettiar . . . . . 2104—06

Shri Dasaratha Deb . . . 2106-07

Shri Ansar Harvani 2107-08

Shri D. N. Tiwary 2108-09.11

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 22 मार्च, 1965/1 चैत्र, 1887 (शक)

Monday, March 22, 1965/Chaitra 1, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चीनी आक्रमण

\+
*499. श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब अफ्रीकी एशियाई देशों को विश्वास हो गया है कि चीन ने भारत-भूमि पर आक्रमण किया है,

(ख) यदि नहीं, तो उन देशों को भारत का अकाट्य पक्ष समझाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) इस उद्देश्य से उन देशों को कितने गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल भेजे गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) अफ्रो-एशियाई देशों में अधिकांश देश इससे आश्वस्त है कि चीन ने भारतीय भूमि पर हमला किया है, लेकिन उनमें से कुछ ने खुलकर चीन की निंदा नहीं की है ताकि भारत-चीन सीमा के प्रश्न का शांतिपूर्ण समाधान हो सके ।

(ख) राजनयिक और राजनीतिक स्तरों पर इन देशों को भारत का पक्ष समझा दिया गया है ।

(ग) विभिन्न गैर-सरकारी शिष्टमंडल अफ्रो-एशियाई देशों में गए हैं और जब कभी मौका मिला है, उन्होंने भारत-चीन सीमा प्रश्न पर भारत का पक्ष समझाया है ।

Shri Yashpal Singh: Our Prime Minister is going to participate in the Afro-Asian Conference to be held in Algeria. Would this matter also be discussed there?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : बहुत संभावना है कि प्रधान मंत्री अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन में भाग लें परन्तु उनके लिये ऐसा करना उनके अन्य कामों पर निर्भर करेगा । मैं इस समस्या के बारे में नहीं जानता परन्तु सामान्यतया महसूस यह किया जाता है कि इस सम्मेलन में द्विपक्षीय झगड़ों पर चर्चा नहीं की जानी चाहिये ।

Shri Yashpal Singh: Have the Government any proposal to send some more delegations to those countries?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी नहीं ।

श्री हिम्मत सिंहका : उस प्रतिनिधि मंडल ने किन किन देशों का दौरा किया है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सभी देशों का दौरा करने के लिए किसी विशेष प्रतिनिधिमंडल को नहीं भेजा गया । परन्तु मंत्रियों तथा अन्य व्यक्तियों ने समय समय पर कुछ देशों का दौरा किया और अपनी स्थिति बतलायी ।

अध्यक्ष महोदय : इन गैर-सरकारी प्रतिनिधि मंडलों ने कुछ देशों का दौरा किया है । वह जानना चाहते हैं कि उन्होंने किन किन देशों का दौरा किया ।

श्रीमती लक्ष्मीमेनन : उन्होंने लगभग सभी देशों-सभी दक्षिण अफ्रीकी, सभी पूर्व अफ्रीकी तथा पश्चिम एशिया के कुछ देशों—का दौरा किया ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या एक ही समुदाय के संसद सदस्यों के कुछ प्रतिनिधि मंडलों को कुछ मुस्लिम देशों का दौरा करने के लिये भेजा गया था, और यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन: कोई विशेष कारण नहीं था । ऐसा इसलिये हुआ कि जिन सदस्यों को चुना गया वे सभी एक ही विशेष समुदाय के निकले ।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या सरकार ने इन प्रतिनिधि मंडलों के दौरे के प्रभाव को आंकने का कभी प्रयत्न किया है, और यदि हां, तो ऐसा किस विभाग द्वारा किया गया और उसके क्या परिणाम निकले ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : किसी विशेष प्रतिनिधि मंडल के प्रभाव को आंकना बहुत कठिन है । परन्तु वहां पर इन प्रतिनिधि मंडलों से भेंट की गई और उन्हें अपनी स्थिति बतलाने का अवसर भी दिया गया ।

श्री हेम बरूआ : क्या यह सच नहीं है कि कुछ समय पूर्व काहिरा में हुए तटस्थ देशों के सम्मेलन में एकत्रित 48 देशों में से 47 देशों ने चीनी बम के विरुद्ध पीकिंग में एक प्रतिनिधि मंडल भेजने के हमारे प्रधान मंत्री के सुझाव का न केवल समर्थन ही नहीं किया परन्तु हमारी इस बात से भी संतुष्ट नहीं हुए कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात के पीछे राजनैतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों का पता लगाया है कि हमारी सरकार ने यदि कोई प्रयत्न किये थे तो वे, जहां तक अफ्रीकी-एशियाई देशों के सम्मेलन का सम्बन्ध, असफल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं मननीय सदस्य से पूछूंगा कि यदि वह ऐसा ही महसूस करते हैं तो क्या इसका बाहर प्रसारण करना तथा ऐसा अनुभव कराना कि हमारी संसद् के सदस्य इस प्रकार सोचते हैं, देश के हित में होगा .....

श्री हेम बरूआ : ऐसी बात नहीं है। मैं अपने प्रश्न को दो भागों में बांट सकता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : चाहे सभा के एक पक्ष में अथवा अन्य पक्ष में, प्रत्येक सदस्य वास्तव में यह देखना चाहता है कि देश के हितों को सुरक्षित रखा जाना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि यह एक सामान्य ज्ञान है और लगभग सारा संसार यह जानता है ? ....

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल उनसे अपील करूंगा क्या माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं उनसे इस बात से पूर्णरूपेण असहमत हूं और वह धारणा जिस पर उनका यह प्रश्न आधारित है किसी तथ्य अथवा स्थिति पर आधारित नहीं है। यह केवल उनका एक विचार है और मैं भी उनसे अपील करूंगा कि ऐसे प्रश्न पूछते समय हमें अपने देश के हितों तथा शान को ध्यान में रखना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : परन्तु यदि माननीय मंत्री हमारे देश के हितों तथा शान को कम कर दें, तो क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हम उनको इस बारे में बतायें ....

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। इस अवस्था में वह इस प्रयोजन के लिए एक प्रस्ताव द्वारा कार्यवाही कर सकते हैं, उनको इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिये।

Dr. Ram Manohar Lohia: The Government and the hon. Minister just now said that though Afro-Asian countries are in favour of our country but they are not condemning China openly. It is what the Chinese also say that though the Afro-Asian countries are not giving their support to China openly, they are, however, against India and are, in fact, with China. In the circumstances, are the Government thinking that the Afro-Asian countries wold not take their decision on the basis of merits of the incident of war between India and China but their decision would depend on their point whether they are more friendly with India or China and also on this fact that which country is helping in the fight against imperialism?

Shri Swaran Singh: We are, of course, considering their matter and many other things are also being considered, but we entirely disagree with his assessment.

Dr. Ram Manohar Lohia: Mr. Speaker, Sir, I would like to submit that . . .

Mr. Speaker: You asked whether that matter was being considered and be replied that it was also being considered. How can I ask him to give a reply to your statement, opinion and assessment given by you?

Dr. Ram Manohar Lohia: When I have failed to convince you of the importance of the question, how could the hon. Minister understand it.

Mr. Speaker: If we are not able to understand your question, we are, but, helpless. We would answer that what we can understand.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री इससे अवगत हैं कि चीन काफी साहित्य भेज रहा है, प्रतिनिधि मंडल भी भेज रहा है और मोड़ तोड़ कर तथ्यों का प्रसारण कर रहा है तथा भारत के विरुद्ध बहुत विषैला प्रचार कर रहा है; और यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या विशेष और निश्चित कार्यवाही की है और निकट भविष्य में वे क्या कदम उठाना चाहते हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस प्रश्न के एक भाग का उत्तर तो मुख्य उत्तर में, जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, दिया जा चुका है। यदि माननीया सदस्या उन प्रकाशनों को पढ़ें जो इस मंत्रालय ने निकाले हैं, तो उनको पता चलेगा कि हमने अपने दौत्यों द्वारा, सरकार के उन सदस्यों द्वारा जो विदेशों का दौरा करते हैं, और उनके अन्य एजेंसियों से सम्बन्धों द्वारा सीमान्त झगड़े के बारे में सही दृष्टिकोण को प्रकट करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी है ।

रूसी टैंक

\+

*500. { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री के० द० पुरी : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 21 सितम्बर, 1964 को सभा में दिये गये अपने वक्तव्य के पैरा 15 (तीन) के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे रूसी टैंक भारत को दिये जा चुके हैं जिन्हें रूस सरकार ने देने का वचन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने टैंक भारत पहुंच चुके हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि हल्के टैंकों को प्रयोग करने और उनके रख-रखाव का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारतीय शिल्पिक रूस भेजे गये थे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) और (ख) करार किये गये टैंक निश्चित प्रोग्राम के मुताविक दिये जा रहे हैं। सदन में और अधिक ब्यौरा बताना जन-हित में नहीं होगा।

(ग) जी, हां।

श्री रामेश्वर टांटिया : हमारे वर्तमान टैंकों तथा उन टैंकों के बीच क्या अन्तर है जो हम रूस से खरीद रहे हैं? क्या वे उनका संचालन दक्षिण-पूर्व सीमांत, एजेंसी तथा अन्य क्षेत्रों में कर सकेंगे?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): निःसन्देह इनमें और हमारे वर्तमान मध्यम आकार के टैंकों के बीच बहुत महत्वपूर्ण अन्तर है और वह यह है कि इसको हल्का टैंक कहते हैं। यह निःसन्देह हमारे युद्ध-संचालन के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। इनका कहां और कैसे संचालन किया जायेगा, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता।

Shri Yash pal Singh: Last year our Defence Minister had declared that we would become self-sufficient in this regard very soon. May I know as to when this self-sufficiency would be achieved and when we would be able to stop their import from Russia.

Shri Y. B. Chavan: I never said that we would become self-sufficient in regard to tanks.

सार्वजनिक व्यक्तियों को राजनयिक पद

\+

*501 **श्री यशपाल सिंह** :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री गो० ना० दिक्षित :
श्री रा० बरूआ :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सार्वजनिक व्यक्तियों ने राजनयिक पदों पर काम करने से इस कारण इन्कार कर दिया है कि उनको असैनिक कर्मचारियों की मार्फत काम करने के बजाये मंत्रियों से सीधे कार्य व्यवहार करने की अनुज्ञा दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को मान लेने में क्या आपत्ति है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Yashpal Singh: Have the Government noticed that if all the ambassadors begin to say that they would deal directly with the Minister, then what would be the status and rank of the Foreign Secretary for which we have so much regard for him?

Mr. Speaker: Why do you say about all? You enquired about one person only, you did not ask about all.

Shri Yashpal Singh: What decision has been taken by the goverrnment? Have the traditions of any other country been kept in view?

Mr. Speaker: He said that, nobody had asked for that?

Shri Yashpal Singh: This thing has been going for the last 20 days? Shri Bhim Sain Sachar has refused to go.

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): He has not yet refused. No final decision has yet been taken. A person who is an Ambassador or a High Commissoner can dial directly with the Minister or with the Foreign Secretary. There are no hard and fast rules in this connection.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि नियमों तथा विनियमों के अनुसार कूटनीतिज्ञों को सरकार से कार्य व्यवहार असैनिक कर्मचारियों की मार्फत करना पड़ता है? क्या मंत्री से सीधे कार्य व्यवहार करने में कोई प्रतिबन्ध है?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने स्पष्ट कर दिया है कि एसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने उच्चतम स्तर पर विदेशों में हमारे राजनयिक मिशनों में नियुक्तियों के प्रश्न पर विशेषतया सार्वजनिक व्यक्तियों के अनुपात को बढ़ाने के बारे में, नये सिरे से विचार किया है बजाय इसके कि उनमें केवल वैदेशिक सेवा के व्यक्ति ही रखे जायें?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से ही उठता है और एसी बातों का सम्बन्ध वैदेशिक सेवा के कार्यकरण से सम्बद्ध मामलों से है।

अध्यक्ष महोदय : डा० सिंघवी एक पारंगत वकील हैं। इस सीमित प्रश्न में कि क्या कुछ सार्वजनिक व्यक्तियों ने किसी कारण राजनयिक पद स्वीकार करने से इन्कार किया है। यह सब कुछ नहीं पूछा जा सकता।

श्री कपूर सिंह : इस मामले में, जिस का माननीय मंत्री ने अभी उल्लेख किया है, निश्चित बात क्या है जिसमें एक राजनयिक पद-ग्रहीता ने स्थायी सेवाओं पर सार्वजनिक व्यक्तियों की श्रेणी श्रेष्ठता के कुछ प्रश्नों को उठाया है?

श्री स्वर्ण सिंह : यह प्रश्न इस रूप में नहीं उठाया गया जिस रूप में माननीय सदस्य ने पूछा है। वृत्तिक राजनयिक के विरूद्ध सार्वजनिक व्यक्तियों की श्रेणी श्रेष्ठता का कोई प्रश्न नहीं है। एसा कोई सुझाव भी नहीं है।

श्री बासप्पा : क्या असैनिक कर्मचारियों तथा सार्वजनिक व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्यों को आंका गया है और उनमें क्या अन्तर मिला है ?

अध्यक्ष महोदय : उसी प्रश्न को, जो डा० सिंघवी ने पूछा था, पुनः दुहराया जा रहा है ।

श्री स्वर्ण सिंह : ऐसा तो हमेशा किया जाता है । सार्वजनिक व्यक्तियों में से कुछ बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ हुए हैं और सेविवर्ग से भी बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ हुए हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक व्यक्तियों तथा स्थायी अधिकारियों को सौंपे गये राजनयिक पदों का क्या अनुपात है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे यह जानकारी देते हुए हर्ष होगा यदि इस बारे में एक अलग प्रश्न पूछा जाये क्योंकि यह जानकारी अभी मेरे पास तैयार नहीं है ।

Shri Prakash Vir Shastri: The hon. Minister just indicated that Shri Bhimsen Sachar, who had been assigned to the post of High Commissioner in Ceylon has raised some objections. The hon. Minister has not given any clarificaton in his statement as to what particular objection he had raised. How for the Ministry has succeeded to remove that objection?

श्री कपूर सिंह : इस राजनयिक ने क्या प्रश्न उठाया था ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुख्य प्रश्न जो श्री सच्चर ने उठाया था वह पूर्वता प्रमाणपत्र में उनकी स्थिति के बारे में था ।

Shri Prakash Vir Shastri: My last point has not been answered. How far the Ministry has succeeded to remove that objection which was raised by him?

श्री स्वर्ण सिंह: इस बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या सार्वजनिक व्यक्तियों की कूटनीतिज्ञों के रूप में भर्ती करने की नीति को जारी रखा जायेगा जैसे कि पहले थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी, हां । वहीं नीति जारी रहेगी ।

Minorities in Pakistan

\+

*502. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri P. H. Bheel:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the minorities in Pakistan are still being subjected to various forms of harassment as reported by the displaced persons coming from Pakistan; and

(b) if so, wherether Government have under consideration any proposal to bring those minorities from Pakistan to India?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon): (a) Yes, Sir.

(b) No such proposal is under the consideration of Government.

Shri Onkar Lal Berwa: Are minorities still coming to India? May I know the total number of persons who have already come and the number of them still there?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : पाकिस्तान से आए लोगों की ठीक संख्या का मुझे पता नहीं है। इसके लिए एक पृथक प्रश्न पूछा जाय जिसमें उस अवधि का भी उल्लेख किया जाए जिसके लिए जानकारी अपेक्षित है ।

Mr. Speaker: Are they still coming?

Shrimati Lakshmi Menon: They are still coming.

Shri Onkar Lal Berwa: What is the rate of their coming over here?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह बता सकती हैं अभी कितने आ रहे हैं?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इन संख्याओं के बारे में पुनर्वास मंत्री ने सभा में बतलाया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूर्वी पाकिस्तान में हो रही गड़बड़ के कारण गैर-मुस्लिम शरणार्थी, जिसमें हिन्दू, बौद्ध और आदिमजातीय लोग शामिल हैं, यहां आ रहे हैं । बाद में उनके आने की दर में कमी हुइ है लेकिन यदि एक पृथक प्रश्न पूछा जाए तो मैं आंकड़े एकत्र करने का प्रयत्न करूंगा।

Shri Onkar Lal Berwa: Has there been any high level talks to solve this problem and if so, the result thereof?

श्री स्वर्ण सिंह: प्रयत्न किए गए हैं लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : पाकिस्तान उच्चायोग के परिपत्रों द्वारा हमें पता है कि अल्प-संख्यक–हिन्दू और गैर-हिन्दू जैसे ईसाई और अन्य लोग–भारी संख्या में भारत से पाकिस्तान लौट रहे हैं। क्या यह सच है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं नहीं कह सकता क्योंकि माननीय सदस्य पाकिस्तान उच्चायोग के किसी परिपत्र का हवाला दे रहे हैं। ये परिपत्र देखे बिना मेरे लिए कुछ भी कहना कठिन है।

अध्यक्ष महोदय क्या उनको यह पता है कि जो लोग यहां आए थे, वास्तव में उनमें से कुछ वापस जा रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : सम्भवत: इसका ठीक उत्तर तो त्यागी जी दे सकेंगे। यदि पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए लोग वापस गए होंगे, तो उनकी संख्या बहुत थोड़ी होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : लेकिन इसमें कहा गया है कि बड़ी संख्या में ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : पूर्वी पाकिस्तान में शोचनीय स्थिति को देखते हुए और अल्पसंख्यकों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए क्या सरकार ने पहली अप्रैल से सीमा बन्द कर देने का फैसला किया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी): आप्रव्रजन प्रमाणपत्र देने के तरीके में ढील दे दी गई है और बिना प्रमाणपत्रों के आने वालों की संख्या घट रही है । अतः हमने यह फैसला किया है कि वर्तमान परिस्थिति में, जब कि सीमांत की सुरक्षा बहुत आवश्यक है, केवल उन्हीं लोगों को आने दिया जाए जिनके पास आप्रव्रजन प्रमाणपत्र, पासपोर्ट या वीसा हो और मैं समझता हूं कि यह तरीका सफल हुआ है । राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि बिना वैध कागजातों के आने वालों की संख्या घट रही है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: जनवरी, 1964 से शरणार्थियों के लगातार आने से, जिनकी संख्या दस लाख तक पहुंच गई है, प्राप्त अनुभवों को देखते हुए, सरकार ने सीमा बन्द कर देने का फैसला किस औचित्य पर किया ?

श्री त्यागी: सीमा की सुरक्षा की जानी है । यह सभा को ज्ञात है । हाल ही में सभा में इस बारे में प्रश्न किए गए थे कि पाकिस्तान की ओर से सभी प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही हैं और हम अपनी सीमा पर ढील नहीं छोड़ सकते । अतः हमें यह देखना है कि सीमांत की पूरी सुरक्षा की जाए ।

श्री हेम बरुआ: क्या सरकार को पता है कि हाल में पाकिस्तान में भारत विरोधी प्रचार उग्र रूप से किया जा रहा है और इस देश में असुरक्षा की स्थिति भी चरम सीमा पर पहुंच रही है और यदि हां, तो सरकार ने एकदम और मनमाने ढंग से पूर्वी पाकिस्तान से इन लोगों के प्रवश पर रोगक लगाने के लिए पहली अप्रैल क्यों निर्धारित की ? इसके क्या विशिष्ट कारण हैं और सरकार ने पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति को ध्यान में क्यों नहीं रखा ?

श्री त्यागी.: में बता चुका हूं कि सीमा एकदम बन्द नहीं की गयी है । यह अनधिकृत व्यक्तियों के लिए बन्द की गई है । जो लोग आप्रव्रजन प्रमाणपत्र और पासपोर्ट पर आ सकते हैं, वे अब भी बेरोकटोक आ रहे हैं । उनको आने दिया जाता है ।

श्री हेम बरुआ: क्या सरकार को पता है कि ढाका में वैध कागजात पाना बहुत कठिन है ?

अध्यक्ष महोदय: अब हम इस पर बहस नहीं कर सकते ।

श्री श्री नारायण दास: क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जाति के व्यक्तियों को बड़ी संख्या में विभिन्न यातनाओं के कारण अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन: ऐसे मामले हुए हैं । लेकिन इस बारे में हमारे पास ठीक जान कारी नहीं है कि ऐसे मामले कितने हुए हैं ।

श्री हेम बरुआ: श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । उनका कहना है कि उनके पास ठीक जानकारी नहीं है । पाकिस्तान में हमारे कूटनीतिक मिशन क्या कर रहे हैं यदि वे उस देश में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के धर्म परिवर्तन के बारे में तथ्य भी हमें नहीं दे सकते ?

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न-काल में, मैं इस पर अधिक जोर नहीं दे सकता। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इसे महसूस करेंगे ।

Shri D. N. Tiwary: Is it in the knowledge of the Government that due to recent disturbances on the Cooch-Behar border and after the statement of Shri Bhutto, there has been discontentment among the minorities in Pakistan and they want to come here. May I know whether some efforts are made to remove their fear and whether in view of all this, they would be allowed to come?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं महसूस करता हूं कि कूच-बिहार में और अन्य स्थानों पर, यदि गड़बड़ जारी रही तो पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन हमें इस मामले को सुलझाना है, इसका केवल मात्र उपाय यह नहीं है कि अल्पसंख्यकों को यहां आने को कहा जाए। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह तनाव कम हो और क्रियाकारी कदम उठाये जाएं, अन्य कदम उठाने हैं ।

श्री हेम बरुआ : पाकिस्तान में कुछ हजार व्यक्ति मरने दी जिए और फिर कुछ कदम उठाइए :

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

विभिन्न उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड

\+

*503. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम हरख यादव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस" की कार्यकारिणी समिति ने हैदराबाद में स्वीकृत एक संकल्प के द्वारा सरकार से अनुरोध किया है कि वह रसायन-पदार्थ, उर्वरक, कागज, मोटर परिवहन और बिजली जैसे उद्योगों के लिए, जिनके लिए अब तक मजूरी बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है, मजूरी बोर्ड स्थापित करे ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उस बारे में क्या विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया): (क) चौथी योजना की श्रम नीति संबंधी अपने सुझावों में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने इनमें से कुछ उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड का सुझाव दिया है ।

(ख) भारी रासायनिक पदार्थों और उर्वरकों के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस द्वारा स्वीकृत संकल्प में अन्तर्निहित अन्य उद्योगों के लिए भी मजूरी बोर्ड स्थापित करेगी ?

श्री संजीवैया : जी, हां । बिजली उपकरणों, फिल्म और हथकरघा बुनकरों के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित किए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: क्या सरकार ने रेलवे के लिए भी मजूरी बोर्ड स्थापित करने का कोई फैसला किया है ?

श्री संजीवैया : हमें यह मामला भेजा गया था लेकिन हमको रेलवे मंत्रालय के परामर्श से फैसला करना। लेकिन सभा को याद होगा कि रेलवे बजट तर चर्चा के दौरान हाल ही में रेलवे मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि रेलवे के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित करने के लिए वह सहमत नहीं है।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सह है कि प्रदेशवार और उद्योगवार श्रमिकों की मजूरी में बड़ा अन्तर है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और उनकी क्या उपपत्तियां हैं ?

श्री संजीवैया : जब मजूरी बोर्ड स्थापित किए जाते हैं तो इन मजूरी बोर्डों की सिफारिशें, जब तक मजूरी बोर्ड स्वयं विभिन्न मजूरी दर की सिफारिश न करे, समान होती हैं। जहां तक राज्यों में विभिन्न मजूरी स्तरों का सम्बन्ध है, मैं इस समय इस का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री रंगा : क्या हम यह समझें कि हथकरघा बुनाई उद्योग के प्रतिनिधियों ने यह सिफारिश की है कि इस बात को देखते हुए कि यह केवल कुटीर उद्योग है, हथकरघा बुनकरों और हस्तशिल्प के लिए भी एक मजूरी बोर्ड स्थापित किया जाए अथवा सरकार का इरादा शक्तिचालित करघा उद्योग में बुनकरों के हितों को रक्षा के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित करने का है ?

श्री संजीवैया : हथकरघा बुनकरों ने सरकार को अभ्यावेदन दिए हैं और मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं कि सरकार हथकरघा बुनकरों के लिए मजूरी बोडो स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ?

डा० रानेन सेन : इस बात को देखते हुए कि इन सभी उद्योगों में मजूरी का स्तर और श्रमिकों की काम की शर्तें समान नहीं हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार निकट भविष्य में मजूरी बोर्ड शीघ्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री संजीवैया : मैं स्पष्ट रूप से बता चुका हूं कि सरकार बिजली उपक्रमों, फिल्म और हथकरघा बुनकरों के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित करेगी। जहां तक कागज, चमड़ा, परिवहन, बीडी आदि अन्य उद्योगों का सम्बन्ध है, हम अभी इस बारे में राज्य सरकारों से परामर्श कर रहे हैं।

श्री दाजी : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि रेलवे के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित करने का मामला उनके मंत्रालय को भेजा गया था और रेलवे मंत्रालय इसके विरुद्ध है। क्योंकि इस मामले में रेलवे मंत्रालय नियोजक है, मैं यह जानना चाहता हूं कि रेलवे के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में श्रम मंत्रालय की स्वतंत्र राय क्या है जबकि दोनों वर्गों के श्रमिकों ने इसकी मांग की है ? क्या श्रम मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रेलवे के लिए मजूरी बोर्ड आवश्यक नहीं है अथवा यह निर्णय केवल इसलिए है कि रेलवे मंजूरी बोर्ड नियुक्त किए जाने से इन्कार करेगा ?

श्री संजीवैया : चाहे कोई विशेष मंत्री अथवा मंत्रालय नियोजक हो या न हो, पहले तो हमें मजूरी बोर्ड स्थापित करने का फैसला करने से पूर्व सम्बंधित मंत्रालय से परामर्श करना पड़ता है। दूसरे यह सच है कि रेलवे मंत्रालय के दोनों फेडरेशनों ने श्रम मंत्रालय को मजूरी बोर्ड स्थापित किएजाने के लिए अभ्यावेदन किया है। श्रम मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि सरकार हथकरघा बुनकरों के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित किए जाने पर विचार कर रही है । क्या सरकार ने शक्तिचालित करघा कारखानों के लिए भी मजूरी बोर्ड स्थापित करने पर विचार किया है ?

श्री संजीवैया: जब हम हथकरघा बुनकरों के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित करेंगे तो शक्ति-चालित करघा उद्योग में नियोजित श्रमिकों को भी ध्यान में रखेंगे ।

Shri Gulshan: I want to know whether this wage board will take into consideration the agricuiltural Labour.

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri R. K. Malviya): It is not clear as to which industry he is referring.

Some Hon. Members : Agriculture.

Shri R. K. Malviya: Agricultural labour have no connection with the wage board. There is a Minimum Wages Act for them and the State Governments fix their wages.

Shri Madhu Limaye: On the demand of a wage board for railways, the Hon. Railway Minister, while refusing to accept their demand said that in the present process. They are getting more facilities. May I know whether this could also not be decided by putting all this before the wage board when the workers have said that they would get more benefits from the wage board?

श्री संजीवैया : मैं बता चुका हूं कि श्रम मंत्रालय ने इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है । यह अभी इस पर विचार कर रहा है । जब श्रम मंत्रालय फैसला कर ले, तब मजूरी बोर्ड की नियुक्ति का मामला बनता है और हम निश्चय ही इस बारे में सबंधित मंत्रालय से बातचीत करेंगे ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने किन कारणों से उर्वरक उद्योग और हथकरघा उद्योग आदि के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित करने और भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस की सिफारिशों के अनुसार अन्य उद्योगों केलिए, मजूरी बोड स्थापित न करने के फैसले किए हैं ?

श्री संजीवैया सामान्यत: हम विभिन्न उद्योगों की स्थिति और परिस्थिति का अध्ययन करते हैं । जहां तक हम यह समझते हैं कि श्रमिकों और श्रमिक-कल्याण की स्थिति संतोषजनक नहीं है और श्रमिक बातचीत द्वारा अपनी मांगें नहीं मनवा सकते तो हम मजूरी बोर्ड स्थापित कर देते हैं ।

श्री अ० प्र० शर्मा : जब कि गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों और विशेषत: उर्वरक उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित करने के लिए श्रम मंत्रालय को ही अन्तिम रूप से अधिकार है तो फिर श्रम मंत्रालय ने रेलवे मंत्रालय से परामर्श करने के लिए रेलवे के बारे में यह विशेष कदम क्यों उठाया है और श्रम मंत्रालय का निर्णय अन्तिम क्यों नहीं है ?

श्री संजीवैया : रसायनों और उर्वरकों के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित करने के मामले में भी हमने सम्बंधित मंत्रालय से परामर्श किया है । इसी प्रकार हम रेलवे से भी परामर्श कर रहे हैं ।

श्री बास्सप्पा : क्या सरकार की निगाह में मजूरी बोर्ड स्थापित न करने के लिए रेलवे मंत्री द्वारा बताए गए कारण पर्याप्त हैं ?

श्री संजीवैया : श्रम मंत्रालय को रेलवे मंत्री अथवा रेलवे मंत्रालय से कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है । हमें जो कुछ पता है वह सभा में दिया गया उनका वक्तव्य है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या मजूरी बोर्ड स्थापित किए जाने से औद्योगिक शांति स्थापित हुई है और श्रमिकों में खुशहाली फैली है और यदि हां, तो अन्य लोगों को ये सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती ?

श्री संजीवैया : इसी कारण तो हम अधिकाधिक मजूरी बोर्ड स्थापित कर रहे हैं ।

श्री अल्वारेस : रेलवे मंत्रालय से परामर्श किए जाने के अतिरिक्त मजूरी बोर्ड स्थापित करने या न करने का अन्तिम फैसला कौन करेगा ?

श्री संजीवैया : यह निर्णय तो श्रम मंत्रालय ही करेगा ।

श्री अ० प्र० जैन : क्या मजूरी बोर्ड स्थापित करने के बारे में सरकार की कोई निश्चित नी ति है अथवा वह किसी मंत्री की इच्छा या अनिच्छा पर निर्भर है ?

श्री संजीवैया : जी, नहीं । यह किसी मंत्रालय अथवा मंत्री के विचारों या राय पर ही निर्भर नहीं करता । जैसा मैंने बताया कि अन्तिम निर्णय श्रम मंत्रालय ही करता है । हम इसकी पूरी तरह जांच करेंगे और यदि हम यह समझें कि मजूरी बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए, तो हम निश्चित ही मजूरी बोर्ड स्थापित कर देंगे ।

Committee on Broadcasting and Information Media

+

*504 **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri K. C. Pant:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Hukum Chand Kacchavaiya:
Shri R. S. Pandey:
Shri Himatsingka:
Shri R. Barua:
Shri L. N. Bhanja Deo:
Shri D. D. Mantri:
Shri Rameshwar Tantia:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 2 on the 17th November, 1964 and state:

(a) whether the composition, terms of reference and the tenure of the Committee on Broadcasting and Information Media have since been finalised;

(b) if so, the Particulars thereof; and

(c) whether the Committee has commenced its work and when is it likely to submit the Report?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): (a) Yes, Sir.

(b) The particulars are cotained in the Government Resolution No. 1/1/64—CBIM, dated the 4th December, 1964, which was published in the Gazette of India dated the 4th December, 1964. A copy thereof is, however laid on the table of the Sabha. [*Placed in Library*. See *No. L- 4024/65*].

(c) Yes, Sir. The Committee has taken up the question of All India Radio in the first instance and an interim report on this is expected shortly Reports on other Media Units will be submitted as work on each is completed.

Shri Prakash Vir Shastri: I want to know the number of sittings held by the Committee so far. As the Hon. Minister said that they are first discussing about the A.I.R. So, I want to know the decision arrived at so far after the sittings held so far?

Shrimati Indira Gandhi: I cannot exactly give the number of sittings but many sittings were held and as I said earlier, their report has not so far reached us.

Shri Prakash Vir Shastri: I want to know whether before taking any decision on the report of the committee, the report will be presented in the House.

Shrimati Indira Gandhi: I do not know the rule in such cases but I think generally such reports are not presented in the House.

Shri Jagdev Singh Siddhanti: May I know whether in this new programme, are you considering to cut down the Hindi programme?

Shrimati Indira Gandhi: Yes, Sir.

श्री दाजी : समूची नीति के बारे में फैले असंतोष को देखते हुए क्या सरकार ने इस बारे में कोई समय सीमा निर्धारित की है कि सरकार को अन्तरिम प्रतिवेदन और अन्तिम प्रतिवेदन कब तक दिया जाना चाहिए ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : हमें आशा है कि अन्तरिम प्रतिवेदन शीघ्र ही मिल जाएगा ।

श्री दाजी : 'शीघ्र' से आपका क्या तात्पर्य है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : वास्तव में अन्तिम प्रतिवेदन देने के लिए मूल रूप से छः महीने का समय रखा गया था लेकिन जब पहली बैठक हुई तो यह महसूस किया गया कि यह काम बहुत बड़ा है, अनेकों माध्यमों के बारे में विचार किया जाना है और इसके लिये छः महीने का समय पर्याप्त नहीं रहेगा । अतः कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

Shri Onkar Lal Berwa: Neither of the members in the Committee is musician nor Drama artist. On what basis the selection was made?

Shrimati Indira Gandhi: This is not the question of performing music or drama..

Shri Onkar Lal Berwa: Thay should have that knowledge.

Shrimati Indira Gandhi: They all know about that. I have repeatedly said on the floor of the House, that this question relates about the media through which it can reach to the masses. These persons are also consulting those who have knowledge of music, drama etc.

Shri Gulshan: Has it come to the knowledge of the Hon. Minister that Panjabi people are not satisfied with the Panjabi programme relayed from A.I.R.

Shrimati Indira Gandhi: It has not been brought to our notice.

Shri Gulshan: We know it.

हाल में स्वतंत्र हुए अफ्रीकी देश

+
*505. { **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री ज० ब० सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्रभातकार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में स्वतंत्र हुए अफ्रीकी देशों के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या ठोस कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख). भारत सरकार अफ्रीका के नव स्वाधीन देशों के साथ निकट संबंध रखने की आवश्यकता के प्रति पूर्ण रूप से सजग है । भारत ने अफ्रीका के 31 देशों के लिए पहले ही 18 रिहायशी राजनयिक मिशन रखे हैं ।

एक-दूसरे देश में अक्सर यात्राएं होती रहती हैं जिन से मित्रतापूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है और भारत तथा अफ्रीका के देशों को एक-दूसरे के निकट लाने के लिए सहयोग के विभिन्न उपाय बरते जाते हैं जिन में तकनीकी और वित्तीय सहायता शामिल हैं ।

श्री हिम्मतसिंहका : वित्तीय और तकनीकी सहायता किन देशों को दी गयी है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं अभी पूरी सूची तो नहीं बता सकता लेकिन हम ने अनेक देशों को, जैसे नाइजीरिया, इथोपिया, सूडान, संयुक्त अरब गणराज्य और अन्य देशों को तकनीकी सहायता दी है । उगांडा में हम एक चीनी कारखाना स्थापित कर रहे हैं ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इनमें से कुछ देशों को कोई व्यापारिक शिष्टमंडल भेजे गये ; यदि हाँ, तो उनकी उपपत्तियां क्या हैं और वहां पर व्यापार की संभावनाएं क्या हैं ?

श्री दिनेश सिंह : कुछ व्यापार शिष्टमंडल गये हैं लेकिन इतने से समय में मैं ब्यौरेवार नहीं बता सकता । उनके फलस्वरूप कुछ सहयोग मिला है । जैसा मैंने बताया, उसका में एक चीनी मिल स्थापित की जा रही ह ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि कुछ नए अफ्रीकी प्रजातंत्र देशों ने भारत सरकार से कहा है कि वे भारी व्यय के कारण यहां पर अपने कार्यालय खोलने का खर्च बर्दाशत नहीं कर सकते; यदि हां, तो क्या सरकार ने उनको कोई सहायता देने को फैसला किया है ?

श्री दिनेश सिंह : जी नहीं । न कोई सहायता मांगी गयी है और न कोई सहायता दिया जाना बांछनीय है ।

श्री अन्सार हरवानी : क्या सरकार को पता है कि चीन के कुछ प्रमुख नेताओं ने, जिन में श्री चाऊ-एन-लाई भी शामिल है, इन नये स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का दौरा किया है ? यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री अथवा विदेश मंत्री अथवा सरकार के कुछ बड़े नेता इन देशों का दौरा करेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : जी, हां । हमें चीनी प्रधान मंत्री के दौरे का पता है । हमें आशा है कि हमारे प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के लिए इन देशों का दौरा करना संभव होगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : चीन इन देशों को सांस्कृतिक शिष्टमंडल, व्यापार शिष्टमंडल और अन्य शिष्टमंडल भेज रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का भी इन देशों को ऐसे शिष्टमंडल भेजने का कोई विचार है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं बता चुका हूं कि हम ने व्यापार शिष्टमण्डल भेजे हैं । चीन कई प्रकार के शिष्टमंडल भेजता है और मैं नहीं समझता कि हमारे लिए भी उसी प्रकार के शिष्टमण्डल भेजना आवश्यक है ।

Shri Kishen Pattnayak: Are there some African countries which have their diplomatic relations with China but not with India?

Shri Dinesh Singh: We shall have to find out that.

श्री दाजी : कुछ नये स्वतंत्र हुए अफ्रीकी देशों की कठिनाईयों को देखते हुए जब पिछले वर्ष इस सभा में एक सुझाव दिया गया था तो सरकार ने इस मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया था । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने उनको दीर्घकालीन और अल्पकालीन ऋण देने का कोई फैसला किया है ?

श्री दिनेश सिंह : जी, हां ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को पता है कि चीनियों के उन देशों के दौरे से चीन ने विभिन्न प्रकार से राजनीतिक, कुटनीतिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक स्तर पर नव-स्वतंत्र अफ्रीकी देशों में अपना घर कर लिया है । यदि हां, तो क्या सरकार उन देशों में चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए भारत का गुणगान करने के लिए कोई विशेष उपाय करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : हमारे उन देशों के साथ बड़े मैत्री-सम्बन्ध हैं और हम उन सम्बन्धों को और सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : डा० रानेन सेन ।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन, यह उत्तर बड़ा असंतोषजनक है । उन्हें प्रश्न के महत्व और सदस्यों की भावना को समझना चाहिए . . .

अध्यक्ष महोदय : पहले ही यह आरोप लगाए गए हैं कि मैं बहुत बोलता हूं । अतः मुझे चुप ही रहना चाहिए ।

श्री हेम बरुआ : : ऐसा किसने कहा ? किसी ने भी ऐसा नहीं कहा ।

अध्यक्ष महोदय : कल के ब्लिट्ज़ में --- एक माननीय सदस्य के संवाददाता सम्मेलन से मैंने पढ़ा है ।

श्री अ० प्र० जैन : आप इस बात को छोड़िये । हम आपका हस्तक्षेप चाहते हैं।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि भारत से दी जा रही अधिकांश सहायता गैर-सरकारी क्षेत्र से दी जा रही है और सरकारी क्षेत्र से नहीं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र से सहायता बढ़ाने पर विचार किया है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं नहीं समझता कि सहायता केवल गैर-सरकारी क्षेत्र से दी जा रही है । यह सरकारी क्षेत्र से भी दी जा रही है ।

संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा भारत को आश्वासन

\+

*506. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्रीमती शारदा मुकर्जी : }

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य ने भारत को आश्वासन दिया है कि पाकिस्तानी सैनिक प्रतिनिधि मण्डल के हाल के काहिरा के दौरे के परिणामस्वरूप संयुक्त अरब गणराज्य और पाकिस्तान के बीच किसी प्रकार का सैनिक समझौता वार्ता नहीं हुई है ; और

(ख) क्या कोई सैनिक प्रतिनिधि मंडल काहिरा भेजने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) हमें पता चला है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल की यात्रा सौजन्य सूचक यात्रा थी और उसने सैन्य संबंधी कोई बातचीत नहीं की ।

(ख) विगत समय में संयुक्त अरब गणराज्य और भारत के बीच सैनिक प्रतिनिधि मंडल आए-गए हैं और ऐसी प्रत्याशा की जाती है कि इस प्रकार की यात्राएं भविष्य में भी होती रहेंगी ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राष्ट्रपति अयूब के चीन के साथ सांठ-गांठ करने के बाद पाकिस्तान के इस शिष्टमण्डल के दौरे का कोई राजनीतिक उद्देश्य था ?

श्री दिनेश सिंह : हमने इस मामले पर बातचीत की थी और हमें बताया गया कि इस में कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : संयुक्त अरब गणराज्य के नेतृत्व में अरब राष्ट्रों और पश्चिम जर्मन संघ गणराज्य के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए क्या यह सच है कि अरब राष्ट्रों ने भारत का सहयोग मांगा है और यदि हां, तो इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही ?

श्री दिनेश सिंह : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । लेकिन हमें समय समय पर अरब देशों से अभ्यावेदन मिलते हैं और हम इस बारे में अपने विचार बताते हुए वक्तव्य देते हैं ।

डा० रानेन सेन : हाल ही में समाचार-पत्रों में समाचार छपा है कि संयुक्त अरब गणराज्य के एक सैनिक शिष्टमण्डल ने पाकिस्तान का दौरा किया ; बाद में एक पाकिस्तानी सैनिक शिष्टमण्डल संयुक्त अरब गणराज्य गया । यह भी समाचार छपा कि इन देशों का दौरा करने वाले सैनिक शिष्टमण्डलों के बीच कुछ बातचीत हुई । क्या सरकार को पता है कि इन दोनों शिष्टमण्डलों के बीच क्या बातचीत हुई ?

श्री दिनेश सिंह : जब शिष्टमंडल गए हैं तो बातचीत तो हुई होगी लेकिन हम समझते हैं कि उनका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : जब मैंने पहले सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था कि पाकिस्तानी सैनिक शिष्टमंडल संयुक्त अरब गणराज्य जा रहा है तो मैंने उस समय दो विशिष्ट प्रश्न पूछ थे और मंत्री महोदय ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया था । अब मैं फिर वे प्रश्न पूछता हूं ।

श्री दिनेश सिंह : मुझे प्रश्न मालूम है ।

श्री हेम बरुआ : बहुत अच्छा । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि जब पाकिस्तानी सैनिक शिष्टमंडल ने काहिरा का दौरा किया तो उस समय भारतीय राजदूत काहिरा में मौजूद न थे और क्या यह सच है कि वहां पर भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव ने पाकिस्तानी सैनिक शिष्टमंडल के दौरे के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तब ी जब कि उनको नई दिल्ली से रिपोर्ट देने को कहा गया ।

श्री दिनेश सिंह : यह सच है कि जब पाकिस्तानी सैनिक शिष्टमण्डल ने संयुक्त अरब गणराज्य का दौरा किया तब हमारे राजदूत वहां न थे । वह इस दौरे की सूचना प्राप्त होने से पहले छुट्टी पर चले गये थे । जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है हमें 'चार्ज-डि-अफयर्स' से, जो कि एक वरिष्ट अधिकारी होता है और उन का पद मंत्री के समान है, बिना कहे रिपोर्ट मिली ।

अध्यक्ष महोदय : यह आकस्मिक हो सकता है । लेकिन यदि चार या पांच मामलों में ऐसा होता है, तो माननीय सदस्य उनको आपस में जोड़ देते हैं । ऐसे मामले हुए हैं जब कि हमारे प्रतिनिधि नाजुक अवसरों पर अनुपस्थित रहते हैं ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): हमने इस बात को नोट कर लिया है । लेकिन प्रश्न तभी पूछे जाते हैं, जब ` नहीं होते हैं और यदि वे नाजुक अवसरों पर मौजूद रहे तो कोई प्रश्न ही न हो ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री हेम बरुआ : यह तो केवल दिखावा मात्र है । जब चीनियों ने आक्रमण किया हमारे राजदूत वाशिंगटन से अनुपस्थित था, वह नेपाल से अनुपस्थित था; वह संयुक्त अरब गणराज्य से अनुपस्थित था । वह सदैव अनुपस्थित रहते हैं।

भारत पाकिस्तान सीमा पर मुठभेड़

\+

*508. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री उइके :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राधेलाल व्यास :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 2 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 304 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 दिसम्बर, 1964 के बाद जम्मू तथा कश्मीर के अतिरिक्त भारत-पाक सीमा पर नये अवैध प्रवेश कीं घटनायें हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) जी हां । खास तौर से गुजरात-सिंध , असम-पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल-पूर्व पाकिस्तान सीमाओं पर ।

(ख) भारत-पाकिस्तान सीमा के सभी क्षेत्रों में घुसपैंठ और झगड़ों के बारे में पूरी सूचना इकट्ठी की जा रही है और कुछ समय में एक ब्यौरा सदन की मेज़ पर रख दिया जायगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय असम और कूच-बिहार क्षत्रों में पाकिस्तान राइफल्स द्वारा अतिक्रमण और घुसपैंठ के बारे में नवीनतम स्थिति के बारे में सभा में एक वक्तव्य दें ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैंने यहां कार्य के अन्तिम दिन एक वक्तव्य दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि समय समय पर वे रिपोर्ट देते रहेंगे ।

श्री स्वर्ण सिंह : आज शाम को मैं फिर नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दूंगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने इन विभिन्न घटनाओं का विश्लेषण किया है और समूचे मामले पर पाकिस्तान सरकार से नये सिरे से बातचीत करना चाहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन घटनाओं के पीछे उद्देश्य क्या है और यदि हां, तो क्या सरकार भारतीय स्थिति को समझने के लिए कोई प्रयत्न करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह: हमने इसका विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है । इस निष्कर्ष पर पहुंचाना बड़ा कठिन है कि इसके उद्देश्य क्या हैं। हम स्थिति के बारे में, उसको देखते हुए कार्रवाई करते हैं। फिर इन सभी स्थानों पर जहां घुसपैठ की गई है, स्थिति समान नहीं होती। लेकिन हमें इसका पता है और हम निरन्तर सम्बन्धित राज्य सरकारों से जहां घुसपैठ की गई है और अन्यों से सम्पर्क बनाए हुए हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या सरकार ने इन सीमांत झड़पों में कोई शस्त्र पकड़े हैं और क्या पाकिस्तान के साथ इन सीमांत झड़पों में कोई अमरीकी हथियार पकड़े गये हैं ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इनमें से अधिकांश झड़पें ढोरों को ले जाने, डाका डालने, भारतीयों के अपहरण आदि के बारे में है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या कोई हथियार पकड़े गये हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : कोई हथियार नहीं पकड़े गये हैं ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या यह सच है कि झारसिंगेश्वर में और एक अन्य स्थान पर हमारी दो चौकियों को मोर्टार और अन्य गोलाबारी द्वारा नष्ट कर दिया गया ?

श्री स्वर्ण सिंह : सब तथ्यों का पता लगाने के बाद शाम को अपने वक्तव्य में इस बारे में बताऊंगा ।

श्री हिम्मतसिंहका : लगभग एक वर्ष पहले समाचार-पत्रों में यह समाचार छपा था कि सिंध रेंजर्स ने गुजरात राज्य की रक्षित पुलिस पर गोली चलाई । इस बारे में तथ्य क्या है ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य मुझे बतायें । मैं पता लगाऊंगा और उनको बतला दूंगा ।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने यह महसूस किया है कि पाकिस्तान ताकत की भाषा के अतिरिक्त और कोई भाषा नहीं जानता ?

श्री स्वर्ण सिंह : इन मामलों में हमने अपनी रक्षा के लिए भरसक प्रयत्न किया है और मैं समझता हूं कि पुलिस बल और अन्यों ने, जो वहां हैं, बड़ी मुस्तैदी से रक्षा की और

सफलता पायी। अतः हमें कठोर भाषा अपनाने की बजाय अपनी स्थिति की रक्षा करनी चाहिये ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा था कि अमरीकी हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया है .....

अध्यक्ष महोय : उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने केवल यह कहा कि कोई हथियार नहीं पकड़े गये हैं। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता कि वे हथियार अमरीकी थे या नहीं ।

श्री श्याम लाल सर्राफः जम्मू तथा काश्मीर की सीमा पर विशेष रूप से अमरीकी हथियार इस्तेमाल किये गये हैं और इस बारे में कई बार कहा गया है। यदि हां, तो क्या इस बारे में अमरीका के साथ विरोध प्रकट करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह प्रश्न यहां कुछ समय पूर्व उठाया गया था और हमने बताय था कि हमने इस मामले को अमरीकी सरकार के साथ उठाया है।

श्री रंगा : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि कच्छ सीमा पर गोली बारी की घटना में लगभग 15 व्यक्ति घायल हुए थे और उनमें एक युवक भी था। जिसकी शादी होने वाली थी और वह घायल हो गया था, यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में अब जांच करेगी और पता लगायेगी कि क्या यह सच है कि क्या इस घटना के बाद हमारी गश्त को बड़ा दिया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि उस दल के एक माननीय सदस्य ने, जिसके श्री रंगा नेता हैं, पहले यह प्रश्न पूछा था। मैं आश्वासन दे चुका हूं कि मैं इस पर गौर करूंगा और जानकारी दूंगा ।

श्री रंगा : गश्त के बारे में क्या स्थिति है ? क्या हमने उसे बढ़ाया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी हां, हमने वहां सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं ।

तेल कम्पनियों में छंटनी

*509. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दाजी :
श्री वारियर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री 14 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 487 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कंपनियों में कर्मचारियों की छंटनी के बारे में राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई जानकारी इस बीच प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितने तकनीकी कर्मचारी बेरोजगार हो गये ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया): (क) और (ख). राज्य सरकारों/प्रशासनों से अब तक प्राप्त उत्तरों के सार का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया । दखिए संख्या एल० टी०—4025/65]।

Shri Yashpal Singh: May I know the number of technical personnel who have not so far taken help of this scheme?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri R. K. Malviya): The break-ups are not with me but those who want to take benefit, they are given benefit by companies also and besides we consider the representations which are received by us and efforts are made to get them facilities.

Shri Yashpal Singh: May I know the number of persons employed by the Government at other places?

Shri R. K. Malviya: I require notice for that.

श्री दाजी : मंत्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि सरकार ने जो कुछ किया या नहीं किया, उन्होंने मामले को गम्भीरता से नहीं लिया क्योंकि उन्होंने बाद में कोई कार्रवाई नहीं की। हम तो यह जानना चाहते हैं कि क्योंकि भारत में तकनीशनों की संख्या बहुत कम है, इन तकनीकी व्यक्तियों को अन्य स्थानों पर कहां लगाया गया है। यदि वे बेरोजगार हैं तो क्या सरकार ने उनको यह बताया है कि इस दी जाने वाली सहायता का क्या फल निकला, वास्तव में कितनों ने इस सहायता से लाभ उठाया; और यदि नहीं, तो किन कारणों से वे यह सहायता नहीं ले सके हैं ?

श्री संजीवैया : जहां तक तकनीशनों का सम्बन्ध है, किसी की भी छंटनी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त य सारा मामला राज्य-क्षेत्र में आता है। हम जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वह यह है कि राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र करें और सभा को दें ।

श्री तिरुमल्ल राव : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि इन कम्पनियों ने बड़े पैमाने पर छंटनी की है और इसे "सेवामुक्त' कहा जाता है ताकि जनता को सच्चाई का पता न लगे ? हर वर्ष वे बड़ी संख्या में उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सेवामुक्त कर रहे हैं और वे अन्यत्र रोजगार ढूंढ रहे हैं। क्या सरकार इस बात का पता लगाएगी कि वास्तव में क्या हो रहा है ?

श्री संजीवैया : वास्तव में हमने राज्य सरकारों और कार्मिक संघों के नेताओं—दोनों से कहा है कि वे हमें विशेष मामलों के बारे में जानकारी दें ताकि हम उनके बारे में मालिकों से बात कर सकें। किसी ने भी हमें कोई सूचना नहीं दी है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या यह सच है कि छंटनी के अतिरिक्त, गैर-भारतीय तेल समवायों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की प्रतिशतता घट रही है ?

श्री संजीवैया: मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : आज के समाचार पत्रों में यह छपा है ।

अध्यक्ष महोदय : उनको समाचारपत्रों के आधार पर जानकारी नहीं देनी चाहिये ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मंत्री महोदय को पता है कि ऐसे छंटनी किये गयें कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है और कईयों के बारे में तो विभिन्न राज्य सरकारों को बताया तक नहीं गया है ? क्या उनको यह भी पता है कि अधिकांश छंटनी किये गये व्यक्तियों की आयु 45–50 के बीच है और कम्पनियों ने ऐसा इसलिये किया है ताकि उन्हें पेंशन और अन्य सुविधाएं न देनी पड़ें ?

श्री संजीवैया : इन तेल समवायों में छंटनी अथवा ऐच्छिक सेवा-निवृत्ति के सभी मामलों में विभिन्न राज्य सरकारों के श्रम मंत्रालय कार्रवाई करेंगे। लेकिन यदि स्थिति बहुत खराब हो और यदि मजदूर संघ के नेता हमें कोई विशिष्ट मामले बताएं, तो उनके बारे में हम सीधे मालिकों से बातचीत करने को तैयार हैं ।

डा० रानेन सेन : इन तेल समवायों में यह छंटनी और अनिवार्य सेवा-निवृत्ति अथिक-यंत्रीकृत व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप है । कर्मचारियों ने श्रम मंत्री को हस्तक्षेप कर इसे रोकने के लिए अभ्यावेदन किये हैं । इस बारे में कर्मचारियों के प्रतिनिधिमण्डल के श्रम मंत्री से मिलने के बाद क्या हुआ ?

श्री संजीवैया : इस बारे में भारतीय श्रम सम्मेलन के 15वें सत्र में एक निर्णय किया हुआ है । इस बात पर सहमति है कि यदि मालिक यह पद्धति अपनाना चाहता है तो उसे मजदूर संघों से परामर्श करना होगा । हमारी जानकारी यह है कि उन्होंने मजदूर संघों से परामर्श किया है जब कि मजदूर संघों का कहना है कि उनसे परामर्श नहीं किया गया है । अतः हम इस बारे में पता लगायेंगे ।

परमाणु शस्त्रो का निर्माण

\+

*510. **श्री दाजी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान युद्ध-नीति अध्ययन संस्था, लन्दन के निदेशक, श्री बूचन, द्वारा हाल में दिल्ली में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि परमाणु शस्त्रों का निर्माण करने के लिए भारत को छः सालों में 2,400 करोड़ रुपये के प्रारंभिक विनियोजन की आवश्यकता होगी ;

(ख) क्या सरकार ने श्री बूचन के अनुमानों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री क सभा-सचिव (श्री ललित सेन): (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दाजी : भाग (ख) का उत्तर "नहीं" दिया गया है । "नहीं" क्यों ? क्या सरकार इस मामले को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझती कि इसकी जांच की जाए और इस बारे में अध्ययन किया जाए ? यदि इसका अध्ययन किया गया है, तो क्या अनुमान सही है ? क्या सरकार ने इस बात का पता लगा लिया है ?

श्री ललित सेन : प्रश्न के भाग (ख) में माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या सरकार ने श्री बूचन के अनुमानों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है । विस्तृत रूप से कोई अध्ययन नहीं किया गया है क्योंकि अणु शक्ति के शांतिपूर्ण कार्यों में प्रयोग के सरकारी इरादे सर्वविदित हैं ।

श्री दाजी : लेकिन सामान्यतः क्या ये अनुमान सही हैं या गलत हैं ? इसमें कोई बात तो होनी ही चाहिये । सरकार को यह तो देखना चाहिये कि यह सही है या नहीं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : सामान्यतः हमारे विशेषज्ञों का यह ख्याल है कि यह बहुत अधिक है ।

श्री नाथ पाई : प्रधान मंत्री जी ने कुछ विशेषज्ञों का उल्लेख किया पता नहीं वे किन विशेषज्ञों की बात कह रहे हैं । उनको अक्सर गलत व्यक्ति सलाह देते हैं लेकिन अणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष का वक्तव्य प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य से बिल्कुल भिन्न है । अतः क्या हम जान सकते हैं कि उस बारे में स्थिति क्या है ? वे विशेषज्ञ कौन हैं, सरकार इस निर्णय पर पहुंचने के लिए किसकी सलाह पर निर्भर करती है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष की राय पर विचार किया गया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जैसा मेरे साथी ने अभी बतलाया है, हमने इस मामले का विस्तृत रूप से अध्ययन नहीं किया है और मैंने सामान्य बात कही है । जब मैंने विशेषज्ञ की बात कही तो मेरे दिमाग में अणु शक्ति आयोग का अध्यक्ष था ।

श्री हेम बरुआ : आपने कोई विशेषज्ञ-आयोग नियुक्त नहीं किया ।

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTIONS

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों के श्रमिकों की मांगें

\+

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या 5.

श्री दशरथ देव :
डा० उ० मिश्र :
श्री स० मो० बनर्जी:
श्री इन्द्र जीत गुप्त :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री दाजी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें ज्ञात है कि छंटनी के बारे में अधिकारियों की नीति तथा न्यूनतम (4 प्रतिशत) बोनस, जिसकी बोनस आयोग ने सिफारिश की है, देने से इन्कार के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए

बिहार के राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों के 45,000 श्रमिकों ने 22 मार्च, 1965 से हड़ताल करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) और (ख). जी हां। श्रमिकों की एक यूनियन ने अभी हाल ही में एक पत्र निकाला है जिसमें श्रमिकों को अपनी मांग, कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम जल्दी ही बोनस आयोग की सिफारिश के अनुसार बोनस देवे, को पूरी करवाने के लिये 22 मार्च, 1965 से हड़ताल करने को कहा है। छंटनी की बाबत उस पत्रमें कोई उल्लेख नहीं है। श्रमिकों के प्रतिनिधि और प्रबन्धकों के विचार विमर्श के बाद हड़ताल के आदेश को वापिस ले लिया गया है। प्रबन्धक अब बोनस देने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही निर्णय की आशा है ।

श्री दशरथ देव : क्या यह सच है कि सरकार ने कम से कम 4 प्रतिशत बोनस देने का फैसला किया है और क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने इसको देने से इन्कार कर दिया है; यदि हां, तो इसको लागू करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : जी, नहीं। इस पर तो राष्ट्रीय कोयला विकास निगम विचार करेगी और निदेशक बोर्ड की इस मामले पर विचार करने के लिए एक सप्ताह बाद बैठक होने वाली है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि मजदूरों में यह आशंका बड़े जोर की है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम कुछ खानें बन्द कर रहा है जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में कोयला खनिकों की छंटनी हो जाएगी ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं इस प्रश्न का कई बार उत्तर दे चुका हूं। कुछ कोयला खानें बन्द की जा रही हैं लेकिन हम उनको अन्यत्र अच्छा रोजगार देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नौसेना गोदी का विस्तार

*507. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में नौसेना गोदी विस्तार योजना के प्रथम चरण को पूरा करने में छः साल लग गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के पूरे होने में असाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) पड़ौसी देशों से देश की सुरक्षा के लिए बढ़ते हुए खतरे के प्रसंग में काम को तेजी से पूरा करने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). यह सच है, कि बम्बई में नौसेना जलपोत निर्माण कारखाने के प्रसार की योजना की पहली प्रावस्था की संपूर्ति में, कुछ विलम्ब हुआ है, तदपी, योजना की पहली प्रावस्था के अधिकतर कार्य अब तक प्रायः सम्पर्ण हो चुके हैं, सिवाए बैरक, विध्वंसक तथा बालर्ड पायर घाटों में सेवाओं की उपलब्धि के। विलम्ब का मुख्य कारण थी, कांट्रेक्टर की असफलता जिसे करार संख्या 1 सौंपा गया था, और उसके ठेके की ज़ब्ती की आवश्यकता। उसके पश्चात् कार्य विभागीय तौर पर हस्तगत किया गया था। कार्य के बढ़ जाने की भी संभावना थी, और इस से और विलम्ब हुआ। पहले पहल योजना के लिए 5.5 रुपये स्वीकृत हुए थे, परन्तु अतिरिक्त सुविधाओं की उपलब्धि के पश्चात् योजना पर लगभग 11.39 करोड़ रुपये खर्च आने की आशा है। नौसेना जलपोत कारखाने के प्रसार का कार्य बहुत उलझनों से पूर्ण तथा उच्चस्तर का तकनीकी है, और कांट्रेक्टर की असफलता के फलस्वरूप और अधिक विलम्ब हुआ। पहली प्रावस्था के सभी कार्य, आशा है, 1966 के अन्त तक सम्पूर्ण हो जाएंगे।

विदेशी विमान चालकों का प्रशिक्षण

*511. **श्री विश्व नाथ राय :**
श्री समनानी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देशों की सरकारों ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उनके कर्मचारियों को भारत में उड्डयन का प्रशिक्षण दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस मामले में प्रशिक्षण की जो सुविधायें दी हैं, उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) 1961 से भारतीय वायु सेनाओं की संस्थाओं में 1800 से अधिक विदेशी सेविवर्ग को प्रशिक्षण दिया गया है। इस समय चार देशों के 22 ऐसे अफसर/वायुसेना सैनिक प्रशिक्षण पा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ की शान्ति सेना

*512. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना रखने के प्रस्ताव ने कोई निश्चित रूप धारण कर लिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): बड़े बड़े देशों में सहमति न होने के कारण संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा सेना की स्थापना के प्रश्न पर कोई प्रगति नहीं हुई है।

शांति रक्षा कार्यों के सभी पहलुओं की पूरी-पूरी समीक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में तेतीस सदस्यों की जो विशेष समिति स्थापित की है, वह 15 जून, 1965 तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी ।

भूमाण्डलिक उपग्रह व्यवस्था

*513. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्रीमती रेणका बड़कटकी :
श्री शिवचरण माथुर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बसवन्त :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत उपग्रहों के आधार पर दूरसंचार की भूमाण्डलिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कन्सार्टियम का सदस्य बन गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कन्सार्टियम की सदस्यता के क्या लाभ और दायित्व हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां ।

(ख) संचार-उपग्रह प्रणाली का स्वामित्व, उक्त प्रणाली की कुल लागत में उनके योगदान के अनुपात से, हस्ताक्षरी सरकारों में निहित होगा । संचार-उपग्रह प्रणाली में भाग लेकर भारत अवकाश-खण्ड (स्पेस सेगमेण्ट) के आकल्पन, विकास, रचना आदि में भाग ले सकेगा और इससे, अन्तर्राष्ट्रीय संचार के इस सबसे आधुनिक और सक्षम साधन के उपयोग के लिये भूमि-स्थित केन्द्र (ग्राउण्ड स्टेशन) की स्थापना में भी सुविधा मिलेगी ।

जार्डन की नदियों के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य

*514. **श्री अल्वारेस** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने 'अरब देश और भारत' संबंधी सम्मेलन के सामने दिये गये अपने भाषण में कहा था कि "जार्डन की नदियों के प्रश्न पर अरब देशों की भावनाओं के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है" ; और

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि जार्डन की नदियों का विवाद केवल पानी के उपयोग संबंधी विवाद नहीं है अपितु यह इजराइल को भूखा मारने का प्रयत्न है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) अरब संसार और भारत विषयक गोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर प्रधान मंत्री ने कहा था कि वे जोर्डन की नदियों के प्रश्न पर अरब देशों की भावनाओं को समझते हैं और उस प्रश्न पर भारत की सहानुभूति अरब के साथ है ।

(ख) अरबों का दृष्टिकोण अलग है जिसके साथ हमारी सहानुभूति है ।

Dock and Port Workers

*515. **Shri Madhu Limaye:**
Shri Gokulananda Mohanty:

Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the widespread dissatisfaction among the dock and port workers;

(b) whether the Government have made any request to the Wage Board for taking an early decision on the workers' demand for the grant of an interim relief; and

(c) if so, when the interim report and final report of the Wage Board are likely to be received by Government?

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya) (a) Government is aware of the workers' demand for increase in wages.

(b) Yes.

(c) The Board has already recommended the grant of dearness allowance at enhanced rates. It is now considering the question of interim relief. It is too early to say when its final report can be expected.

Indian Troops in Congo

*516. **Dr. Ram Manohar Lohia:**
Shri Madhu Limaye:
Shri Bagri:
Shri Kishen Pattnayak:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the soldiers of Indian troops sent to Congo for U.N. operations were originally being paid the same salary from U. N. funds as was being given to soldiers of other countries sent there:

(b) whether it is also a fact that after three months their salary was reduced to that they were being paid in India plus foreign allowance

(c) if so, whether this reduction was effected on Government of India's request;

(d) if so, the reasons for which such a request was made, and

(e) the names of other countries where similar treatment has been meted out to Indian soldiers sent in connection with U.N. operation?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b). No Sir.

(c) and (d). Do not arise.

(e) The treatment given in regard to salary in the case of Indian soldiers sent to Congo for U.N. operations is the same as was given to Indian troops sent in connection with U.N. operations to other countries, *viz.*, Egypt, Yemen and Lebanon.

बैंक कर्मचारियों की मांगें

*517. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य श्रम आयुक्त की अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संस्था तथा बैंकों के साथ त्रिदलीय वार्ता अब समाप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता से वस्तुत: क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई करार हुआ हो तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) 13 से 18 और 28–29 अगस्त, 1964 को हुई त्रिपक्षीय बैठकों के परिणाम स्वरूप कुछ मामलों पर समझौता हो गया ।

(ग) जो समझौता पहले हो चुका है उसकी शर्तों में 1 अगस्त, 1964 से क्लर्कों को 6 प्रतिशत और अधीनस्थ कर्मचारियों को 8 प्रतिशत तदर्थ अस्थायी मंहगाई भत्ते की अदायगी, 1 सितम्बर, 1964 से भारतीय बैंक एसोसियेशन से सम्बद्ध 'ए' और 'बी' श्रेणी के बैंकों के बारे में क्षेत्र IV का उन्मूलन तथा 1 सितम्बर, 1964 से भारतीय बैंक एसोसियेशन और एक्सचेंज बैंक्स एसोसियेशन से सम्बद्ध बैंकों के अधीनस्थ कर्मचारियों के मूल वेतन में 1 रु० की तदर्थ वृद्धि की अदायगी शामिल है ।

भारतीयों को जंजीवार में प्रवेश की मनाही

*518. श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1964 में जंजीबार के अधिकारियों ने जंजीबार में रहने वाले भारतीय उद्भव के 17 व्यक्तियों को जंजीवार में पुन: प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) भारत सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). दिसम्बर, 1964 में जंजीवार के अधिकारियों ने वैध पुनर्प्रवेश अनुज्ञा-पत्रों (रि-एन्ट्री परमिट) के न होने के कारण एक भारतीय राष्ट्रिक और 16 अन्य भारतमूलक लोगों को प्रवेश करने से इन्कार कर दिया।

(ग) दार-एस्सलाम में भारतीय हाई कमीशन ने तेन्जानिया सरकार से इस मामले में शिकायतें की हैं।

समाचारपत्रों तथा समाचार-अभिकरणों का स्वामित्व

*519. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री कोया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने हाल के अपने पटना अधिवेशन में एक संकल्प पारित किया था जिस में मांग की गई है कि प्रेस आयोग की इस आशय की सिफारिशों की शीघ्र क्रियान्वित किया जाये कि समाचारपत्रों तथा समाचार-अधिकरणों का एकाधिपत्य न होकर उनका स्वामित्व विभिन्न व्यक्तियों के हाथ में हो ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा पास प्रस्ताव के सम्बन्ध में अखबारों की खबर सरकार ने देखी है।

(ख) इस सम्बन्ध में प्रेस आयोग का सुझाव था कि अखबारी उद्योग में एकाधिपत्य का मामला प्रेस परिषद् के सुपुर्द किया जाय। प्रेस परिषद् विधेयक, 1963, संसद् की संयुक्त समिति के सामने भेजा गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 17 फरवरी, 1965 को पेश कर दी। अब संसद् इस पर विचार करेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष

*520. **श्री ज० ब० सिंह :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965 को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष के रूप में मनाने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). जी हां। संयुक्त राष्ट्र के नाम भेजे गए भारत के जिस नोट में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष को मनाने के बारे में उसकी जिन योजनाओं और प्रायोजनाओं का उल्लेख किया गया है, उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 4026/65]**

बर्मा में भारतीयों का पुनः प्रवेश

*521. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री दाजी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बड़े :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा के प्राधिकारियों ने कुछ भारतीय राष्ट्रजनों को, जो बर्मा से चले गये थे, पुनः बर्मा में अवैध रूप से प्रवेश करने पर गिरफ्तार कर लिया है ;

(ख) क्या इन लोगों ने भारत में हुई कठिनाइयों के कारण पुनः बर्मा जाने का निर्णय किया था ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) इस तरह की कुछ रिपोर्टें बर्मा के अखबारों में छपी हैं।

(ख) और (ग). रंगन-स्थित हमारे राजदूतावास ने बर्मा के विदेश कार्यालय के साथ इस मामले को उठाया है और अथित कदियों से मुलाकात करने की अनुमति मांगी है। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है और भारत सरकार इसकी जांच नहीं कर सकी है कि क्या वास्तव में कुछलोग बर्मा वापस गए थे और गिरफ्तार कर लिये गए।

उत्तर-पूर्व सीमांत अभिकरण (नेफा) में विस्फोट

1328. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के सीमावर्ती क्षेत्रों में कितने विस्फोट हुए ;

(ख) उस क्षेत्र में उन से जान माल की कितनी हानि हुई ; और

(ग) कितने मामलों में विदेशों से चोरी छिपे लाये गये विस्फोटकों के प्रयोग का पता लगा और ये विस्फोटक प्रायः किस देश के थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) कोई नहीं ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) चीनी हमले के दौरान जो कुछ इक्के-दुक्के बम और गोला-बारूद पीछे रह गए थे, उनसे जनवरी, 1965 में लोहित फ्रांटियर डिविज़न-स्थित किबुथू के कई स्थानों पर हमारी सीमा की तरफ जंगल में आग लग जाने के कारण विस्फोट हुए ।

राजस्थान में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के संस्थानों में रिक्त स्थान

1329. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में राजस्थान में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कितने रिक्त स्थान अधिसूचित किये गए ; और

(ख) उसी अवधिमें विभिन्न रोजगार दफ्तरों के जरिए इन संस्थानों में अब तक कितने रिक्त स्थान भर गये ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख).

संस्थायें	सितम्बर, 1964 से फरवरी, 1965 तक सूचित रिक्त स्थानों की संख्या	सितम्बर, 1964 से फरवरी, 1965 तक आपूरित स्थानों की संख्या
सरकारी क्षेत्र	10,863	8,427
निजी क्षेत्र	1,445	315

ग्रामीण रोगजगार ब्योरो

1330. **श्री मलाईछामी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य के सामुदायिक विकास खंडों में अब तक कितने रोजगार सूचना तथा सहायता ब्यूरो स्थापित किये गये हैं ;

(ख) इन संस्थाओं के जरिये कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है ; और

(ग) इन ब्यूरो के जरिये किस प्रकार का रोजगार मिला, जैसे प्रशासनिक, ट्रेक्निकल, दस्तकारी तथा घरेलू ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) दस ।

(ख) और (ग). ये कोष्ठ रोजगार दिलाने का काम नहीं करते बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को व्यवसायिक और रोजगार सम्बन्धी जानकारी देते हैं और उन्हें अपने जिले के रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराने में सहायता देते हैं ।

मद्रास राज्य में अधिसूचित तथा भरे गये रिक्त पद

1331. **श्री मलाईछामी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में मद्रास राज्य में सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों ने कितने रिक्त पदों की अधिसूचना जारी की ;

(ख) उक्त अवधि में विभिन्न रोजगार कार्यालयों के माध्यम से इन उपक्रमों में कितने रिक्त पद भरे गये ; और

(ग) कितने पद नहीं भरे गये ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग). सरकारी और निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए अलग अलग सूचना प्राप्त नहीं है । इन क्षेत्रों की सभी संस्थाओं के आंकड़े निम्न प्रकार से हैं :

क्षेत्र	सूचित रिक्त स्थान की संख्या	आपूरित स्थानों की संख्या	बाकी रिक्त स्थानों की संख्या
सरकारी	73,403	54,551	9,630
निजी	12,479	1,761	1,858

ब्रिटेन के प्रतिरक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की यात्रा

1332. **श्री राम हरख यादव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के प्रतिरक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार सरकारी दौरे पर भारत आए थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का क्या उद्देश्य था ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां । दूरपूर्व से इंगलैंड लौटते हुए उन्होंने अपनी यात्रा भंग की थी ।

(ख) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों से, परस्पर रूचि के मामलों पर बातचीत करने के लिए ।

Unemployed persons registered in Madhya Pradesh

1333. **Shri Lakhmu Bhawani :** Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state:

(a) the number of persons registered with various Employment Exchanges in Madhya Pradesh as on the 31st December, 1964; and

(b) the number of persons out of the above who have been provided with employment?

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya): (a) 1,45,685.

(b) 49,871 persons were placed in employment during 1964.

कृत्रिम अंग केन्द्र, पूना

1334. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री म० ला० द्विवदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964-65 में पूना केन्द्र तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन देश में अन्य केन्द्रों ने कितने असैनिक अंगहीन व्यक्ति के लिये कृत्रिम अंगों की व्यवस्था की ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : 976 अंगहीनों को (28 फरवरी, 1965 तक) 1964–65 में, कृत्रिम अंग केन्द्र पूना से कृत्रिम अंग प्रदान किए गए थे, जो रक्षा मंत्रालय के नियन्त्रण में एक अकेला ऐसा केन्द्र है ।

Visits of Dignitaries

1335 **Shr M. L. Dwivedi:**
Shri S. C. Samanta:
Shri P. C. Borooah:
Shrimati Maimoona Sultan:
Shri Mohammed Elias:
Shri Yashpal Singh:
Shrimati Ramdulari Sinha:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. M. Banerjee:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Heda:
Shri D. C. Sharma:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Jaswant Mehta:
Shri Harish Chandra Mathur:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the names of the countries whose Presidents or Prime Ministers have been invited by the Indian Government to visit India and the names of those

who have accepted the invitation together with the probable dates of their visits; and

(b) the names of the countries which have invited the Prime Minister or President of India during 1965 and the probable dates for the visits.

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) and (b) It would not be expedient and it might be embrassing to disclose the information while correspondence is still going on between the Government of India and Foreign Governments regarding invitations by us to dignitaries of foreign States, and vice versa. According to international practice, announcements of visits are usually made simultaneously by both the Governments concerned at an agreed appropriate time prior to the visits.

सीमा सड़क संगठन

1336. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में सीमा सड़क संगठन की देख रेख में प्रतिवर्ष अपेक्षित स्तर के अनुसार कुल कितनी मील लम्बी सड़कें बनाई गयीं ; और

(ख) इन में से कितनी मील लम्बी सड़कें जनरल रिजर्व एक्सपेडिशनरी फोर्स के कर्मचारियों ने बनाई हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित ब्योरे के अनुकूल निर्माण/सुधार की गई सड़कों की मील दूरी नीचे दी गई है :—

(यह आंकड़े प्रतिवर्ष निष्पत्ति से संबद्ध हैं)

(1) विरचना के लिए नई सड़कें काटना

	1—टन सड़क (पंचम वर्ग) मील	3—टन सड़क (नवम वर्ग) मील
1960–61	$47\frac{1}{2}$	1
1961–62 .	$228\frac{1}{2}$	379
1962–63 .	252	206
1963–64 .	39	436
अप्रैल से दिसम्बर 1964 तक .	29	$199\frac{1}{2}$

(2) वर्तमान सड़कों में सुधार

	मील
1960–61 .	508
1961–62 .	595
1962–63	177
1963–64 . .	348
अप्रैल से दिसम्बर 1964 तक	242

(ख) उपरोक्त (क) में बताई गई कुल मील दूरी में से जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ने निम्न मील-पूरी का उत्तरदायित्व सम्भाला :—

	विरचना		सड़क काटना	सुधार	स्तरीकरण	रोड़ी बिछाना	कोलटार डालना
	1 टन सड़क (पंचम वर्ग)	3 टन सड़क (नवम वर्ग)					
1960–61	33	1	78				
1961–62 .	89½	379	42				
1962–63 .	192	159	14				
1963–64 . .	39	395	8	249	133	95	
अप्रैल से दिसम्बर 1964 तक .	29	185½	89	191	179	35	

भारत के लिए रूसी हेलीकाप्टर

1337. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री रा० गि० दुबे :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में रूसी विशेषज्ञों का एक दल भारत को नये किस्म के कुछ हेलीकाप्टर देने के संबंध में भारत सरकार से विस्तारपूर्वक बातचीत करने के लिए भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

1338. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में डाक तथा तार के तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कितने कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जा चुके हैं ;

(ख) डाक तथा तार के तीसरी तथा चौथी श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें 10–15 वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् भी क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :

(क)	तीसरी श्रेणी	1155
	चौथी श्रेणी	300
(ख)	तीसरी श्रेणी .	2507
	चौथी श्रेणी .	819

(ग) 984 क्वार्टरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है । अतिरिक्त भूमि प्राप्त कर के और क्वार्टर बनाने का भी प्रस्ताव है ।

टेलिविजन सेट्स का निर्माण

1339. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 7 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1017 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में टेलीविजन केन्द्रों का जाल बनाने और टेलीविजन सेट्स के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य की ओर से सामान्य प्रस्ताव आया था। उसे स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिला है, जो साधारण प्रस्ताव आया है, उस पर विचार किया जा रहा है ।

Fugitive Officers of Bhutan

1340. **Shri Hukam Chand Kachhaviya :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri R.G. Dubey :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Bibhuti Misra :
Shri K.N. Tiwary :
Shrimati Johraben Chavda
Shri P.R. Chakraverti :
Shri Chandak :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the fugitive officers from Bhutan now in Nepal have done a lot of propaganda to create misunderstanding between India and Bhutan; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes Sir; they appear to have made unsuccessful efforts in that direction.

(b) Our relations with Bhutan remain most cordial and friendly, and Government do not consider it necessary to take any action in this matter.

भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रीय कमांडरों की बैठक

1341. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1964 में लद्दाख की एक सीमा चौकी पर भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रीय कमांडरों की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या निर्णय किये गये ;

(ग) क्या भारतीय सिपाही (कांस्टेबल) के अपहरण के प्रश्न पर भी चर्चा हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न हीं नहीं उठते।

छावनी कर्मचारी सेवा नियम, 1937 का पुनरीक्षण

1342. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि छावनी कर्मचारी सेवा नियम, 1937 के पुनरीक्षण के लिये निरन्तर मांग की गयी है क्योंकि ये नियम पुराने हो चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन नियमों का पुनरीक्षण करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) 1960 में राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिबूनल बम्बई कीं कई सिफारिशों के फलस्वरूप, सरकार ने 1937 के छावनी फण्ड कर्मचारी नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव किए थे । इस सम्बन्ध में छावनी फण्ड कर्मचारीगण से भी एक मांग प्राप्त हुई है ।

(ख) उक्त नियमों के प्रस्तावित संशोधनों के प्रारूप 31-10-64 को भारत सरकार के राजपत्र में विज्ञापित किए गए थे । उनके सम्बन्ध में प्राप्त हुई आपत्तियां और सुझाव सरकार की जांच के अधीन हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आर्डनेंस कौर में लोअर डिवि जन क्लकों के कर्त्तव्य

1343. **श्री हेडा :**
श्री पं० रं० कृष्ण :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक समिति ने आर्मी आर्डनेंस कोर के लोअर डिवीजन क्लर्कों के कर्त्तव्य का कार्यस्थल पर ही अध्ययन आरम्भ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० न० द० राजू) : (क) और (ख). स्थायी सैनिक सिब्बबन्दी समिति ने हाल ही में आर्डनेंस डिपुओं के निम्न श्रेणी क्लकों तथा उच्च श्रेणी क्लर्कों के अनुपात के प्रश्न का निरीक्षण किया था, और समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

तदपि सरकार ने आर्मी आर्डनेंस कोर के निम्न श्रेणी क्लर्कों की कुछ नियुक्तियों को उच्च श्रेणी क्लर्कों की नियुक्तियों में तदर्थ पग के तौर पर अन्तरित करने का फैसला किया है, जब तक कि सभी सेनांगों और सेवाओं के सम्बन्ध में इस व्यापक प्रश्न का निरीक्षण न हो पाए ।

अर्डनेंस कौर में लोअर डिविजन क्लर्क

1344. **श्री हेडा :**
श्री मं० रं० कृष्णा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की अनुमति से 'आर्मी आर्डनेंस कोर' में स्थानीय आधार पर रखे गये लोअर डिवीजन क्लर्कों की 30 नवम्बर, 1964 को कुल संख्या क्या थी ;

(ख) क्या उनको केन्द्रीय रोस्टर पर लाने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो कब ;

(घ) क्या यह सच है कि सेवा की शर्तों के मामले में उनको अन्य अस्थायी कर्मचारियों के समान नहीं समझा जाता हालांकि उनकी नौकरी छः महीने से अधिक हो चुकी है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) 688।

(ख) तथा (ग). मामला विचाराधीन है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) विषमता का कारण था स्थानीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न व्याख्या । उनके लिए सेवा की समान स्थितियां और शर्तें निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

वायस आफ अमेरिका करार से सम्बन्धित फाइल का गुम होना

1345. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रा० बरुआ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 18 दिसम्बर, 1964 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित इस समाचार में कितनी सत्यता है कि वायस आफ अमेरिका करार से सम्बन्धित फाइल गुम हो गई थी ;

(ख) यदि हां; तो फाइल के नष्ट हो जाने या गुम होने का पता सब से पहले कब लगा ; और

(ग) फाइल का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) रिपोर्ट गलत है । फाइल मंत्रालय में सुरक्षित है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब में सैनिक स्कूल

1346. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के पिछड़े हुए पहाड़ी इलाकों में अब तक कितने सैनिक स्कूल खोले गए हैं ;

(ख) क्या पंजाब में नंगल में सैनिक स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो स्कूल कब खोला जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजु) : (क) से (ग). पंजाब में दो सैनिक स्कूल हैं, एक कपूरथला में और दूसरा कुंजपुरा (करनाल में)। नांगल में सैनिक स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पंजाब में टेलीफोन कनेक्शन

1347. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 1 जनवरी, 1965 को कितने आवेदन-पत्र शेष थे ; और

(ख) उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ।

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 8,881 ।

(ख) टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता में विस्तार करने और अतिरिक्त केबल बिछाने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं जिससे कि उपलब्ध साधनों के अनुसार शेष मांगों की यथासम्भव अधिक से अधिक पूर्ति की जा सके।

पंजाब में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

1348. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में किन-किन नगरों तथा कस्बों में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज खोल दिये गये हैं ;

(ख) क्या 1965-66 में पंजाब राज्य में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) पंजाब में सूची I में दिए गए 50 स्थानों पर स्वचल टेलीफोन केन्द्र खोले गए हैं। [**पुस्तकालय में रखी गयी/देखिये संख्या एल० टी० 4027/65**]

(ख) जी हां ।

(ग) सूची II में दिये गये स्थानों पर । [**पुस्तकालय में रखी गयी/देखिये संख्या एल० टी० 4027/65**]

Working Journalists in Rural Areas

1349. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the condition of the working journalists in the rural areas is far from satisfactory in all respects;

(b) whether it is also a fact that there is a great disparity between the conditions of service of the working journalists in the urban and rural areas; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government to [provide further benefits to the working journalists in the rural areas ?

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c) Cetrain conditions of service of all working journalists are regulated by the provisions of the Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous provisions Act, 1955 and the rules framed thereunder. There is no disparity between the conditions of service of the working journalists in the urban and rural areas in respect of those matters. The rates of wages of working journalists are at present governed by the Central Government's Order dated the 29th May, 1959 which was issued on the recommendations of the working Journalists Wage Committee. The Committee's recommendations regarding wages provided for the classification of newspapers and news-agencies on the basis of their revenues. For purposes of dearness allowance, the Committee recommended classification of areas on the basis of population. Revision or rates of wages of the working journalists is now under consideration of the Wage Board for Working Journalists. Interim relief recommended by the Wage Board recently is applicable equally to journalists in urban and rural areas.

Newsprint Quotas for anti-social Newspapers

1350. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government contemplate not to sanction quotas of newsprint to such newspapers as are anti-social; and

(b) if so, the decision taken in this respect ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir. Newspapers are treated alike, irrespective of their contents or of the policy pursued by them.

(b) Does not arise.

पितृत्व अवकाश

1351. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'एशियन लेबर एजूकेशन सेंटर, फिलीपीन' के निदेशक मि० रामोन टी० जीमेन्ज ने नई दिल्ली व्यापार कर्मचारी संस्था द्वारा दिये गये स्वागत-समारोह में कहा जाता है कि ऐसा विचार व्यक्त किया था कि श्रम कल्याण के हित में एशिया के सभी देशों को फिलीपीन की तरह वहां प्रचलित पितृत्व अवकाश देने की योजना अपनानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की ऐसे प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) 15 जनवरी, 1965 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार श्री रामोन टी० जीमेन्ज ने कहा कि फिलीपीन में पुरुष कामगरों को, बच्चा पैदा होने पर उस अवसर को सामूहिक सौदाकारी के आधार पर मनाने के लिये पितृत्व अवकाश दिया जा रहा है ।

(ख) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

नई दिल्ली–लन्दन टेलीफोन टेलेक्स सेवा

1362. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली तथा लन्दन के बीच एक नई अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा चालू हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) 28 मई, 1964.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसंधान विभाग द्वारा तैयार किया गया टेलीविजन सेट

1353. **श्री म० रं० कृष्ण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सूचना मन्त्रालय के अनुसन्धान विभाग ने एक टेलीवीज़न सेट तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो टेलीवीज़न सेट के इस नमूने में कितने प्रतिशत देशीय पुर्जों का प्रयोग किया गया है ; और

(ग) क्या इस सेट का पूरा-पूरा परीक्षण किया गया है और भारत में बने इस टेलीवीज़न सेट की तुलना किस सेट से की जा सकती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्रीलंका में पकड़ा गया भारत विरोधी साहित्य

1354. **श्री रामश्वर टांटिया** :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जनवरी, 1965 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि कोलम्बो में श्रीलंका के सीमा शुल्क अधिकारियों ने चीनी साहित्य का एक बहुत बड़ा परेषण पकड़ा था ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में श्री लंका सरकार से बातचीत की है ; और

(ग) यदि हां, तो श्री लंका सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : भारत सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देख ली है । ऐसी ही रिपोर्टें श्री लंका के अखबारों में भी निकली और उन्हें देखकर भारतीय मंडप के निदेशक ने प्रदर्शनी अधिकारियों का ध्यान उस ओर दिलाते हुए कहा कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि राजनीतिक प्रचार के लिये प्रदर्शनी का उपयोग न किया जाय । इसके लिये श्रीलंका सरकार के साथ लिखा-पढ़ी करने की जरूरत नहीं समझी गई ।

राज्य श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

1355. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारों द्वारा चलाये जा रहे एककों में श्रम सम्बन्धी नीतियों को लागू करने के बारे में विचार विमर्श करने के लिये राज्य श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). पहले की तरह, राज्य श्रम मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक नई दिल्ली में 27 मार्च, 1965 को होगी । बैठक में अन्य विषयों के साथ साथ स्थायी श्रम समिति के 27 तारीख को नई दिल्ली में होने वाले 23 वें अधिवेशन की विषय सूची पर विचार विमर्श होगा । विषय सूची का एक विषय है "सामान्य श्रम नीति-कतिपय राज्यों पर श्रम-कानूनों को लागू करना" । लेकिन "राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली इकाइयों में श्रम नीतियों की क्रियान्विति" के बारे में कोई खास विषय नहीं है ।

एडिनवर्ग के ड्यूक की यात्रा

1356. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडिनवर्ग के ड्यूक इस समय भारत की यात्रा पर आये हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का मुख्य प्रयोजन क्या है ; और

(ग) क्या वे भारत सरकार के निमन्त्रण पर आये हैं या अपने आप ही ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भारत सरकार को सूचना दे दी गई थी कि एडिनवरा के ड्यूक कुछ निजी कार्यों को पूरा करने के लिये भारत आना चाहते हैं । उनकी विशेष स्थिति को और युनाइटेड किंगडम के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने ड्यूक को निमंत्रण भेज दिया कि वे हमारे अतिथि होकर आयें ।

कलाकारों और लेखकों के साथ ठेके

1357. **डा० सरोजिनी महिषि** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कलाकारों और लेखकों के साथ उनकी वर्तमान मूल और संकलित रचनाओं (विशेषतया पद्य-रचनाओं) के साथ-साथ उनके जीवन काल में भविष्य में संकलित की जाने वाली रचनाओं के लिये ठेके दिये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरागांधी) : (क) एक निर्धारित फार्म (ए० आई० आर० 65) है, जिसके अन्तर्गत आकाशवाणी कवियों के साथ उनकी नई और पुरानी सभी रचनाओं के प्रसारण का अधिकार हासिल करने के लिये करार करती है। अन्य रचनाओं के लिए ऐसा कोई करार का फार्म नहीं है ।

(ख) करार के इस फार्म में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। पुरानी और नई दोनों प्रकार की रचनाओं के लिये यथानुपात पैसा दिया जाता है, इस लिए कवि के साथ जब भी वह नई कविता लिखे, हर बार अलग करार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस व्यवस्था को कवियों ने पसंद किया है और इस में कोई कठिनाई नहीं उठी है ।

जन संचार केन्द्र

1358. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 23 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 348 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन संचार केन्द्र स्थापित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) और (ख) . प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। ब्यौरा तय किया जा रहा है और आशा है कि प्रशिक्षण अगस्त, 1965 में चालू हो जाएगा।

टेलीफोन सेवाओं संबंधी प्रशुल्क

1359. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि देश में विभिन्न टेलीफोन सेवाओं सम्बन्धी प्रशुल्क पर पुनर्विचार करने के लिये एक समिति बनाई गई है ;

(ख) क्या समिति ने अब तक कोई सिफारिशें की हैं ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

छपुई खास कोयला खान सम्बन्धी पंचाट

1360. **श्री प्रभात कार :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० उ० मिश्र :
डा० रानेन सेन :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय आयुक्त (ग) कलकत्ता ने छपुई खास कोयला खान (पश्चिम बंगाल) के सी० आर० ओ० कर्मचारियों से सम्बन्धित मध्यस्थ निर्णय करार पर 12 नवम्बर, 1964 को अपना पंचाट दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसे कार्यान्वित किया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) पंचाट को प्रबन्धकों ने कार्यान्वित करना है । प्रादेशिक आयुक्त (केन्द्रीय), कलकत्ता ने उनको इसकी एक प्रति भेज दी है ।

बंकोला कोयला खान

1361. **श्री प्रभात कार :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंकोला कोयला खान, पश्चिम बंगाल, के प्रबन्धक को कर्मचारियों के क्वार्टरों में आग लगा देने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कोयला खान के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया): (क) और (ख). बंकोला कोयला खान का प्रबन्धक कोयला खान में 17–9–1964 को हुई घटना के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा 20-9-1964 को गिरफ्तार किया गया । यह सूचना मिली है कि पुलिस अभी तक मामले की तहकीकात कर रही है और उसने न्यायालय में कोई चालान दाखिल नहीं किया है ।

उड़ीसा में डाकिये

1362. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विभिन्न डाकघरों में इस समय कितने डाकिये काम कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ;

(ग) उनमें से कुल कितने को मकान किराया-भत्ता मिल रहा है ; और

(घ) तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक उन्हें मकान किराया-भत्ते के मद में कुल कितनी धनराशि दी गई है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 773

(ख)	अनुसूचित जातियां	86
	अनुसूचित आदिम जातियां	25
(ग)	अनुसूचित जातियां	10
	अनुसूचित आदिम जातियां	कुछ नहीं
	अन्य जातियां	82
(घ)	अनुसूचित जातियां	2962.78 रु०
	अनुसूचित आदिम जातियां	कुछ नहीं
	अन्य जातियां	25,465.57 रु०

देश में रोजगार कार्यालय

1363. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में विभिन्न राज्यों में (राज्यवार) कितने रोजगार कार्यालय खोलने का विचार है; और

(ख) ये कार्यालय किन-किन स्थानों में खोले जायेंगे ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) :

	क	ख
प्रदेश	खोले जाने वाले रोजगार कार्यालयों की संख्या	रोजगार कार्यालय खोलने का स्थान
आन्ध्र प्रदेश		
असम		
बिहार	1	गया (विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और व्यावसायिक मार्ग-दर्शन ब्यूरो, मगध विश्व-विद्यालय)।
गुजरात	1	अहमदाबाद (चालू रोजगार कार्या-लय का द्विभाजन)
जम्मू और काश्मीर	7	अनन्तनाग, बारामूला, लेह, उधमपुर, डोडा, कठवा तथा पुंछ ।
केरल		
मध्य प्रदेश	1	इंदौर (विकलांगों के लिए विशेष रोजगार दफ्तर)
मद्रास		
महाराष्ट्र	3	कल्याण, चिंचवाड़ तथा काम्पती।
मैसूर	1	बंगलौर (चालू रोजगार कार्यालय का द्विभाजन)
उड़ीसा		
पंजाब	2	कुरुक्षेत्र तथा पटियाला (विश्वविद्या-लय रोजगार सूचना तथा व्यावसायिक मार्ग दर्शन ब्यूरो)
राजस्थान		
उत्तर प्रदेश		
पश्चिमी बंगाल	1	पश्चिमी दिनजपुर जिला (सही स्थान विचाराधीन है)।
दिल्ली		
गोवा . .	2	मार्गोवा तथा बिचोलिम

1	2	3
हिमालय प्रदेश	1	सुन्दर नगर
मणिपुर		..
त्रिपुरा		
पाण्डूचेरी		
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप	..	..

त्रिपुरा में सैनिक टुकड़ी

1364. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगरतल्ला (त्रिपुरा) में कोई सैनिक टुकड़ी तैनात नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या त्रिपुरा राज्य सरकार ने कई बार मांग की है कि त्रिपुरा में सैनिक टुकड़ियां तैनात की जाय ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). सुरक्षा के हित के कारण यह सूचना सभा में प्रकट नहीं की जा सकती ।

उत्तर प्रदेश में अधिसूचित और भरे गये रिक्त स्थान

1365. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में 1962–63 और 1963–64 में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में कितने रिक्त स्थान अधिसूचित किये गये; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में सभी उपरोक्त औद्योगिक संस्थानों में रोजगार दफ्तर के द्वारा कितने रिक्त स्थान भरे गये ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). सरकारी और निजी क्षेत्रों के उद्योगों के बारे में अलग-अलग सूचना प्राप्त नहीं है । समस्त संस्थापनों (औद्योगिक तथा अन्य) द्वारा अधिसूचित रिक्त स्थानों की संख्या तथा रोजगार कार्यालयों द्वारा आपूरित स्थानों की संख्या निम्नलिखित है ।

वर्ष	अधिसूचित रिक्त स्थान		आपूरित स्थान	
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1962–63	98,792	29,690	70,550	21,439
1963–64 .	1,10,648	32,501	85,129	24,309

Medical facilities for P&T Emloyees, Agra :

1366. Shri Achal Singh : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred for providing medical facilities to the employees of the Posts and Telegraphs Department stationed at Agra during the last five years;

(b) whether Government are aware that a number of employees of the said Department are getting reimbursement of thier medical bills through unfair means on the basis of the bogus prescriptions; and

(c) if so, the steps taken to check such a wastage of public money ?

Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagvati : (a)

1959-60 :—	Rs. 1,00,964/-
1960-61 :—	Rs. 143,402 /-
1961-62 :—	Rs. 2,49,401/-
1962-63 :—	Rs. 3,93,854/-
1963-64 :—	Rs. 6,85,387/-

(b) There has been a heavy increase in this expenditure over the years, but no case of bogus prescriptions has come to light.

(c) Preventive and corrective action has however been taken.

नेफा में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

1367. **श्री गुलशन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफा में भूतपूर्व सैनिकों को फिर से बसाने का फैसला किया गया है ।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तीरप सीमांत डिविजन में लगभग 200 पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बसाने की एक योजना मंजूर की गई है । कबाईलियों के ज़मीन और संपत्ति सम्बन्धी अधिकारों के अनरूप योजना का विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). नेफा प्रशासन से सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

डाक तथा तार कर्मचारियों द्वारा चिट फण्ड का व्यापार

1368. **श्री गुलशन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों द्वारा चिट फण्ड का व्यापार किये जाने का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में कितने कर्मचारी शामिल थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). —केन्द्रीय तारघर, दिल्ली का केवल एक क्लर्क ऐसा है जिस पर चिट फण्ड व्यापार से सम्बद्ध होने का कथित आरोप लगाया गया है तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है ।

Republic Day Celebrations

1369. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Kishen pattnayak :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the folk dance troups which came to Delhi from various States in connection with the Republic Day Celebrations this year have levelled certain charge of wastage of funds and malpractices against the management of the camp in which they were accommodated;

(b) if so, the steps taken to find out the extent of truth in their allegations; and

(c) the result therof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D.S. Raju) : (a) to (c). The folk dance troupes which came to Delhi from various States in connection with the Republic Day celebrations this year have not levelled any charges of wastage of funds or malpractices against the management of the Camp in which they were accommodated.

In a lettter dated 27th, January 1965 to the President (copies to Prime Minister, Finance Minister, Defence Minister and others), certain allegations were made. The letter was signed by some person or persons as'Member of Folk Dancing Parties at Talkatora Camp', but it was not possible to trace the signatories. The letter is suspected to be psedonymous. The allegations made in the letter have been investigated and found without substance.

सिक्किम को सहायता

1370. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्कम के महाराजा ने अपनी हाल की नई दिल्ली की यात्रा के दौरान सिक्किम की विकास योजनाओं के लिए क्या सहायता मांगी थी ; और

(ख) सरकार यह सहायता देने के लिए कहां तक सहमत हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) मार्च 1965 में सिक्किम के महाराजा ने अपनी दिल्ली–यात्रा के दौरान मंत्री महोदय और भारत सरकार के अधिकारियों से जो बातचीत की थी, वह सामान्य विषयों पर थी और उसका सम्बन्ध 1966–71 की अवधि के लिए सिक्किम की विकास योजना से था। वह योजना अभी नहीं बनाई गई है और किन्हीं विशिष्ट आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया। भारत सरकार सिक्किम की चालू पंच वर्षीय योजना में धन लगा रही है और महाराजा को यह आश्वासन दिया गया है कि भारत सरकार भविष्य में भी सिक्किम के विकास में सहायता देती रहेगी।

Australian High Commissioner's Visit to Sikkim

1371. **Shri Madhu Limaye :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Australian High Commissioner in India, Sir Plimsoll recently went to Sikkim;

(b) if so, the purpose of his visit; and

(c) whether any intimation in this connection was given by him to the Government of India ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Sir James Plimsoll is returning to Australia on termination of his assignment in India. There was no special purpose behind the visit.

(c) The visit was undertaken with the Government's approval and assistance.

अणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष की अमरीका यात्रा का परिणाम

1372. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष ने हाल में संयुक्त राज्य अमरीका का इस दृष्टि से दौरा किया था कि हम उस देश से प्राविधिक सहायता लेकर अपने रिएक्टरों के लिए थोरियम को साफ करने की उत्तम प्रविधि का पता लगाने में सफल हो सकें ; और

(ख) यदि हां, तो दौरे का क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष द्वारा किये गये संयुक्त राज्य अमरीका के दौरे का उद्देश्य यह नहीं था कि हम उस देश से प्राविधिक सहायता ले कर थोरियम को साफ करने की उत्तम प्रविधि का पता लगा सकें। थोरियम को निकालने तथा साफ करने की प्रविधि का विकास पहले ही परमाणु ऊर्जा संस्थान, ट्राम्बे द्वारा किया जा चुका है। डा० भाभा तथा संयुक्त राज्य अमरीका परमाणु ऊर्जा आयोग के बीच हुई वार्ता का

उद्देश्य उस संस्था के सहयोग से बड़े पैमाने पर कार्य, विशेषत: रिएक्टरों में थोरियम के प्रयोग के बारे में अनुसंधान तथा विकास कार्य करना था। इससे पहले कि थोरियम का इस्तेमाल शक्ति के उत्पादन के लिये पूरी तरह किया जा सके, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा अनुसन्धान करने की जरूरत होती है और संयुक्त राज्य परमाणु ऊर्जा आयोग तथा भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ऐसा ही अनुसंधान तथा विकास कार्य करने के लिये आपस में सहयोग करने की योजना पर विचार कर रहे हैं।

(ख) इस योजना के बारे में, जो कि स्वभावत: एक तकनीकी योजना है, एक विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

श्रम सम्बन्ध

1373. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'इनटक' की कार्यकारिणी समिति द्वारा सुझाये गये "नवीन दृष्टिकोण" की ओर दिलाया गया है कि जहां तक श्रम सम्बन्धों का ताल्लुक है सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ एकसा व्यवहार होना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) सामान्य रूप से श्रम कानूनों की दृष्टि से सरकारी और निजी क्षेत्रों में कोई भेद-भाव नहीं है और ये दोनों ही क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होते हैं। फिर भी कुछेक उपबन्ध ऐसे हैं जिन के अधीन सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों या उप-क्रमों को विशिष्ट छूट दी गई है। लेकिन ये अधिकांशत: सशस्त्र-सेना के लोगों और उन लोगों की छूटों के बारे में जिनपर सिविल सेवा नियम, सेना और वायु-सेना अधिनियम आदि लागू होते हैं। कई एक कानूनों में भी कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जिनके द्वारा सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कुछ उपक्रमों को कानूनों की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति से छूट दे सकती है। लेकिन ये विशिष्ट रूप से केवल सरकारी क्षेत्र के लिए छूट के अधिकार नहीं देते ; वे समान रूप से निजी क्षेत्र पर लागू होते हैं। इन छूटों के सामान्य अधिकारों को इस्तेमाल करने में सरकारी क्षेत्र के पक्ष में सिद्धान्त रूप से कोई भेद-भाव भी नहीं किया गया है।

आगरा के निकट बूचड़खाना

1374. श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री शीघ्रता से ठंडे किये हुए सूखे मांस के उत्पादन के लिए आगरा जिला में एक संयंत्र लगाने के बारे में 30 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 675 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच संयंत्र के स्थान के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितने एकड़ भूमि ली जा रही है और इसमें कितनी भूमि में इस समय खेती होती है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) इस बात का फैसला हो चुका है कि संयंत्र आगरा जिला में टुण्डला रेलवे स्टेशन के पास स्थापित किया जाए। स्थान का निश्चय जलकूप जलसंभरण के उपयुक्त स्थान मिल पाने पर निर्भर है।

(ख) स्थान के लिए नियुक्त बोर्ड की सिफारिशों पर विचार होने के पश्चात्, जिस की बैठक हो रही है, भूमि की निश्चित् आवश्यकता जानी जा सकेगी।

औद्योगिक विवाद

1375. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में आसनसोल और रानीगंज कोयला क्षेत्र में कोयला-खानवार ए० आई० टी० यू० सी०, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस और हिन्द मजदूर सभा ने कितने औद्योगिक विवाद उठाये ;

(ख) विवाद क्या थे ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) केन्द्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी के क्षेत्रीय अधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही है ।

कोयला सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की कार्यान्विति

1376. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी कोयलाखानों ने दूसरी अन्तरिम सहायता के रूप में मजदूरों की मजूरी में प्रति मजदूर 19 पैसे की वृद्धि करने के मजूरी बोर्ड के निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया है ; और

(ख) सरकार ने मजूरी बोर्ड के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) सरकारी संकल्प, जिसमें मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों की स्वीकृति की घोषणा की गई है, जनवरी, 1965 के मध्य में जारी किया गया । केन्द्रीय सम्बन्ध मशीनरी के अधिकारी इन सिफारिशों को कार्यान्वित कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं । जिन कालियरियों ने इन्हें कार्यान्वित नहीं किया है उनके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

रात्रि डाकघर

1377. **श्री गुलशन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली में इस समय काम कर रहे रात्रि डाकघरों के कार्यालय के घंटों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चीनी साम्यवादियों के भारत विरोधी प्रचार साहित्य का चोरी छिपे भारत में पेलाये जाने के समाचार

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :

"The reported smuggling of anti-Indian Chinese propaganda literature into India, particularly Kerala through Ceylon."

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : भारतसरकार को पता चला है कि चीन तथा चीन-समर्थक तत्वों द्वारा चोरी छिपे भारत में भारत विरोधी साहित्य भेजने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। सीमा-शुल्क तथा डाक अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिये कभी-कभी ऐसा साहित्य बाहर के भिन्न-भिन्न देशों से डाक द्वारा भेजा जाता है । सरकार को लंका से केरल में बड़े पैमाने पर इस प्रकार के साहित्य के आने के बारे में कुछ पता नहीं चला ।

मैं सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि इस मामले में लगातार चौकसी रखी जा रही है और जब कभी जरूरी होता है उपयुक्त कानूनी कार्यवाही की जाती है ।

Shri Yashpal Singh : Whether the Government have the information regarding their agents and their centres. What action has been taken by the Government against them ?

Shri Hathi : They send such materilal by post. They do not send to the big cities but to some left Communists or to their offices.

श्री नरेन्द्र सिंह महोडा : अखबारों में छपा है कि साम्यवादी साहित्य मलयालम में अनुवाद हो कर श्रीलंका में छपा और श्रीलंका से भारत में आया। क्या भारत सरकार ने इस बारे में श्रीलंका सरकार से कुछ लिखा-पढ़ी की है ?

श्री हाथी : पुस्तिका से यह पता नहीं चलता कि यह श्रीलंका में छपी है । हमारे पास मलयालम अनुवाद की प्रतिलिपि है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Whether this Communist Literature translated in Malyalam was sent to Kerala in order to effect the general election there ?

Shri Hathi : It seems so.

श्री मी० रू० मसानी : चीन का दूतावास भी तो इस प्रकार की गतिविधियों का केन्द्र है । इस के बारे में मंत्री महोदय का क्या मत है ?

श्री हाथी : इस प्रश्न को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए।

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलानें वाली सूचना के बारें में

ER : MOTION FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICE

कूच बिहार सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा गोलीबारी

अध्यक्ष महोदय : बहुत से स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं मेरे पास हैं। श्री नाथ पाई का एक नोटिस 'मकलीगंज क्षेत्र' पर भारतीय गांवों पर हमला रोकने में सरकार की असफलता पर है। इसे सायं 5.30 बजे लिया जायेगा। सदन की बैठक 6 बजे स्थगित होगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना---जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*contd.*

(दो) 1962 में नेफा से चीनियों के वापिस जाने के बारे में श्री सुधीर घोष का कथन

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद): मैं प्रधान मंत्री का ध्यान श्री सुधीर घोष के इस कथन की ओर दिलाता हूं कि श्री जवाहरलाल नेहरू की अपील पर कलकत्ता के निकट अमरीकी विमानवाहक जहाज की उपस्थिति के कारण 1962 में चीनी सेना नेफा से वापस लौट गई।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : श्रीमान्, 15 मार्च को श्री सुधीर घोष ने राज्य सभा में अपने वक्तव्य में कहा था कि 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के समय, सुपरसोनिक विमानों से लैस एक अमरीकी विमानवाहक जहाज कलकत्ता में, भारतीय जल-प्रांगण के बिलकुल समीप, मौजूद था और वह विमानवाहक जहाज स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री नेहरू के अनुरोध पर वहां रखा गया था। इन में से कोई भी बात सच नहीं है। नवम्बर अथवा दिसम्बर, 1962 में बंगाल की खाड़ी में न तो कोई अमरीकी विमान वाहक जहाज ही था, और न ही किसी विमानवाहक जहाज के लिए कहा गया था। इस सदन को भलीभांति विदित है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने रेडियो पर अपने भाषण तथा संसद् में अपने वक्तव्य में बार बार यह कहा था कि मित्र देशों की सहायता से चीनी आक्रमण का मुकाबला करना हम भारतीयों की जिम्मेदारी है। उस संकट काल में, हमारी अपील पर बहुत से देशों ने हमारे प्रति सहानुभूति दिखाई और उदाहरता से हमारी सहायता की। अमरीका ने हमें बहुमूल्य सहायता प्रदान की और आज तक भी हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी शक्ति बढ़ाने में सहायता करते आया है। रूस और अन्य देशों से भी हमें अपने सशस्त्र सेनाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हथियार मिले हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : किन्तु श्री सुधीर घोष ने ऐसी अटकल कैसे लगाई ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं क्या कह सकता हूं ?

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : May I know whether it is a fact that Shri Sudhir Ghosh has further stated in his statement that he had had a talk with the former President of America who had given him the information regarding presence of a U.S. aircraft carrier in the Bay of Bengal ?

Shri Lal Bahadur Shastri : I do not know as to what was discussed between them.

Mr. Speaker: We learn a lesson from it that hon. Members should first enquire into the merit of the case and they should not bring in incorrect and wrong things in Parliament.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : ऐसे कल्पित कथा का प्रचार करने वाले सदस्य को कांग्रेस संगठन से बाहर निकाल देना चाहिए।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : Sir, prior to this Shri Sudhir Ghosh had also made a statement suggesting that we might settle the dispute with China on give and take basis. Such statements may degrade the morale of Indians.

Mr. Speaker: One hon. Member should not use such words against another member. We should respect one another and we should take into consideration the *bonafides* of a Member.

Shri Lal Bahadur Shastri: It is not possible to exercise checks on a a Member expressing his opinion. But it is not necessary that it may exert an influence on Government.

Dr. Ram Manohar Lohia: We have to fight the Chinese on our own strength. But I have my doubts the late Prime Minister in spite of his dependence on our own resources asked for the American helps. He asked for the aid of men and arms. Is it not true ? Let this be answered.

Mr. Speaker: You have put no question. You are mentioning only the principle. This is not the question before us at the moment.

Madhu Limaye (Monghyr) : The attack on one's country is the question of one's life and death. Whether the Prime Minister is prepared to state that so far as invasion is concerned he is prepared to accept any help from any quarter.

Shri Lal Bahadur Shastri: I said in my statement that we will use whetever we have. The same thing was said by our late Prime Minister Shri Nehru. We asked for help from America, our friend country and we make use of that help.

Shri Madhu Limaye: I said there should not be any hesitation in this matter. Everything should be made clear.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय तार (प्रथम संशोधन) नियम

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, दिनांक 13 फरवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 234 में प्रकाशित, भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-4020/65]**

दिल्ली विकास प्राधिकरण के बारे में प्रशासनिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : मैं डाक्टर सुशीला नायर की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अन्तर्गत, दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1962-63 और 1963-64 की गतिविधियों के बारे में प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) उक्त प्रतिवेदन को सभा पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-3848/65]**

प्राग टूल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद, के वर्ष 1963-64 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4021/65]**

राज-भाषा अधिनियम में संशोधन पर खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में

RE : STATEMENT OF MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE ON AMENDMENT TO OFFICIAL LANGUAGES ACT

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : It has been a well established convention that, when the Parliament is in session, no Policy Statement should be made by the Minister outside Parliament. Only on Saturday last,

the Food and Agriculture Minister, Shri C. Subramaniam, made an important statement at Madras on a very delicate issue. He declared that the Government have decided to amend the Official Languages Act. The Prime Minister has called a meeting of the representatives of the various groups in Parliament this evening to consider the very issue and to arrive at a decision. From the statement of the Food Minister it appears that a decision has already been taken and the abovementioned meeting is a mere show. I want to know the views of Government on this issue.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मेरे विचार में मुझे स्पष्टीकरण करना ही चाहिए । मुझे खेद से यह कहना पड़ रहा है कि यह खबर पूरी तरह गलत है । मद्रास की जिस सभा में मैंने भाग लिया, वहां मैंने सरकारी भाषा अधिनियम की ओर मैंने कोई निश्चित निर्देश नहीं किया । मैंने भाषा समस्या का उल्लेख करते हुए केवल इतनी बात जरूर कही थी कि इस समस्या को इस प्रकार हल किया जायेगा कि सब को सन्तोष हो । भारत की एकता का पूरा ध्यान रखा जायेगा और इस दिशा में निर्णय शीघ्र ही कर लिया जायेगा ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : श्रीमान् जी, मैं, चालू अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित निम्नलिखित दो विधेयक, जिन पर 17 फरवरी, 1965 को सभा में गत प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आय कर (संशोधन) विधेयक, 1965 ।

(2) विनियोग विधेयक, 1965 ।

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : सब से पूर्व मैं बजट की अच्छी बातों पर उल्लेख करूंगा । आय-व्ययक में भारतीय कर-दाता को इतने दबाव के बाद जो थोड़ी राहत दी गई है इसके लिये वे आभारी तो हैं परन्तु उनकी स्थिति गत कुछ वर्षों पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी नहीं है । राहत दिये जाने पर भी आय-कर की दरें अन्य प्रगतिशील देशों की अपेक्षा हमारे देश में अधिक हैं । वित्त मंत्री जी ने भविष्य निधि तथा बीमे की किश्तों के आधार पर आय में से की जाने वाली कटौतियों का फार-मूला बदल कर के गलती की है क्योंकि उससे बहुत से कर-दाताओं पर भार बढ़ गया है जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम है, और जिनकी आय 50,000 तथा 1,00,000 रुपये के बीच में है उन्हें हानि उठानी होगी । वित्त मंत्री द्वारा उन के लिये सारणी पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये ।

उत्पादन शुल्क में राहत, आय-कर तथा अधि-कर से भुगतान का सरलीकरण तथा उन मालिकों को राहत जो अपने कर्मचारियों के लिये परिवार नियोजन पर धन व्यय करते हैं तथा सामान्य

[श्री मी० रु० मसानी]

विदेशी पूंजी लगाने का स्वागत करते हैं। यह सभी आय-व्ययक के अच्छे पहलू हैं। परन्तु यहीं तक आय-व्ययक के समर्थन में कहा जा सकता है कि खुले राष्ट्रीय हित में आय-व्ययक को तीन प्रकार से जांचने पर याने इसका मूल्यों पर प्रभाव विदेशी मुद्रा, संकट तथा आर्थिक बढ़ौत्री, इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता ।

यह आशा करना व्यर्थ है कि मूल्य गिरेंगे। यह एक मुद्रास्फीती वाला आय-व्ययक है। अपर्याप्त साधनों के होते हुए भी लोक व्यय की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। गैर-विकास व्यय में वृद्धि की जाने वाली है। राष्ट्रीयकृत उपक्रमों का कार्य बहुत संतोषजनक नहीं रहा है। इनमें से बहुत से घाटे में चल रहे हैं--रेलवे को छोड़कर--और तीसरी योजना के अन्त तक उन्होंने लगाई गई पूंजी का केवल 0.22 प्रतिशत लाभ ही दिखाया है। नियमन करने वाली सीमा शुल्क में 10 प्रतिशत वृद्धि से मूल्य और अधिक बढ़ जाएंगे क्योंकि इसका सम्बन्ध हमारे उद्योगों में काम आने वाले मध्यवर्ती माल से है ।

मुनाफाखोरों में राज्य व्यापार निगम सब पर बाजी ले जा रहा है। ताम्बे और इस्पात जैसी मध्यवर्ती वस्तुओं पर कठोरतापूर्ण उत्पादन-शुल्क बढ़ाने से सामान्य प्रभाव यह होगा कि मूल्य बढ़ जायेंगे। फिर, जैसा कि वित्त मंत्री ने स्वयं कहा है कि दीर्घकालीन ऋणों का मतलब घाटे की अर्थ-व्यवस्था होता है। मूल्यों को कम करने के लिये मूल्य नियंत्रण के तरीके पर आशा लगाना तनिक भी ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे पिछले अनुभव से यह पता लगा है कि इससे मुद्राबाहुल्य के दबावों का दूसरी दिशाओं पर प्रभाव पड़ने में सहायता मिलती है ।

हमारे विदेशी मुद्रा संकट को दूर करने के बजाय यह आय-व्ययक उसे जटिल बनायेगा। पिछली दशाब्दि के दौरान सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण ही विदेशी मुद्रा की कमी बनावटी तौर पर पैदा हुई है। यह जानबूझ कर मुद्राबाहुल्यकारी नीतियों द्वारा रुपये के मूल्य में कमी करने के परिणामस्वरूप हुआ है। सारे संसार के खुले बाजार में रुपये का मूल्य बहुत गिर गया है। आय-व्ययक पेश होने के बाद यह मूल्य और भी गिर गया है। विदेशी अर्थसहायता का प्रयोग देश को सहायता पहुंचाने के बजाय हमारे प्रतिकूल व्यापार संतुलन को ठीक करने के लिये किया जा रहा है। अगले दो या तीन वर्षों में यह विदेशी सहायता भी समाप्त होने वाली है क्योंकि एक तो सोवियत संघ ऋण के बाजार में दाखिल हो रहा है और दूसरे पश्चिमी देश अनुभव कर रहे हैं कि वह बिगड़ रही अर्थ-व्यवस्था की सहायता लगातार नहीं कर सकते ।

खेद की बात यह है कि विदेशी सहायता भी काला बाजार में ही जा रही है। इससे तस्कर व्यापार में वृद्धि हो रही है। सरकार से नियन्त्रण नहीं हो पा रहा। मुझे इस बात का हर्ष है कि काँग्रेस दल की एक प्रमुख सदस्या, विदेशों से काफी अनुभव प्राप्त करके लौटी हैं, और अखबारी खबरों के अनुसार उन्होंने हमें इस बात की चेतावनी भी दे दी है कि हमें अधिकतर विदेशी सहायता पर आश्रित नहीं रहना चाहिये। हमें अपनी खुद के प्रयत्नों से अपनी स्थिति ठीक करनी चाहिये। मेरा मत यह है कि हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट करके बहुत बड़ी सेवा की है। यदि उनकी अभिव्यक्ति की भाषा इतनी सख्त नहीं है जितनी कि मेरी। परन्तु हमें आने वाली घटनाओं को गम्भीरता से देखना चाहिये। और जब ऐसा हो तो विदेशी सहायता आनी बन्द हो जावेगी और फिर देश के सामने केवल दो ही रास्ते बाकी रह जावेंगे। एक तो यह कि निर्लज्जता से इसका दीवाला निकल जावे और दूसरा यह कि यह अपने घर की स्थिति को सुधार ले। ऐसा करने के लिये भी दो तरीके हैं। एक तो यह कि मुद्रास्फीति की नीतियों को छोड़ा जावे और चौथी योजना को जिस रूप में यह आज है, उसे समाप्त

किया जावे और रुपया को मज़बूत किया जावे। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो एक दिन आप इस देश और सदन के सामने आयेंगे और कहेंगे कि हमारे रुपया का मूल्य तो आज के रुपया से केवल आधा रह गया है और आओ बहाना करें कि इसका मूल्य तीन-चौथाई है। इसे अवमूल्यन करना कहते हैं परन्तु मैं ऐसा कहने का सुझाव नहीं दे रहा हूं क्यों यह बहुत ही दुखद चीज़ है और इसका प्रभाव धनी तथा निर्धन हर एक पर पड़ेगा और इस लिये ऐसा नहीं करना चाहिये।

अब तीसरी परीक्षा है कि बजट उत्पादन बढ़ाने वाला है अथवा उत्पादन बढ़ाने के विरुद्ध है। मैं कहता हूं कि यह उत्पादन बढ़ाने वाला बजट नहीं है। मेरे ऐसा कहने का कारण यह है कि इसने निगम के क्षेत्र को कोई आराम नहीं दिया है।

वित्त मंत्रालय के अधिकारी समझाते हैं और कहते हैं कि आप बजट में देखिये यह अच्छाई है। कभी इसमें कोई गुण बताते हैं और कभी दूसरा। पिछले बजट की सारी त्रुटियां इस बजट में विद्यमान हैं।

वित्त मंत्री ने कुछ कम्पनियों पर निगम-कर की सीमा 70 प्रतिशत कर दी है। परन्तु यदि आप ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि केवल उन कम्पनियों को यह सहारा मिला है जिनकी हद 70 प्रतिशत से पहले ही कम थी। ऐसा कहकर आप किसी कम्पनी को लाभ पहुंचा रहे हैं अथवा देश को मूर्ख बना रहे हैं। या तो यह मज़ाक है और या धोका।

एक ओर तो सूद की अधिक दर और दूसरी ओर लाभ का कम होना ऐसी चीजें हैं जिससे आप उपक्रमी को किराये पर लेने वाले बना रहे हैं।

मैं यह मानने को तैयार हूं कि वित्त मंत्री एक ऐसा औज़ार अपने हाथ में ले रहे हैं जिससे भला हो सकता है। परन्तु कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ठीक करना होगा। पहले तो यह कि कर की छूट आप केवल उन्हें ही क्यों देते हैं जिन्हें वित्तीय संस्थाओं के ऋण देने हैं। क्या उधार लेना भी गुण बन गया है और वह भी केवल संस्थाओं से लिया ऋण ? यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप संस्थाओं को वापिस देने की बात समाप्त करो।

मैं यह बता दूं कि आर्थिक ढंग से यह ठीक होगी परन्तु राजनीतिक ढंग से बुरी है। आपको मालूम है कि कर लगाने का अधिकार केवल लोक सभा को है। इस वित्त विधेयक के द्वारा कार्यकारिणी कर लगाने का अधिकार अपने हाथ में ले रही है और वह भी सदन से बिना पूछे। मैं वित्त मंत्री को ऐसा मानता हूं कि वह तानाशाही के विरुद्ध हैं तथा लोक तंत्र में विश्वास रखते हैं। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री कोई ऐसा कार्य न करें जिससे उनके जाने के बाद कोई इस अधिकार का दुरुपयोग करे। अभी वित्त विधेयक के पास होने में दो महीने शेष हैं क्योंकि वह मई के पहले सप्ताह में पास होगा। आप अभी से उसकी योजना बना सकते हैं और यह सदन उन पर विचार कर सके।

इस बजट के बारे म समाचारपत्रों में कहा गया है कि यह "गल्त विचारा हुआ है" "कमजोर" और "बिना विचारा हुआ है"। जब ऐसी बात है तो वित्त मंत्री इसकी अपेक्षा ऐसा बजट क्यों नहीं लाये जिसकी देश को आवश्यकता है।

उनके ऐसा बजट प्रस्तुत करने का एक कारण तो वित्त मंत्री ने यह दिया कि वे वह कार्य पूरा करना चाहते हैं जिसका दाय उनके लिये प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने छोड़ा है। इसके बारे में मैं यह स्पष्ट

[श्री मी० रु० मसानी]

कर दूं कि वे इस दाय को भले ही छाती से लगाते रहें, हम तो उसके हक में नहीं हैं। इस से यह दिखाई देता है कि वित्त मंत्री अभी पिछली बातों से मुक्त नहीं हुए हैं।

दूसरा कारण इस प्रकार के बजट प्रस्तुत करने का है यह योजना। योजना तैयार करने वालों के बारे में यह कह दूं कि वे केवल किताबी बुद्धिमान हैं और सिवाय शब्दों के वे कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकते। इनम से बहुत से तो साम्यवादियों के सहयोगी हैं जैसे कि प्रोफेसर माहलनोबिस तथा श्री वी०के० आर० वी० राव। योजना आयोग के उप-सभापति भी उसी ओर जा रहे हैं। अभी 13 मार्च को वे लुधियाना गये और वहां भारत-रूस मैत्री नाम की बदनाम साम्यवाद संस्था में भाग लिया। उन्होंने वहां पर यह भी कहा कि रूस तथा भारत को केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं अपितु योजना बनाने के तरीकों में भी सहयोग की आवश्यकता है। आजकल तो साम्यावादी देश जैसे कि चीन तथा रूमानिया भी इस प्रकार के सहयोग के विरुद्ध हैं। इन शब्दों को छपे 8 दिन हो गये परन्तु अभी तक योजना आयोग के उपप्रधान ने खंडन नहीं किया है। इस लिये ऐसे व्यक्तियों को योजना से बार फैंका जाना चाहिये।

सरकार को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर 50 प्रतिशत घटा देने चाहिये और इस कमी को असैनिक व्यय कम करके पूरा किया जा सकता है।

1958 में जब रूस के प्रधान मंत्री खुश्चेव ने देखा कि उनकी छटी योजना सफल नहीं हो रही थी तो उन्होंने उसे 7 वर्षीय योजना बना दिया। मैं कहता हूं कि सरकार को भी अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना को सात वर्षीय योजना बना देना चाहिये।

यह सरकार पीछे लिये हुए निर्णयों की दास है। इस लिये इसे उससे मुक्त करना होगा। यह अगले दो वर्षों में जनता करेगी और हम जनता की इस कार्य में सहायता करेंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर): अभी मुझ से पहले जो माननीय सदस्य बोले वह मौलिक योजना तथा अपने देश के विकास के विरुद्ध थे। उन्होंने यह प्रकट कर दिया कि यदि उन्हें राज्य करने का अवसर प्राप्त हो गया तो वे किस प्रकार जनता को लूटेंगे और रुपया इकट्ठा करेंग।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए (Mr. Deputy Speaker in the Chair)]

उन्हें श्री ति० त० कृष्णमाचारी के बजट के विरुद्ध क्या आपत्ति है। यह सच है कि इस बार साधारण जनता कर और कर नहीं लगाये गये जैसे कि इन दिनों में लगा करते हैं। परन्तु श्री कृष्णमाचारी ने अपने बजट द्वारा राष्ट्र को एक दलाल, तथा रुपया एकत्रित करने वाला बना दिया है जिसके कि जनता हक में नहीं है। वास्तव में यह समझते हैं कि सरकार बड़ी कमजोर है और यदि इस पर जोर डाला जाय तो यह झुक जावेगी।

इस आयव्ययक का वास्तविक प्रभाव धीरे धीरे पता लगेगा। इस प्रभाव को कम करने के लिए वित्त मंत्री ने मध्यम श्रेणी के तथा निर्धन लोगों के लिए कुछ राहतों की घोषणा की है। सब से कम आय वाले वर्ग, अर्थात् 5000 रुपयों से कम वार्षिक आय वाले लोगों के लिए 1964-65 में वास्तविक कर 6 प्रति शत था जबकि 1965-66 के लिए इसे पांच प्रति शत कर दिया गया है अर्थात् केवल एक प्रतिशत की राहत मिली है। परन्तु 70,000 या इससे अधिक आय वालों पर 1964-65 में कर 70 प्रति शत था जबकि 1965-66 में इसे घटा कर 60 प्रतिशत कर दिया

गया है अर्थात् उन्हें दस प्रति शत की राहत मिली है। यदि सरकार की नीति उन लोगों पर कमरतोड़ बोझ कम करने की है जो बढ़ रहे मूल्यों के कारण गुजारा नहीं चला सकते तो 2,000 या 3,000 तक वेतन प्राप्त करने वालों को राहत देने की क्या आवश्यकता है जब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने का प्रश्न उठता है तो यह सरकार 600 रुपये या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वालों को यह कहकर भत्ता देने से इन्कार कर देती है कि उनमें बढ़ते हुए मूल्यों को सहन करने का सामर्थ्य है। फिर भी करोड़पतियों को राहत दी जा रही है। केवल यही नहीं, उच्च आय वर्गों के लिए अनुर्जित आय कर पर आय-कर की अधिकतम सीमान्त दर 88 प्रतिशत से घटा कर 81 प्रतिशत कर दी गई है और अर्जित आय पर 82 प्रतिशत से 81 प्रति शत कर दी गई है। फिर भी करोड़पति अधिक रियायतों के लिए चिल्ला रहे हैं। निगमित क्षेत्र एक लम्ब समय से समृद्धि का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहा है।

हम मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में समाजवाद की बातें करते हैं परन्तु अपने मार्गदर्शन के लिए सदा शेयर बाजार की ओर देखते हैं। वास्तव में वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण में यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी आर्थिक नीति के ढांचे में गैर-सरकारी पूंजी लगाने की क्रिया को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री जनता से करों द्वारा प्राप्त राशि को गैर-सरकारी क्षेत्र में भेजने का साधन बन रहे हैं। कृषि के लिए योजना में नियत राशि, उर्वरकों के आयात और खाद्यानों के उच्च प्राप्ति मूल्य संबन्धी संकेतों को छोड़ कर उस प्रकार के प्रोत्साहन की कोई बात नहीं की गई है जैसी कि निगमित क्षेत्र के लिए की गई हैं। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ है कि सहकारी समितियों के लिए कर योग्य न्यूनतम सीमा घटा दी गई है। पहले यह 3,000 रुपये थी। 1964 में इसे घटा कर 2,000 रुपये कर दिया गया। उद्योगपतियों को धन लगाने के लिए बहुत से प्रोत्साहन तथा रियायतें दी गई हैं परन्तु कृषकों के लिए इस प्रकार की रियायत बिल्कुल भी नहीं दी गई है। क्या वित्त मंत्री इस प्रकार का सुझाव नहीं दे सकते थे कि पांच एकड़ तक भूमि पर लगान माफ किया जाये ?

राज्यों को इस प्रकार होने वाली हानि केन्द्रीय सरकार पूरी कर सकती है। कृषकों के लिए कृषि वस्तुओं के मूल्यों में क्षमता का महत्वपूर्ण प्रश्न कृषि मूल्य आयोग पर छोड़ दिया गया है। कृषकों की आवश्यकता की सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं। कृषकों को अपनी आवश्यकताओं के लिए ऋण सरकारी संस्थायों से प्राप्त नहीं हो रहा है और ऋण सम्बन्धी उनकी 80 या 75 प्रतिशत आवश्यकतायें अधिक ब्याज लेने वाले महाजनों से पूरी होती हैं। आयव्ययक में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। बैंकों का सारा धन औद्योगिक क्षेत्र में लगाया जाता है और कृषकों की सहायता बहुत कम की जाती है। बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्ध निदेशक ने बिना किसी प्रकार की आज्ञा के 65 लाख रुपया अपने बरेली के कारखाने में लगा दिया है। देना बैंक के प्रबन्ध निदेशक ने भी अनियमित रूप से धन का दुरुपयोग किया है। इसी प्रकार बैंकों के धन का उपयोग किया जाता है जो कि वास्तव में कृषकों को प्राप्त होना चाहिए।

मुझे श्री स० का० पाटिल का वह भाषण पढ़ कर आश्चर्य हुआ जिसमें सरकार की करारोपण की नीति की आलोचना की गई है। यही नहीं, इस सभा में एक उग्र सदस्य श्री कमल नयन बजाज ने यहां तक कहा है कि उन राजनैतिक दलों को अंशदान नहीं दिया

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

जाना चाहिये जो व्यापारियों के विचारों से सहमत न हों। हम बार बार यह कहते रहे हैं कि यह बड़े लोग तथा एकाधिपति अंशदान दे कर इस देश पर शासन कर रहे हैं और अपने लिए अधिक रियायतें तथा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शेयर बाजार की सहायता करने के लिए यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया की स्थापना की गई है ।

इस वर्ष के बजट के बारे में कहा गया कि इस में बहुत सी रियायतें दी गई हैं परन्तु बड़ी बड़ी कम्पनियों ने पहले ही अत्याधिक लाभ उठाये हैं और अब भी रियायतें उनको दे दी गई हैं। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने भी आजकल की पूंजी बाजार को धीमा कहा है । यह सब जान बूझ कर किया गया है ताकि अधिकाधिक रियायतें प्राप्त की जा सकें। पिछले वर्षों में जारी की गई पूंजी में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है । इस प्रकार धनी वर्ग रियायतें लेता रहा है और छोटे दर्जे के लोगों पर बोझ अधिक होता जा रहा है । आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि होती जा रही है । सरकार का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है । आज जब कि फसलें अच्छी हो रही हैं तो कीमतें कम होनी चाहियें परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है । उपभोक्ता को कोई राहत नहीं मिल रही है । उत्पादन शुल्क भी कम किये जा रहे हैं। इस के फलस्वरूप भी कीमतें कम नहीं हो रहीं।

कपड़े के बारे में भी यही स्थिति है । उपभोक्ताओं को बहुत कम लाभ होता है । सरकार ने कपड़े के मूल्यों पर नियंत्रण लगाया परन्तु जो राहत जनसाधारण को हुई है वह बहुत कम है । देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने सरकार को बता दिया है कि वे मूल्यों में कमी नहीं करेंगे । सरकार ने चाहे उत्पादन शुल्क में कमी कर के उनको राहत दे दी है ।

श्री मसानी ने विदेशी समाचार पत्रों से उद्धरण दिये हैं। मैं ने भी इस सम्बन्ध में आंकड़े देखे हैं। मेरे विचार में विदेशी समाचार पत्रों के अध्ययन से कोई लाभ नहीं है । हमारा देश एक गरीब देश है । इस देश के करोड़ों लोगों की समस्यायें अपनी ही हैं।

28 फरवरी, 1965 के कलकत्ता स्टेट्समैन में एक लेख छपा है । यह बजट के बारे में है। इसमें स्थिति का बड़ा अच्छा विश्लेषण किया गया है । इस के अनुसार कीमतें और अधिक बढ़ने की आशंका है । हमें भय है कि देश में गरीब जनता के हित में कुछ नहीं किया जा रहा है । भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने मांग की है कि औद्योगिक क्षेत्र में आजकल जो नियंत्रण है वे हटा लिये जाने चाहियें । इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्या यह अवश्यक था कि बड़े पूंजीपतियों को रियायतें दी जायें, यदि श्री पाटिल वित्त मंत्री हों तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था इन थोड़े से पूंजीपतियों के हाथ में आ जायगी और वे हर प्रकार की मनमानी करेंगे ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में बोनस अंशों पर रियायत है । हम इस का विरोध करते रहे हैं। अब श्री कृष्णमाचारी ने इन के मूल्यों में 10 प्रतिशत की कमी का प्रस्ताव किया है । इस से जनसाधारण के काम आने वाली चीजों के मूल्यों में वृद्धि होगी। यही बात श्री मसानी ने कही है । हमारे उद्योगपति मित्र चाहते हैं कि सभी कर और नियंत्रण समाप्त कर दियें जायें। इन रियायतों द्वारा उन लोगों के नाम में वृद्धि होने लगी है । धारा 104

के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को भी, जो निर्माण कार्य में लगी हुई हैं, कर में रियायत दी गई है। पहले बहुत थोड़ी संख्या में ऐसी कम्पनियां थीं परन्तु अब बड़े बड़े पूंजीपतियों को काफी लाभ होने लगेगा। एक और रियायत धनकर में दी गई है। इस के स्थान पर यदि रियायत किसानों को दी जाती तो अच्छा होता। यह किसान सरकार द्वारा नियत किये गये दरों पर खाद्य पदार्थ बेचते हैं।

श्री मसानी ने सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की आलोचना की है। वह तो नियोजित विकास के विरुद्ध है। हम चाहते हैं कि सभी महत्वपूर्ण परियोजनायें सरकार स्वयं चलाये। इन को कुशलतापूर्वक चला कर मल्यों में कमी लायी जा सकती है। मैं और अधिक संख्या में सार्वजनिक परियोजनायें खोले जाने के सुझाव का स्वागत करती हूं। हमें आई० सी० एस० जैसे पदाधिकारियों की मनोवृत्ति में भी परिवर्तन लाना होगा। टेकनोकल संघटनों में टेकनीकल विशेषज्ञ सभी कार्यों पर लगाने चाहियें। मजदूरों के साथ अपने सम्बन्धों में सुधार करना होगा। उन में ऐसी भावना जागृत करनी होगी कि वे समझें कि वे देश के हित में कार्य कर रहे हैं। यह बड़े सन्तोष की बात है कि सरकारी क्षेत्र की बहुत सी परियोजनाओं में लाभ होना आरम्भ हो गया है। उन में से कुछ इस प्रकार हैं। (1) हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड (एच० एस० पी० एल०) 2. हिन्तुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड 3. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स 4. हिन्दुस्तान केबल्स तथा नेपा आदि। सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ताकि अन्य परियोजनाओं में भी लाभ हो तथा उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये जा सके।

इंडियन ऑयल कम्पनी ने 83.5 लाख रुपये का लाभ दिखाया है। इस में वृद्धि की जा सकती है यदि सरकार पश्चिम के गैर-सरकारी समवायों का एकाधिकार समाप्त कर दे। इन विदेशी कम्पनियों के कारण कच्चे तेल के दर भी काफी ऊंचे हैं। हमें रूस से कच्चा तेल काफी कम मूल्य पर मिल सकता है और बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा भी बचायी जा सकती है। यह कम्पनियां 1961 तक अपनी लगायी पूंजी से अधिक धन बाहर भेजती थी। इस से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। हमें हर एक कार्य में विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं होना चाहिये। हमें आत्मनिर्भर बनना है। मुझे शिक्षा के क्षेत्र के बारे में मालूम है कि बहुत अधिक धनराशि फोर्ड फाउन्डेशन आदि विदेशी संस्थाओं से मिल रही है और इस प्रकार ऐसी जगहों में कई मामलों में जासूसी आदि होने का भी पता लगा है। हमें ऐसी सहायता को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। श्री कृष्णमाचारी ने विदेशी विशेषज्ञों को यहां रहने के लिये प्रोत्साहन दिया है। इस बारे में श्री जी० एल० मेहता ने भी कहा है। हमें जो जानकारी इन विदेशी विशेषज्ञों से प्राप्त होती है वह विशेष रूप से लाभदायक नहीं होती। हमें अपने देश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना चाहिये।

अब सरकार ने पांच उर्वरक के कारखाने लगाने का निश्चय किया है। इस के लिये एक विदेशी कम्पनी से सहायता ली जा रही है जो वास्तव में हमें महंगी पड़ेगी। एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक कारखाने पर 40 लाख रुपये व्यय होंगे जब कि दुर्गापुर वाले उर्वरक कारखाने पर 35 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार विदेशी सहायता

[श्रीमती रेणुचक्रवर्ती]

से बनाये गये कारखाने महंगे रहेंगे । उर्वरक के भाव पहले ही बहुत अधिक हैं। इन कारखानों में उत्पन्न हुए उर्वरक के भाव कम कैसे हो सकते हैं।

विदेशी पूंजी हमारे हितों के विरुद्ध है । हमें अपने देश की वस्तुओं के विकास को प्रोत्साहन देना चाहिये। हमें पश्चिम जर्मनी से बहुत सहायता मिली है । हमें उसका 800 करोड़ रुपया देना है । इसका कारण यह है कि हम उस देश से सहायता लेते हैं पर निर्यात कुछ नहीं करते। इस तरह की स्थिति और भी बहुत से देशों की है।

विदेशी पूंजी पर जो लाभ के रूप में धन हमारे देश से बाहर जाता है वह भी हमारे ऊपर एक प्रकार का बोझा है । इससे हमारे देश की विदेशी मुद्रा स्थिति पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । मैं चाहती हूं कि इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाय।

चीन के बारे में कहा जाता है कि वह रूस आदि से थोड़ी सी सहायता ले कर अपने देश में वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देता ह परन्तु हम हर एक परियोजना के लिये विदेशों से विशेषज्ञ मंगाते हैं। हमें कच्चे माल से स्वयं वस्तुएं तैयार करनी चाहियें । 1956-57 से तकनीकी जानकारी के विदेशों को किये जाने वाले भुगतानों में 54 गुना वृद्धि हुई है। इस ओर तुरन्त ध्यान दिया जाय । इस सारे प्रश्न पर पुनः विचार किया जाय ।

जब कभी सरकार किसी विदेशी कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करती है तो उस को पूरा नहीं किया जाता । कलकत्ता की दो तीन कम्पनियों के बारे में मुझे जानकारी है कि पूरी कार्यवाही नहीं की गई । और वे लोग बच जाते हैं। गोयनका की जूट की फर्म ने भी गड़बड़ की है और उच्च न्यायालय ने भी इस बारे में निर्णय फर्म के विरुद्ध दिया है परन्तु सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की । जब कोई छोटा आदमी कोई अपराध करता है तो उसके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही होती है परन्तु इन बड़े बड़े लोगों के विरूद्ध कुछ नहीं किया जाता । हमें पता चला है कि देश के बड़े बड़े उद्योगपति वित्त मंत्री से मिले हैं और उन्होंने अपनी बातें मनवाने के लिये वित्त मंत्री पर दवाब डाला है । मैं कहूंगी कि सरकार सर्तक रहे। बड़े बड़े उद्योगपति अधिकाधिक रियायतें चाहते हैं। सरकार को देश की गरीब जनता का ध्यान रखना चाहिये। बेचारे लोग पहले ही महंगाई और करों से दबे चले जा रहे हैं । सभी वर्ग तंग आ गये हैं और राहत की मांग कर रहे हैं । सरकार के पास धन की कमी है । ऐसी स्थिति में सरकार को सावधान होना होगा, नहीं तो भयानक परिणाम निकल सकते हैं ।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : आज देश की जनता का जीवन स्तर ऊंचा करना हमारा लक्ष्य है । यह कार्य हम समाजवादी तरीकों से करना चाहते हैं। वस्तुओं के भाव बढ़ रहे हैं। देश की गरीब जनता के लिए बहुत कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं । इस प्रकार की स्थिति सरकार के लिए एक चुनौती है । उसे बड़ी सावधानी से अपने कर्त्तव्य को निभाना होगा ।

हमारी भुगतान शेष की स्थिति भी प्रतिकूल होती जा रही है । अब वित्त मंत्री ने इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये हैं और आशा करनी चाहिये कि स्थिति में कुछ सुधार होगा । हमारे आर्थिक विकास के क्षेत्र में सबसे बड़ी त्रुटि कृषि में रही है । इस त्रुटि को दूर करने के लिये प्रयास हो रहा है । हमारे देश में जमाखोरी बहुत बढ़ गई है । संयुक्त

राष्ट्र के दूर-पूर्व के आर्थिक आयोग ने अपनी 1964 की रिपोर्ट में यही कहा है। सरकार को इस सम्बन्ध में कठोर कार्यवाही करनी चाहिये। कलकत्ता नगर में राशन व्यवस्था बहुत सफल सिद्ध हुई है। इसी प्रकार की व्यवस्था दिल्ली में भी लागू की जानी चाहिये। रक्षित भंडार के बारे में बहुत समय से सुनने में आ रहा है। आशा है वह शीघ्र बनाया जायगा।

हमारे देश में जन साधनों के बनाने की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। एक विकासशील देश में उत्पादन क्षमता बढ़ाने में उपभोक्ता व्यय का बड़ा महत्व होता है। जब तक जनसाधन की ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा आर्थिक विकास नहीं हो सकता। योजनाओं से इनका उपबन्ध किया जाता है परन्तु जब योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है तो इनकी अवहेलना की जाती है।

हम इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि गांवों में स्कूलों की संख्या बढ़ा दी गई है, परन्तु हम इस ओर कभी ध्यान नहीं देते कि उन स्कूलों में जाने वाले बालकों की क्या संख्या है, क्या अध्यापक वास्तव में उपस्थित होते हैं, क्या शिक्षा ठीक ढंग से दी जाती है, क्या अध्यापकों को माकूल वेतन दिया जाता है। जब तक अध्यापकों को पर्याप्त वेतन नहीं दिया जायेगा वे देश की अच्छी सेवा नहीं कर सकते हैं। जब तक हम ऐसे व्यक्तियों को उचित स्थान तथा वेतन नहीं देंगे जो देश के जन साधनों के निर्माण में लगे हुये हैं, हम प्रगति नहीं कर सकते।

आज हमारे देश में स्थिति यह है धन केवल कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठा होता जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कि इसके समान वितरण के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं? मैं आशा करती हूं कि महालानोविस प्रतिवेदन की ओर उचित ध्यान दिया जायेग अन्यथा हमें एक बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा।

अब मैं कर सम्बन्धी प्रस्तावों को लेती हूं। आयकर में रियायत देकर अपाहिजों के उपचार और उनकी देखभाल की व्यवस्था के लिए जो उपबन्ध किया गया है वह बहुत अच्छा है।

इस दिशा में दूसरा अच्छा कदम यह है कि शहरों में भूमि के बेचने पर कर को वापस देने की व्यवस्था की गई है बशर्ते कि छिद्रे क्षेत्रों में विनियोजन किया जाये। इससे गांवों में उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

उत्पादन शुल्क में जो कमी की गई वह भी इस दिशा में एक अच्छा कदम है 1955–56 में उत्पादन शुल्क द्वारा 145 करोड़ रु० इकट्ठे किये गये थे जबकि 1964–65 में 773 करोड़ रुपये।

हमारे निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 15 प्रतिशत की कर छूट (Tax Credit) दी जा रही है। कभी कभी निर्यात की अपेक्षा माल को देश में बेचना अधिक लाभप्रद होता है, इसीलिये यह 15 प्रतिशत का जो प्रोत्साहन दिया गया है वह बहुत अच्छा है। परन्तु मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में आंकड़े दें। इस मामले में हमें बीजक को कम

[श्रीमती रेणुका राय]

ज्यादा दिखाने को रोकने के लिए शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है। इससे हम विदेशी मुद्रा की चोरी को रोक सकेंगे।

श्री मसानी ने कहा कि सारा नियोजन सर्वथा गलत है और हमें अपने खर्च में कमी करनी चाहिये जिससे कि आर्थिक विकास तब तक न हो जब तक गैर-सरकारी क्षेत्र चाहे।

गैर सरकारी क्षेत्र को जो रियायतें दी गई हैं मैं नहीं समझती कि उनसे कोई लाभ पहुंच सकता है। मिश्रित अर्थशास्त्र में सहकारी क्षेत्र का अपना महत्व होता है। हमें वास्तविकता को ध्यान में रख कर इस सम्बन्ध में निर्णय करने चाहिये। मैं नहीं समझती कि पूंजीपतियों को धन को प्रकट करने के लिए 3 महीने की रियायत क्यों दी गई है जिसके लिये कि वे दण्ड के भागी हैं। हमारी इन पेशकशों से कोई पर्याप्त धन प्राप्त नहीं हो सकेगा।

हमारी कर-व्यवस्था बड़ी जटिल और पेचीदा है। लोगों को इसे समझने के लिए वकीलों को भारी फीसें देनी पड़ती हैं। यदि इसको सरल कर दिया जाये हमारे खजाने में काफी पैसा भी आ सकता है।

योजना को क्रियान्वित करने की भी हमारे सामने समस्या है। चौथी योजना के बारे में हम अभी तक कोई निश्चित नीति नहीं बना सके हैं। इस सम्बन्ध में हमें अपनी पुरानी विचारधारा और दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा। पुराने नियमों को छोड़ कर नये विचारों की ओर ध्यान देना होगा।

बदलती हुई परिस्थितियों में हमारे काम करने के ढंग, हमारे कार्यक्रमों, हमारी नीतियों और विचारधाराओं में भी परिवर्तन आना चाहिये। आज हमारे अधिकारी अथवा कर्मचारी अपने से बड़ों को स्पष्ट और सही मंत्रणा नहीं देते हैं। उनकी मंत्रणा दूषित होती है। वे ऐसी मंत्रणा देते हैं जो अगले वरिष्ठ अधिकारी की मारफत आ जाये। उनको अपनी अक्ल और सूझबूझ से काम लेना चाहिये और जो साफ बात है वह बतानी चाहिये चाहे वह अच्छी लगे अथवा बुरी। इस दिशा में इस देश में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है।

हमारे प्रशासन के ढांचे में जो कमियां हैं वही हमारे सरकारी क्षेत्र में हैं। सरकारी क्षेत्र में प्रशासन में सुधार के लिए हमें तकनीकी दृष्टि से उन्नत देशों के अनुभव से लाभ उठाना चाहिये। मैं इस आलोचना में विश्वास नहीं करती कि सरकारी क्षेत्र में लाभप्रद उत्पादन नहीं हो सकता। हमें चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस पर गर्व है जहां थोड़े ही समय में सस्ते इंजन बनने लगे।

श्री अ० प्र० जैन (तुमकुर) : श्री मसानी द्वारा दिये गये तर्क का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहता हूं। अमरीका में, जो कि संसार में सब से उन्नत देश है, पिछले 2 वर्षों में लगभग 40 प्रतिशत की दर से औद्योगिक आर्थिक विकास हुआ है जब कि भारत में भ्रष्टाचार आदि सभी तरह की बुराइयों के होते हुए भी इस विकास की दर 7 या 8 प्रतिशत रही है।

श्री मसानी ने कहा कि इस बजट से सिक्के का फैलाव बढ़ेगा। सिक्के का फैलाव किस तरह होता है? पहले तो इस प्रकार कि यदि सरकार पिछले कई वर्षों में जमा लग गई अपनी पूंजी को निकाले। निश्चय ही वित्त मंत्री ऐसा नहीं करेंगे—वास्तव में सरकार ने बहुत थोड़ा पैसा बचा रखा है। दूसरे रक्षित बैंक को अल्पकालीन राजकोष बिल (शार्ट टर्म ट्रज़री बिल्स) बेच कर मुद्रास्फीति होती है। जहां तक मैं समझता हूं वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अधिक राजकोष पत्र नहीं बेचेंगे।

इस वर्ष 270 करोड़ रु० का ऋण लेने का उपबन्ध है जोकि गत वर्ष की राशि से लगभग 70 करोड़ रु० कम है। इससे मुद्रास्फीति नहीं बढ़ सकती है।

अन्त में मुद्रास्फीति बैंक ऋण के फैलाव से होती है। वहां भी दो बार ब्याज की दर बढ़ाई गई है, 4 से 5 प्रतिशत और 5 से 6 प्रतिशत। पैसा महंगा हो गया और बैंक ऋण का फैलाव सीमित कर दिया गया है।

श्री मसानी ने यह भी शिकायत की कि नये अंशों को 92 प्रतिशत बीमा कम्पनियां खरीदती हैं। परन्तु वह यह भूल जाते हैं कि इन सब बातों के लिए पूंजीपति ज़िम्मेदार हैं। बरेली में एक चोटी के पूंजीपति ने एक रबड़ का कारखाना चलाया था। मंडी में आने से पहले ही वहां एक अंश की कीमत 100 रु० से बढ़ कर 300 रु० हो गई और बाद में मालूम है क्या हुआ एक अंश 50 रु० या 60 रु० का बिका।

मध्यवर्ग के लोगों की गाढ़े पसीने की कमाई के पैसे को इस प्रकार लूटा जाता है। यही कारण है कि पूंजी मंडी में नहीं आ रही है।

पिछले कई वर्षों से मैं बजट की आलोचना करता रहा हूं। इसका कारण यह था कि पिछले बजटों में अधिक कर लगाने के लिए मंजूरी लेने के इरादे से करों द्वारा आमदनी का बहुत कम अनुमान लगाया गया था और व्यय को बहुत अधिक दिखाया गया था। पिछले चार वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि आमदनी का जो अनुमान लगाया गया था उससे 100 प्रतिशत अधिक आमदनी हुई है। हर वर्ष नये कर लगाये जाते थे और जनता उनके दबाव से मर रही थी।

इस वर्ष करों में काफी राहत दी गई है। व्यक्तिगत करों में एक आम आदमी को कुछ राहत मिली है। उत्पादन शुल्क में भी कुछ राहत दी गई है। यद्यपि यह राहत सीमांत राहत है परन्तु आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए जब कि हमारे सामने खाद्य का संकट है और चीनी आक्रमण का मुकाबिला करने के लिए हमें तैयारी करनी है, इसे काफी समझना चाहिये।

अधिक उत्पादन पर कर में छूट देने का जो प्रस्ताव है वह काफी अच्छा है। हम चाहते हैं कि इस बजट से उत्पादन को बढ़ावा मिले।

जो उद्योग शहरों से ले जाकर कम आबादी वाले क्षेत्रों में लगाये जायेंगे उनको कर में छूट दी जायगी। शहरों में भीड़-भाड़ को कम करने की दिशा में यह बहुत अच्छा कदम है।

छिपे हुए धन को बताने के बारे में वित्त मंत्री ने जो सुझाव रखा है, कि 40प्रतिशत को अपने खातों में दिखाया जा सकता है, बशर्ते कि 60 प्रतिशत रक्षित बैंक में जमा करा दिया जाये, उसकी

आलोचना की गई है इस से मुनाफाखोर, चोर बाजारी करने वाले और कर की चोरी करने वाले बच जायेंगे । परन्तु हमें वास्तविकता को ध्यान में रखना है। जब पुलिस द्वारा तलाशियों से अधिक धन प्राप्त नहीं किया जा सका तो हमें इन उपयों को अपनाना चाहिये। वित्तमत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 3 मास के बाद क्या रुख अपनाया जायेगा क्योंकि यह छूट केवल तीन ही मास के लिए ही दी गई है । जो व्यक्ति इन तीन मास में भी अपना छिपा हुआ धन नहीं बतायेंगे उनके लिए कड़े से कड़े दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये ।

1963–64 से लेकर अब तक मूल्यों में लगभग 23–24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस समय फसल का मौका है और बाद के महीनों में मूल्यों में और भी वृद्धि हो जाने की आशंका है । इसलिए मूल्यों को नियन्त्रण में लाना बहुत ही आवश्यक है । वित्त मंत्री ने इसके लिए जो उपाय बताये हैं वे सब के सब अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं । परन्तु हमारे बजट में कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनसे मूल्यों में और वृद्धि होने की संभावना है । गत वर्ष केन्द्र को राज्यों से 3,000 करोड़ रु० लेना था । इस वर्ष यह बकाया राशि 3,476 करोड़ रु० है । इस प्रकार इस वर्ष 476 करोड़ रु० और बढ़ गये हैं । इस से सिक्के का फैलाव बढ़ेगा और उसके परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि होगी ।

जहां तक निजी उद्योग का सम्बन्ध है वे सरकार से बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस बात का पता श्री मसानी के भाषण से भी लग गया । इसलिए मैं वित्त मंत्री को जताना चाहता हूं कि उन्हें मूल्यों के बारे में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि वे उनके हाथ न निकल जावें । श्री मसानी ने कहा कि वित्त मंत्री के बजट के भाषण में तथा वित्त विधेयक में परस्पर विरोध है । मेरा विचार है कि वित्त मंत्री ईमानदार व्यक्ति हैं और यह त्रुटि मसौदा तैयार करने वाले की है और मुझे आशा है कि वे विधेयक को अपने भाषण के अनुसार बना लेंगे ।

अपने भाषण में उन्होंने अधिकृत लेखापाल तथा वकीलों आदि को कुछ छूट दी है और पहली बार सरकारी कर्मचारियों को भी पैंशसन तथा प्रोविडेंट फंड आदि में पहले से अधिक सुविधा दी गई हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वे डाक्टरों को भी न भूले और उन्हें भी वकीलों जैसी सुविधा का हकदार समझें ।

वित्त मंत्री ने उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया है जैसे अधिक उत्पादन के लिये 25 प्रतिशत कर की छूट दी है ।

अब मैं इस बात पर आता हूं जिसे वित्त मंत्री ने स्वयं कहा है कि एक ऐसा वर्ग है जो रुपया इस कारण कारोबार में नहीं लगा सकता क्योंकि उनके पास रुपया है ही नहीं । उसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि जिनके पास धन है वे इस कारण नहीं लगा रहे क्योंकि उनके पास इसके लिये कोई गया नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे गांव के लोगों के बारे में ऐसा सोचते है ? वे भला क्यों ऐसे काम में रुपया लगायेंगे जहां पांच वर्ष तक कुछ वापस उन्हें मिले ही नहीं । इसलिये मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर कुछ सोचें ।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि मैं विदेशी पूंजी के बारे में कुछ कहूं । और तो और यूरोप के बड़े बड़े देश भी आजकल अमरीका की पूंजी से डरते हैं । हमें भी वह पूंजी केवल उन कारोबारों के लिये प्राप्त करनी चाहिये जिनकी हमारे पास अधिक जानकारी आदि नहीं है और जो बहुत बड़े हैं जैसे पेट्रो-केमिकल तथा कृषि-उद्योग मुझे अचम्भा होता है, जब कुछ सदस्य यहां होटल के उद्योग के लिये भी विदेशी पूंजी की मांग करते हैं ।

मैंने यहां तथा बाहर कुछ उद्योगपतियों से बात की है और उनका विचार यह है कि प्रशासनिक देर भारत में बहुत होती है ।

कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। परन्तु इसका कारण योजना के कारण नहीं अपितु किसान का परिश्रम है। कृषि के लिये अच्छे बीज, अच्छे औजार, खाद तथा पानी चाहिये। हमारे देश में रसायनिक खाद के मामले में बहुत लापरवाही बरती है।

कुछ सदस्यों ने स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा है कि उन्होंने जितनी समस्यायें सुलझाई हैं उनसे अधिक छोड़ गये हैं। एक बड़े व्यक्ति के बारे में ऐसा कहना अनुचित है। कौन सा संसार का बड़ा व्यक्ति था जो अपने मरने के पश्चात् इतनी समस्याएं छोड़ गया जितनी कि उसने सुलझाई भी न हों। यही हाल सिकन्दर का हुआ, यही नेपोलियन का, यही चंगेजखां तथा लेनिन का हुआ और यही बापू का। इसलिए जो भी बड़ा व्यक्ति मरा है उसने मरने के पश्चात् बड़ी समस्याएं छोड़ी हैं।

यह बजट कोई जादू का डंडा तो है नहीं कि सारी सफलताएं प्राप्त कर ले। परन्तु मुझे विश्वास है कि इसमें जो बातें हैं उनका कुल प्रभाव ऐसा होगा कि उससे यहां खुशहाली आवेगी।

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला वर्ष है जब कि कुछ बर्षों में हमारे सामने बचत का बजट आया है। मेरे वचार में जहां तक हमारी आन्तरिक अर्थ व्यवस्था का सम्बन्ध है हम ऐसी जगह पहुंच गये हैं जहां हमें दूसरों पर आधारित रहने की आवश्यकता है। हां बाहरी अर्थ व्यवस्था में हम अवश्य बाहर के देशों पर अभी निर्भर हैं।

हमारी विदेशी मुद्रा की हालत बहुत ही गम्भीर है। यदि हमें अन्तर्राष्ट्रीय बैंक आदि से सहायता न मिलती तो हालत कुछ और ही होती। इस देश का काफी धन बाहर जा रहा है और उसका उल्लेख कुछ पूर्व वक्ताओं ने किया भी है।

आजकल किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिये बाहर से विशेषज्ञ बुलाने का फैशन बन गया है। हमें ऐसा करने में होशियारी से काम लेना चाहिये।

हमारे स्वतन्त्र दल अथवा साम्यवाद दल के सदस्य कुछ भी कहें परन्तु यह सत्य है कि भारत ने औद्योगिक विकास में काफी प्रगति की है।

वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्र से उत्पादन बढ़वाने के लिये रेयायतें दी हैं। परन्तु मेरे विचार में इन रियायतों से काम नहीं चलेगा। उनके साथ कुछ कठोरता बरतने की आवश्यकता है। छुपे धन के बारे में कुछ अवधि निश्चित कर देनी चाहिये और यदि उस समय तक व अपना धन नहीं बतलाते तो ऐसे धन को ज़ब्त कर लेना चाहिये।

यद्यपि औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति की है परन्तु कृषि के मामले में हम पीछे रह गये हैं।

पिछली लड़ाई के बाद से रुपया का फैलाव बहुत बढ़ गया है। मुझे पता चला है कि राज्य सरकारों से कहा था कि घाटे का बजट न बनावें परन्तु उन्होंने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। कहा जाता है कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार का 3500 करोड़ रुपया देना है। मुझे पता नहीं कि यह रुपया सिवाय उन्हें और कर्जा देने के, कैसे वसूल किया जायेगा।

[श्र० चं० गुह]

इस वर्ष राज्य सरकारों ने जान बूझ कर घाटे के बजट बनाये हैं। आज जब कि चतुर्थ वित्त आयोग की नियुक्ति हो चुकी है तो वे अपनी वित्त स्थिति बहुत खराब दिखाना चाहती हैं। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाने वाले हैं। इसके साथ साथ हमें राज्यों की मुश्किलों का भी ध्यान करना होगा। उनकी बहुत सी ज़िम्मेवारियां हैं परन्तु उनके संसाधन सीमित हैं। आज केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों के भत्ते तथा वेतन बढ़ा रही है। राज्यों के कर्मचारी भी इसकी मांग कर रहे हैं परन्तु राज्य सरकारों के पास इसके साधन नहीं ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार को राज्यों की सहायता करनी चाहिये। बड़े बड़े नगरों में केन्द्रीय सरकार नगर भत्ता देती है परन्तु राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर पातीं। महंगाई तो सभी कर्मचारियों के लिये एक जैसी है। सरकार को राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिये कुछ करना चाहिये।

सभी वित्त आयोगों ने राज्य सरकारों की कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया है। द्वितीय आयोग ने तो यह भी कह दिया था कि संविधानिक उपबन्धों में परिवर्तन करके राज्य सरकारों की और सहायता के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये। इसी प्रकार के विचार तृतीय आयोग ने भी व्यक्त किये थे। सरकार को पूरे प्रश्न पर विचार करके पुनर्विलोकन करना चाहिये। वर्तमान स्थिति में राज्यों के राजस्व की स्थिति बंधी सी हुई है।

इस सम्बन्ध में मेरे राज्य की हालत और भी गम्भीर है। मेसतन पंचाट के दिनों से इस के साथ अन्याय ही होता चला आ रहा है। देशमुख पंचाट तथा तीन वित्त आयोगों ने भी कोई राहत नहीं दिलायी। वास्तव में पश्चिमी बंगाल एक समस्याओं का राज्य रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ साथ वहां पर अकाल पड़ा। फिर देश के विभाजन के साथ समस्याओं में वृद्धि हुई। वहां लाखों की संख्या में विस्थापित लोग आये और स्थिति गम्भीर होती गई। आज वहां हालत बहुत खराब है। कलकत्ता नगर भी एक समस्या है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार को अवश्य सहायता करनी चाहिये।

तृतीय योजना काल में केन्द्रीय सरकार की ओर से सहायता कम हुई है। राज्य सरकार को विद्युत् उत्पन्न करने पर बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ा है। विद्युत् से अन्य राज्यों को भी लाभ होगा और देश के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी, अतः केन्द्रीय सरकार को इस मद में हुए व्यय को आंशिक रूप में अवश्य सहन करना चाहिये।

पिछले साल जनवरी से विस्थापितों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई है। इन में से बहुत से शिविरों में नहीं गये हैं। उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। इनकी सहायतार्थ भी राज्य सरकार की मदद होनी चाहिये।

सीमा की सुरक्षा का प्रश्न भी बहुत महत्व का प्रश्न है। उनकी देखभाल भी राज्य सरकारें करती हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों की सहायता करनी चाहिये।

इस बजट में देश की दृढ़ अर्थ व्यवस्था की एक झलक देखने को मिलती है। हमने पंच-वर्षीय योजनाओं को सफल बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। हमें निराशावादी दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिये। देश ने कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों का अनुमोदन किया है। पिछले तीन आम चुनाव इसके साक्षी हैं। हम आशा करते हैं कि चतुर्थ योजना से जनसाधारण की हालत सुधरेगी।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं ।
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

Shri Lahri Singh (Rohtak): The Budget has been characterised as a good Budget by the ruling party. I will say that it is a good Budget for the rich people and big industrialists. It gives no relief to the poorer section of society. The poor farmets get no benefit. Had some relief been given to the poor it would have been a good Budget. The real service of the country is being done by the poor. Their sons are doing duty on the borders of the country as soldiers. Mr. Masani, being a big industrialist would, of course, welcome this Budget, because it offers them so many concessions. I would urge the Government to pay proper heed to the poor people or difficult situation will arise and there can be a revolution in the counrty.

You have shown leniency to the 'people who have got unaccounted money with them. They have been given the chance to retain 40 p. c. of such money. Government should not give such chances. It is all preposterous. Government should enforce laws with a stern hand. Our Government is inviting foreign investment. I am opposed to this policy. We are depending on foreign countries in every sphere of activity. This is not in the best interests of our country. We are importing foodgrains in very big quantity. We are getting loans to meet the expenditure of our plans. We want foreign collaboration in everything. We should try to stand on our own legs. It is only then that we can make some real progress.

The Finance Minister has said that they have taken into account all the problems while preparing this Budget. Ours is an agricultural country. No mention has been made about the dairy development in the country. Animal husbandry has been totally neglected. Milk cattle are the real wealth of nation. In other countries the yield of the animals is much higher than our animals. The main reason for this is the encouragement given by the Governments there. Our Government is doing nothing in this regard. Government should open model farms for the improvement of breed of animals. It is said that it is the duty of State Governments. I do not agree, Sir. State Governments have little powers under our Constitution. They do not have enough funds for the development of animal husbandry. Milk is becoming scarce, we are depending on imported milk powder. Proper heed should be paid to the development of poultry.

Our Food Ministers are ignorant about the problem of agriculture. They know how to import more and more foodgrains. We are not doing anything to increase food production in our own country. We do not have adequate irrigation facilities in our country. To augment these facilities we should have a separate organisation. It should be called "Project for ground water exploration." Tubewells should be sunk in all arid areas. Special efforts should be made to bring the entire waste land under cultivation. The poor peasants should be given subsidy. They should be given good seeds and implements. You will find that shortage of foodgrains will become a thing of the past.

Israel is a small country. It has been changed from a desert to an orchard. We can also produce fruit in plenty if we put in a little effort. A sum of Rs. 4 lakhs and 66 thousands has been provided for this. This sum is not

adequate for this. Central Government should help the states in this regard also. The Community Development Ministry has not been able to deliver the goods. The amount provided for the improvement of agriculture is not enough. I find 90 per cent people here come from urban areas. They are ignorant about the problems of villages. The Government should take care of the villages because they constitute the bulk of our country's population.

In regard to taxes I want to say that Government should reduce them in the case of consumer goods. Take for example kerosene oil. It is used by the poor people. Duty on it should be reduced. It is the duty of the majority party here to think over the difficulties of poor people of the country. The problems of the villages should not be taken up on party lines. Cottage industries shouldbe start ed in villages. There has not been any improvement in villages during the last 17 years. Instead of that there is deterioration in the services. Bribe is taken openly by small officials.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : आज देश बड़ी गम्भीर स्थिति से गुज़र रहा है । सीमा पर खतरा बना हुआ है । हमें अत्यधिक सतर्क रहना है । हमें देश की एकता के लिए हर प्रकार के बलिदान के लिए तैयार रहना है । हमें देश के राजस्व को बढ़ाना है और उसके लिये करों में वृद्धि का विरोध नहीं करना है । सरकार ने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है । इसमें पर्याप्त रियायतें भी दी गई हैं । यह ठीक है कि कीमतें कम नहीं हुई हैं परन्तु सरकार इस ओर ध्यान दे रही है । यदि सभी लोग अपने करों का ठीक प्रकार से भुगतान करें तो सरकार को इतने कर लगाने भी न पड़ें । सरकार भी यदि पूरे प्रयत्न से कर एकत्र करे तो बहुत अन्तर हो सकता है । यदि लोग अपने सोने के बांड ले लें तो सरकार की बहुत सहायता हो सकती है । वास्तव में होता क्या है कि लोग अपने करों का ठीक प्रकार से भुगतान नहीं करते । वे अपना उत्तरदायित्व नहीं समझते और सरकार को दोषी कहते हैं । हमें लोगों में जिम्मेवारी की भावना उत्पन्न करनी है ।

सरकार को भी अपने में परिवर्तन लाना चाहिये । आज हमारे मंत्री और उच्चाधिकारी बड़े आनन्द का जीवन बिता रहे हैं । यह चीज़ें हमारे निर्धन देश में शोभा नहीं देतीं । आज सरकारी अधिकारियों में तानाशाही प्रवृत्ति आ गई है । वे अपने आपको जनता का सेवक नहीं समझते बल्कि जनता का स्वामी समझते हैं ।

हमारी निर्यात की स्थिति यह है कि 900 करोड़ रुपये के योजना लक्ष्य से हम 90 करोड़ रुपये पीछे हैं । वित्त मंत्री ने छूट के रूप में कुछ प्रोत्साहन दिया है—यह सब बहुत अच्छा है परन्तु सच यह है कि हमारा निर्यात व्यापार देश का सब से बड़ा घोटाला बना हुआ है । विदेशों में यह शिकायत आम है कि माल नमूने से सदा घटिया भेजा जाता है । हमें बेईमान व्यापारियों पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा । अगर यही हाल रहा तो हम अपनी ख्याति और निर्यात में वृद्धि कैसे करेंगे ?

निगमित क्षेत्र के बारे में कुछ कम्पनियों को, जो कुछ वस्तुओं के निर्माण में लगी हुई है, अथवा जो मूल उद्योग हैं उन्हें कर दायित्व में छूट दी गई है । इस पर सन्तोष व्यक्त करने के बजाय समाचारपत्रों से पता चलता है कि स्टाक मार्केट में भी मन्दा चल रहा है । आश्चर्य की बात

तो यह है कि इन मंडियों में सदा पूंजी लगाने वालों का नियन्त्रण नहीं रहता, परन्तु साहुकार इस पर नियन्त्रण रखते हैं।

जैसा मैंने कहा है इस बजट की एक ही बात कुछ विशेष है कि उसमें सबसे बड़े औद्योगिक गुटों के एकाधिकार की भावना वाले नियन्त्रण को एक अधिक वितरित, अधिक सम-वितरित रूप रेखा वाले औद्योगिक ढांचे को परिवर्तन करने की दिशा में कुछ नहीं किया गया है। क्या यही समय नहीं है कि सरकार औद्योगिक आधार को व्यापक बनाये ताकि लघु तथा मध्यम श्रेणी के उत्पादक इस क्षेत्र में आ सकें।

क्या यह सच नहीं है कि जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त-निगम और स्टेट बैंक जैसी वित्तीय संस्थायें जो सरकारी नियन्त्रण में हैं, ऋण केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही प्रदान करती हैं और सरकार के अंश मुख्यत: बड़े बड़े औद्योगिक गुटों में ही हैं? मेरे कहने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि ऋण बिना उचित जांच आदि के दे दिये जायें परन्तु मैं तो यह नहीं समझ पाती कि ऋण केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों तक ही क्यों सीमित रखे जायें? इसका परिणाम यह होता है कि छोटे छोटे व्यापारी उन्हीं बड़े उद्योग गुटों के पास जाते हैं जिन्हें सरकार ऋण देती है। लघ् व्यापारियों को बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता क्योंकि उनके पास भी धन का अभाव है। इस प्रकार सरकार के ऋण से ही बड़े उद्योग अनुचित लाभ उठा रहे हैं —इस बात पर सरकार को विचार करना चाहिये। इन मामलों की जांच करने के लिए डा० हजारी तथा डा० महालनाबिस समितियां बनी थीं। एक वर्ष पूर्व डा० महालनोबिस ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई— उसे प्रकाशित तक नहीं कराया गया।

सरकार की नीतियां पत्रों पर तो सुन्दर लगती हैं क्योंकि उनमें आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकने का वर्णन है। परन्तु इन नीतियों का आधार जिसका संबंध जनता से है बहुत विस्तृत नहीं है। यही कारण है कि धनी अधिक धनवान और निर्धन अधिक निर्धन होते जाते हैं और निर्धनों की संख्या में दिनोदिन वृद्धि होती जाती है। मेरा निवेदन है कि नए उद्योगों को खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए ताकि सामाजिक तथा क्षेत्रीय असंतुलन मिटाया जा सके।

मेरा सुझाव है कि अतिकर तथा लाभांश कर में राहत देकर औद्योगिक आधार विस्तृत किया जाए। इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है।

सरकार राजस्व बढ़ाने की बहुत इच्छुक है हम सभी यही चाहते हैं और मेरे विचार से देश को भी इसकी आवश्यकता है। परन्तु 1964 में केन्द्रीय सरकार की लेखा जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर 743.28 करोड़ रुपया लगाया गया जिस पर केवल 0.2 प्रतिशत लाभ हुआ।

हमें बताया गया है कि सरकार ने इस बार संतुलित बजट प्रस्तुत किया है परन्तु हमें बताया जाए कि घाटे के बजट अथवा लाभ के बजट का अर्थ देश की आर्थिक स्थिति की दृष्टि से क्या है? क्या इसका संबंध खज़ाने की बीजकों और सरकारी नकद शेष पूंजी से है? इसके अतिरिक्त 270 करोड़ रुपये का ऋण भी है। भारतीय रक्षित बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गत वर्ष सरकारी पूंजी अधिभार 17 करोड़ रुपये था

[श्रीमती शारदा मुकर्जी]

जब कि इससे पहले के वर्ष में 11 करोड़ था। इसके अतिरिक्त हम पी० एल० 480 की निधि में से भी 191 करोड़ रुपया वितरण में लगा दिया गया है। क्या उपलब्ध वस्तुओं के संबंध में यह स्थिति घाटे के बजट से भिन्न है? क्या इस से मुद्रा स्फीती नहीं होगी।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं इस बजट का समर्थन करती हूं। सरकार को न केवल औद्योगिक क्षेत्र में परन्तु कृषि क्षेत्र में भी विस्तार करना होगा। जब तक औद्योगिक क्षेत्र का विभिन्नीकरण नहीं होगा और कृषि क्षेत्र पर सरकार को कुछ धन तथा शक्ति लगानी होगी नहीं तो जीवन की मूल आवश्यकता की वस्तुओं की जनता की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने की हम कभी आशा नहीं कर सकते।

श्री राम नाथन चेट्टियार : सब से पहले मैं माननीय वित्त मंत्री को बचत वाला आयव्ययक प्रस्तुत करके ने लिए बधाई देता हूं। पिछले कुछ महीनों से हम पर आर्थिक दबाव पड़ रहा है। इस वर्ष गेहूं और चावल की बहुत अच्छी फसल हुई है और हमें आशा है कि मित्र देशों से आयात द्वारा हम इस सम्बन्धी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी परन्तु फिर भी मूल्य बढ़ र हैं। मैं वित्त मंत्री तथा योजना आयोग से अनुरोध करता हूं कि मूल्य स्थिति पर ध्यान रखें और मूल्यों को बढ़ने नहीं दें।

मुझे प्रसन्नता है कि अब माननीय मंत्री घाटे की अर्थ व्यवस्था का आश्रय नहीं लेंगे परन्तु केवल यही बात ही काफी नहीं है। वित्त मंत्री तथा योजना आयोग का मुद्रास्फीती की प्रवत्तियों पर कड़ा नियन्त्रण होना चाहिए।

वित्त मंत्री ने वस्त्रों, जूतों और कुछ अन्य मदों पर कुछ राहत दी है। निस्सन्देह इस से मूल्य घटेंगे। परन्तु जनता को आशा थी कि वह मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में कुछ करेंगे। मिट्टी के तेल पर अधिक उत्पादन शुल्क से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कठिनाई हो रही है और मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में भी कुछ राहत दें।

पिछले दिसम्बर में दक्षिण के रामेश्वरम् तथा धनुषकोटी द्वीपों में समुद्री लहरों के कारण जीवन तथा सम्पत्ति की बहुत हानि हुई। हम माननीय वित्त मंत्री के तुरन्त रामेश्वरम् जाने के लिए आभारी हैं और हम आशा है कि वह इस महान विपत्ति से पीड़ित लोगों को यथासम्भव सहायता करेंगे।

मैं उन सदस्यों में से एक हूं जो सेतुसमुद्रम परियोजना पर काम आरम्भ करने के लिए अनुरोध करते र हैं। अब सरकार ने इस की तुरन्त आवश्यकता को अनुभव किया है और मुझे आशा है कि वित्त मंत्री और योजना आयोग इस बा त का ध्यान रखेंगे कि यह परियोजना कम से कम चौथी योजना में क्रियान्वित की जाय।

हम माननीय वित्त मंत्री के प्रत्यक्ष करों में राहत देने के लिए आभारी हैं यद्यपि यह राहत बहुत ही थोड़ी है । एक अच्छी बात यह है कि राहत सभी स्तरों पर दी गई है । परन्तु मुझे इस बात का कोई कारण दिखाई नहीं देता कि उपार्जित तथा अनुपार्जित आय (अनअर्न्ड इन्कम) के सम्बन्ध में असमानता क्यों रखी गई है । माननीय मंत्री को इस मामले पर विचार करना चाहिये और आय को एक ही आधार पर आंकना चाहिये । अनुपार्जित आय वाले वर्गों को हानि नहीं होनी चाहिये । अनुपार्जित आय और काले धन में अन्तर है । लाभांशों से होने वाली आय को केवल इसी कारण अनुपार्जित आय समझा जाता है क्योंकि यह आय वेतन से नहीं होती है परन्तु यदि कोई व्यक्ति वेतन प्राप्त करता है और जिस समवाय में काम करता है उस के अंशों से लाभांश के रूप में अतिरिक्त आय होती है तो उसकी आय अर्जित आय कहलाई जाती है । अनुपार्जित आय वाले लोगों को आय-कर, वार्षिकी जमा (एन्युटी), सम्पत्ति कर और कुछ मामलों में व्यय कर देने के बाद कुछ नहीं बचता है । उनके लिये पूंजी लगाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

हमारे वर्तमान वित्त मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने पिछले वर्ष असैनिक व्यय में कुछ मितव्ययता की है । फिर भी मैं समझता हूं कि इस बात का और पता लगाने की गुंजाइश है कि क्या कुछ विभागों या मंत्रालयों में अधिक मितव्ययता नहीं की जा सकती । 12000 करोड़ रुपये के आयव्ययक में 5 प्रतिशत बचत करना बहुत कठिन नहीं होगा और इस प्रकार केवल 100 करोड़ रुपयों की बचत होगी ।

माननीय मंत्री ने यह भी बताया है कि निगमित क्षेत्र के लिए 70 प्रतिशत की अधिकतम सीमा होगी । इस का लाभ धारा 104 के अधीन आने वाले समवायों को भी दिया जाना चाहिये ।

नगरीय सम्पत्तियों पर पहले ही सम्पत्ति-कर लगा हुआ है । अब माननीय वित्त मंत्री ने एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में एक से चार प्रतिशत तक नया कर लगाया है । पहले ही स्थानीय कर इतने अधिक हैं कि मकान मालिक वह कर नहीं दे सकते हैं । मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि मूल्यांकन का आधार बदलना चाहिये । इसका आधार सम्पत्ति कर की भांति होना चाहिये न कि बाजार मूल्य पर । इस कर से देश में भवन निर्माण कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ेगा ।

सेलम इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में निर्णय करने पर अधिक विलम्ब के कारण मद्रास के लोग बहुत रुष्ट हैं । इस परियोजना को मई, 1964 के मध्य में अन्तिम रूप दे दिया गया था । मैं नहीं जानता किन किन कारणों से हमारे वर्तमान इस्पात मंत्री ने इसे बैलाडिला तथा होस्पेट जैसी अन्य परियोजनाओं के साथ जोड़ दिया है । मैं न केवल वित्त मंत्री से बल्कि इस्पात मंत्री तथा योजना आयोग से भी यह अपील करूंगा कि ऐसी परियोजनाओं के मामले में लोगों की आकांक्षाओं पर पानी नहीं फेरना चाहिये जिन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय केवल कुछ महीने पहले ही लिया गया हो ।

समय समय पर ऐसा सुना जाता है कि बैंकों का काम ठीक नहीं हो रहा है । मैं समझता हूं कि कुछ बड़े अनुसूचित बैंकों को कुप्रबन्ध के कारण कठिनाई हो रही

[श्री रामनाथन चेट्टियार]

है और रिजर्व बैंक इस क्षेत्र के कुछ दुराचारों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण नहीं कर पाया है । इस सम्बन्ध में दो प्रकार के विचार है । एक विचार यह है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करण किया जाय और दूसरा विचार हमारे वर्तमान वित्त मंत्री का है कि रिजर्व बैंक द्वारा कड़े नियंत्रण ही काफी होंगे । मेरा विचार यह है कि वित्त मंत्री को केन्द्रीय बैंकिंग जांच आयोग की स्थापना के प्रश्न पर विचार करना चाहिय ।

एक विख्यान अर्थशास्त्री, श्री अग्रवाल ने कहा है कि हमारे रुपये का मूल्य 17 पैसे से अधिक नहीं है। अब समय आ गया है कि वित्त मंत्री रुपये के प्रश्न पर विचार करने के अलिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करें और इस बात के उपाय करें कि रुपये का अवमल्यन न हो ।

भाषा का प्रश्न दक्षिण भारत के लिए, विशेषत मद्रास राज्य के लिए, बहुत महत्व-पूर्ण है । मैं इस सदन से तथा देश के दूसरे भागों से, मित्रों से, विशेष रूप से हिन्दी भाषी लोगों से, यह कहूंगा कि वे इस मामले को दक्षिण अथवा उत्तर भारत की दृष्टि से नहीं देखें । इसे राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखें । आज हमारे प्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है । उनकी उपस्थिति से मुझ भाषा के प्रश्न पर बोलने के लिए अधिक बल मिलता । उन्होंने 1959 में सदन में आश्वासन दिया था और उस आश्वासन के आधार पर राजभाषा अधिनियम बना था परन्तु दुर्भाग्य से "मे" शब्द का प्रयोग किया गया था । इस सम्बन्ध में "शैल" शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिये था । मद्रास राज्य के लोग चाहते हैं कि राजभाषा अधिनियम में इसी सत्र में संशोधन किया जाये । इन शब्दों के साथ मैं आय-व्ययक सम्बन्भी प्रस्तावों का समर्थन करता हूं ।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि इस सरकार ने अमीरों को अमीर बना दिया और गरीबों के लिये मरने की नौबत आ रही है। इसने अभी तक खाद्य समस्या का हल निकाला। क्या इन्होंने शिक्षा की समस्या तथा भूमि की समस्या हल कर ली है ?

यह सरकार कहती है कि संसदीय लोकतन्त्र में विश्वास रखती है परन्तु केरल में इन्होंने साम्यवादियों को बन्दी बना कर उनको उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया है।

मुझे यह भी पता नहीं है कि मेरे साथी बिरेन मित्र के विरुद्ध क्या अपराध हैं। वह कोई साम्यवादी नहीं है। श्रीबिरेन मित्र तथा अन्य 27 साथियों पर देश द्रोह का आरोप लगाया था परन्तु उच्चतम न्यायालय ने उन्हें छोड़ दिया। परन्तु दो महीने बाद फिर बन्दी बना लिया गया। मैं मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को बहुत दिन तक जेल में नहीं रखना चाहिये।

सरकार ने आदिम जातियों की समस्या को ठीक हल नहीं किया है और सब जगह गड़बड़ कर रखी है चाहे वह बंगाल हो और चाहे आसाम।

खुल्ना की घटनाओं के पश्चात् वहां बाहर से काफी व्यक्ति आ गये हैं। सैंकड़ों आदिम जाति के लोग वहां से निकाल दिये गये हैं। वहां बाहर से शरणार्थी आ गये हैं। हम वैसे शरणार्थियों के विरुद्ध नहीं हैं। हमारे राज्य में तो उन्हें सब से पहले लिया गया था।

हमारे संविधान के अनसार जहां कहीं अधिक आदिम जाति के लोग अधिक मात्रा में हैं उस क्षेत्र को अनूसूचित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिये और कुछ क्षेत्र ऐसे हों जहां गैर-आदिम जाति के व्यक्तियों को न बसाया जावे।

आदिम जाति के लोगों को न ही तो मदानों में कोई खेती के योग्य भूमि मिल रही है न ही जंगलों में मिल रही है। फिर आप कैसे आशा करते हैं कि वे जीवित रहे। धेबर समिति ने भी इस ओर कहा है।

4 आदिम जाति के विकास ब्लाक छमानू, तेलियापूरा सदर तथा अमरपुर पर स्थापित किये गये। इनके खोलने से पहले तो अमरपुर उप-डिवीजन में 75 प्रतिशत जन संख्या आदिम जाति के लोगों की थी और 25 प्रतिशत गैर-आदिम जाति के लोगों की हैं। परन्तु बाद में अधिक लाभ गैर-आदिम जाति के लोगों को मिला है। यही कारण है कि हम ने अपनी आदिम जाति कान्फ्रेंस में एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में केवल आदिम जाति के लोग ही रहें।

त्रिपुरा एक सीमावर्ती क्षेत्र है और वहां सड़क भी ठीक नहीं है। यही हालत हमारे संचार व्यवस्था की है जिन्हें सुधारने की बड़ी आवश्यकता है। पिछले ही वर्ष कारंगी छेटा ने निकट पाकिस्तानी और हमारे व्यक्तियों में खूब गोली चली। हमारी ओर से 100 परिवार तो अपने खेतों का एक दाना न काट सके। फिर भी हमारी सरकार ने इन्हें कोई सहायता नहीं दी।

मैं फिर यह मांग दौहराऊंगा कि जिन क्षेत्रों में आदिम जाति के लोग अधिक मात्रा में रहते हैं उसे आदिम जाति क्षेत्र घोषित कर देना चाहिये। मुझे आशा है सरकार शीघ्र ही उनकी इस मांग को मान जावेगी।

श्री अन्सार हरवानी (बिसौली) : उपाध्यक्ष महोदय, जब श्री ति० त० कृष्णामाचारी पहले अपने पद से अलग हुए थे उन्होंने देश को एक चेतावनी दी थी कि आदम-खोर बाहर निकल आया है। जब वे दौबारा मंत्रिमंडल में आये तो हमने सोचा कि वे आदम-खोर पर कुछ रोक लगावेंगे। परन्तु वह तो और अधिक स्वस्थ होता जा रहा है।

कुछ समय पूर्व बम्बई में वित्त मंत्री ने कुछ फिल्म अभिनेताओं के घर पर छापा मारा। हमने सोचा कि वे कुछ पूंजीपतियों के घर पर भी छापा मारेंगे क्योंकि इस देश की जनता फिल्म-अभिनेताओं की अपेक्षा पूंजीपतियों के घरों पर छापा मारने के अधिक हक में हैं।

अभी तक उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिनके घर पर छापा मारा अभी तक समाज में अच्छा सत्कार पाते हैं। कुछ मंत्री अब भी ऐसे व्यक्तियों की शादियों में जाते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस ओर कोई कार्यवाही करें।

दूसरी समस्या है करों से बचने की। यह सत्य है कि कुछ व्यक्तियों ने जीवन बीमा निगम से कर्जा लिया और अदालतों के निर्णय के होते हुए भी उनसे यह रुपया वसूल

[श्री अन्सार हरवानी]

नहीं हुआ। यह सदन जानना चाहता है कि कितने व्यक्तियों पर कर का रुपया बाकी है।

किसी भी देश के आर्थिक ढांचे का आधार वहां के बैंक होते हैं। छोटे कारोबार करने वालों के लिये तो बैंकों से रुपया कर्ज़ लेना भी असम्भव है। इसलिये हमें इनका राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिये।

एक और समस्या देश के सामने है भ्रष्टाचार की। अभी पंजाब तथा उड़ीसा के मामलों की जांच हुई और ऐसे ही पता नहीं कितने मामले और हैं। परन्तु यह इतनी राजनीतिक स्तर पर नहीं है जितनी कारोबारी स्तर पर है। यह तभी दूर होगी जब पूंजीपतियों पर पाबंदी लगेगी। केवल सदाचार समितियों से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा।

सरकारी उपक्रमों का श्री मसानी ने खंडन किया था। परन्तु यदि वे अशोक होटल के लाभ को देखें तो पता चलेगा कि वहां क्या स्थिति है। यही हालत दूसरे सरकारी उपक्रमों की है। फिर भी मैं कहुंगा कि उनमें और प्रशासनिक सुधार होने चाहिये।

वित्त मंत्री को संसाधन भी जुटाने होते हैं और यह भी देखना होता है कि व्यय भी उचित प्रकार से हो। आज प्रशासन की हर एक शाखा में खर्चा बढ़ता जा रहा है। सामुदायिक विकास विभाग में बहुत धनराशि व्यर्थ जा रही है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। श्री मसानी ने कहा है कि आज की कठिनाइयां हमारे एक महान नेता की देन है। मैं इस से सहमत नहीं। उस नेता की बातों का अनुसरण कर के हम बहुत उन्नति कर सकते हैं।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : हमें बजट पर चर्चा के समय भाषा के प्रश्न को बीच में नहीं लाना चाहिये। यह दक्षिण और उत्तर में परस्पर द्वेष का प्रश्न नहीं है। कोई भी भाषा किसी पर थोपी नहीं जा सकती। अंग्रेज़ी भाषा को हमेशा के लिये नहीं रखा जा सकता।

इस बजट में जो रियायत दी गई हैं उन के लिये हम वित्त मंत्री के आभारी हैं। आजकल हमारे देश में पहले ही बहुत अधिक कर लगे हुए हैं। एक और बात जिस का हम स्वागत करते हैं वह मंत्री महोदय का आश्वासन है कि हम घाटे का बजट नहीं बनायेंगे। मेरे विचार में यदि मिट्टी के तेल पर शुल्क में यदि राहत दी जाती तो बहुत अच्छा होता। विशेष रूप से यदि उस किस्म वाले तेल पर कि जो जनसाधारण प्रयोग में लाते हैं। इस सम्बन्ध में अवश्य कुछ किया जाना चाहिये। वित्त मंत्री ने कहा है कि करों का प्रभाव उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। परन्तु वास्तव में होता यही है कि प्रभाव अन्त में उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। चतुर व्यापारी अथवा उद्योगपति ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं कि उपभोक्ता को ही करों का बोझ उठाना पड़े।

सार्वजनिक उपक्रम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके बारे में मेरा सुझाव है कि इन कर्मचारियों की संख्या पर पुनर्विलोकन होना चाहिये। हमारे यहां बहुत अधिक कर्मचारी रखे जाते हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये। सरकारी

कर्मचारियों के वेतनक्रमों के बारे में मुझे कहना है कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों की स्थिति बहुत दयानीय है। केन्द्रीय तथा राज्यों के कर्मचारियों के वेतनों में बहुत अधिक अन्तर है। बिहार में कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रकट करने के लिये अवकाश लेने का निश्चय किया है। वहां पर शिक्षक भी इसी प्रकार विचार कर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रश्न पर विचार करें और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को राहत देने के बारे में भी कुछ करें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण फिर जारी रखें। अब हम एक अन्य विषय को लेंगे।

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारें में--जारी

RE : MOTION FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICE—*Contd*

कूच बिहार सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा गोलाबारी

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : श्रीमान् मैंने 17 मार्च को पाकिस्तानियों द्वारा शुरू की गई सीमा पर गोलीबारी के बारे में वक्तव्य दिया था। मैंने पाकिस्तान के इन आरोपों का खण्डन किया था कि भारत ने आक्रमण करके दाहग्राम की बस्ती पर कब्जा कर लिया है। हमने इस बारे में जांच करायी है और यह पता चला है कि इस आरोप में बिल्कुल सचाई नहीं है।पश्चिमी बंगाल के मुख्य सचिव ने स्वयं निरीक्षण किया है। उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानियों ने ही गोली-बारी आरम्भ की थी। और यह छः दिन तक जारी रही थी। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स इस में घुसपैठ करने वालों की सहायता कर रही है। वे भारतीय क्षेत्र में घुस कर घरों को आग लगा देते हैं और लूटना आरम्भ कर देते हैं। इनका पश्चिमी बंगाल की सीमा पुलिस ने मुकाबला किया है और घुसपैठ करने वाले कुछ पाकिस्तानी मारे गये हैं। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि यदि पाकिस्तानियों ने फिर आक्रमण किया तो उन का मुकाबला किया जायगा।

20 मार्च को पाकिस्तान के दिल्ली स्थित उच्चायुक्त ने हमारे विदेश सचिव से भेंट की और सुझाव रखा कि पाकिस्तानी अधिकारियों को दाहग्राम जाने की मार्ग सुविधायें दी जायें। उन्होंने हमारे मुख्य सचिवों की बैठक के प्रस्ताव की उपेक्षा कर दी थी हमने उनको सूचित कर दिया कि भारत ने आक्रमण नहीं किया अतः पाकिस्तानी अधिकारियों का दाहग्राम जाकर जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भारत सरकार ने ये ठोस सुझाव प्रस्तुत किये :—

(1) गोलीबारी तुरन्त बन्द की जाये और पूर्वी पाकिस्तान सरकार और पश्चिमी बंगाल सरकारें इस बारे में आदेश जारी करें।

(2) दाहग्राम के रहने वाले लोग और पाकिस्तानी अधिकारी स्थानीय अधिकारियों को मार्ग की सुविधाओं के लिये अनुमति पत्र पाने के लिये दरख्वास्तें दें।

(3) पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल की सरकारें मुख्य सचिवों की बैठक के लिये सहमत हों।

(4) पाकिस्तानियों को अनुमति पत्र इस सम्बन्ध में बस्तियों में जाने की प्रक्रिया के अनुसार नहीं होंगे ।

हमें अभी पाकिस्तान के उच्चायुक्त से सूचना मिली है कि उनको हमारे प्रस्ताव मंजूर हैं । इस बारे में हिदायतें जारी की जा रही हैं। दाहग्राम से जो पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान चले गये हैं उनके वापिस आने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है । इस सम्बन्ध में स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके व्यवस्था की जा सकती है । भविष्य के लिये मुख्य सचिव अपनी बैठक में निर्णय कर सकते हैं ।

श्री नाथ पाई : मेरे स्थगन प्रस्ताव की मुख्य बात को माननीय मन्त्री ने मान लिया है । जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों ने सशस्त्र आक्रमण किया है । अब आप देखें कि सरकार इस को रोकने में असफल रही है । आपने सरकार को छूट दी कि मन्त्री साढ़े पांच बजे वक्तव्य दे सकते हैं । साधारणतः यह चार बजे होना चाहिये था । मैं अब यह चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर कल विचार किया जाय । दूसरी बात मैं बस्तियों के बारे में करना चाहता हूं । पाकिस्तान में जो बस्तियां हैं उन में से भारतीय निकाले जा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री का वक्तव्य सुनने के पश्चात् मैं इस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं । आप प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री नाथ पाई : भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी बस्तियों की संख्या क्या है और पाकिस्तान में भारतीय बस्तियों की संख्या क्या है ? क्या हमारा अपनी बस्तियों पर पूरा नियन्त्रण है ?

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तानी बस्तियों की संख्या 74 हैं और भारतीय बस्तियों की संख्या 123 हैं । इनके बारे में दोनों देशों में एक समझौता था जिसे पाकिस्तान ने पूरा नहीं किया । जो हमारा क्षेत्र है उसमें से गैर-मुस्लिम निकाल दिये गये हैं परन्तु वह क्षेत्र तो हमारा ही है ।

Shri A. P. Sharma : It was said in this House that Pakistanis come with arms and indulge in firing and looting. Inspite of all this why Pakistani officials are being allowed to come to our area ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने स्थिति ठीक प्रकार से समझी नहीं । वे तो हमारी अनुमति से मार्ग की सुविधा लेकर पाकिस्तानी क्षेत्र में जा रहे हैं । मैं यह भी कह दूं कि पश्चिमी बंगाल की सीमा पुलिस ने बड़ा शौर्य दिखाया है और पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया है । उन के कुछ लोग हताहत भी हुए हैं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : There is great tension on the Indo-Pak border. Our entire country expects that Government will take some concrete steps. I suggest that our Foreign Minister should invite Pakistan leaders to discuss the matters of dispute and find our ways for reducing tension.

Shri Swaran Singh: The hon. Members has put forward a suggestion. If there were some indications that this will be useful we can think over these things. A meeting of the two Chief Secretaries is likely to take place tomorrow. It has been conveyed to us that Pakistan Government has accepted our proposals in this regard. We hope this neeting willl be useful.

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*contd.*

श्री द्वा० ना० तिवारी : श्रीमान् मैं केन्द्रीय तथा राज्यों के कर्मचारियों के वेतनों के बारे में बात कर रहा था। इन दोनों श्रेणियों के वेतनों में बहुत अन्तर है। मैं नहीं चाहता कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन कम किये जायें परन्तु मैं चाहूंगा कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सहायतार्थ कुछ किया जाना चाहिये। शिक्षा मन्त्री राज्यों में शिक्षकों के वेतनों में वृद्धि के लिये सहायता करते हैं तो उसी प्रकार वित्त मन्त्री को राज्य कर्मचारियों को सहायता करनी चाहिये। आज नियोजन का युग है। हमें अपने समाज के सभी अंगों को समान दृष्टि से देखना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार 23 मार्च, 1965/चैत्र 2, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, March 23, 1965/Chaitra 2, 1887 (Saka).

GMGIPND—L S III—627 (Ai) LS—12-7-65—600